लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 52, मंगलवार, 3 मई, 1966/13 वैशाख, 1888 (शक)

No. 52—Tuesday, May 3, 1966/Vaisakha 13, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1453	शहरों के कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी का उपयोग	Utilisation of Urban Waste, Sewage and Sullage . .	7755–57
1454	सूखा से प्रभावित राज्य	States hit by Drought Conditions	7757–60
1455	चारे के भंडार (फौडर बैंक)	Fodder Banks . . .	7760–63
1456	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी	I.A.C. Employees . .	7763–67
1457	फार्म मूल्य नीति	Farm Price Policy . . .	7767–69
1459	पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres	7769–72
1461	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways . .	7772–75

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1458	अनाज का एक जिले से दूसरे जिले में लाना-ले जाना	Inter-District Movement of Food-grains	7775
1460	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of areas in Madhya Pradesh and Orissa by F.A.O. .	7775–76
1462	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi . .	7776
1463	निर्वाचन व्यय पर रोक	Curbs on Election Expenses .	7776–77
1464	अमरीकी उर्वरक सलाहकार	U.S. Fertilizer Consultants . .	7777
1465	भूमि परीक्षण कार्यक्रम	Soil Testing Programme . .	7777
1466	कलकत्ता बन्दरगाह	Calcutta Port . . .	7777–78
1467	खाद्य विभाग के कर्मचारी	Employees of Food Department .	7778
1468	कृषि उत्पादन	Agricultural Production . .	7778–79

*किसी नाम पर यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1469	गैर-सरकारी क्षेत्र में कृषि संबंधी उद्योगों में अमरीका की भागिता	U.S. Participation in Agr-Industries in Private Sector .	7779
1470	खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य	Minimum Support Prices of Foodgrains	7779
1471	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	Central Secretariat Stenographer Service	7780
1472	राजस्थान में चने का सड़ना	Rotting of gram in Rajasthan .	7780
1473	भूखमरी से मृत्यु	Starvation Deaths . . .	7780–81
1474	गो हत्या	Cow Slaughter	7781
1475	कलकत्ता में पत्तन प्रबन्ध संबंधी संस्था	Institute of Port Management at Calcutta	7781–82
1476	सहकारी विपणन समितियां	Cooperative Marketing Societies .	7782
1477	सहकारी समितियां	Co-operative Societies . .	7782–83
1478	कृषि उत्पादन	Agricultural Production . .	7783
1479	चीनी संबंधी सेन आयोग	Sen Commission on Sugar . .	7783–84
1480	नागपुर के लिये विमान सेवाएं	Air Services to Nagpur . .	7784
1481	बम्बई में नया होटल	New Hotel in Bombay . .	7784–85
1482	अच्छी किस्म के बीजों का संभरण	Supply of Improved Seeds . .	7785

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4738	मावूर का हवाई अड्डा	Mavoor Airport	7885
4739	केरल में कोयलथोट्टम बन्दरगाह	Koilthottam Port in Kerala .	7785–86
4740	मद्रास में छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports in Madras	7786
4741	भूमि पर खेती	Cultivation of Land . . .	7787
4742	फसलों का नमूना सर्वेक्षण	Crop Sample Survey . . .	7787
4743	केरल में भूमि के लगान की अदायगी	Payment of Land Rents in Kerala	7787–88
4744	केरल में पंचायत यूनियन	Panchayat Unions in Kerala .	7788
4745	थक्काड़ी में हवाई पट्टी	Air Strip at Thekkady . .	7788
4746	निर्बल वर्ग की सहायता	Assistance to Weaker Section of the People	7788–89
4747	सहकारी विपणन	Cooperative Marketing . .	7789
4748	स्वीडन से मछली पकड़ने की नावें	Fishing Boats from Sweden .	7789–90
4749	बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा	Bahadurgarh-Central Secretariat Bus Service	7790

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4751	इटली से खाद्य का उपहार	Food Gifts from Italy	7790–91
4752	दिल्ली और दमिश्क के बीच विमान सेवा	Delhi-Damascus Air Service	7791
4753	केरल में अम्बालापुजहा-इदाथुआ सड़क	Ambalapuzha-Edathua Road in Kerala	7791
4754	केरल में आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कें	Road Communications to Tribal Areas in Kerala . . .	7791–92
4755	कालीकट में हवाई अड्डा	Aerodrome at Calicut .	7792
4756	तम्बाकू की खती	Cultivation of Tobacco	7792
4757	अनाज का उत्पादन	Food Production	7792–93
4758	धान का उत्पादन	Production of Paddy .	7793
4759	खंड विकास अधिकारी	Block Development Officers	7793
4760	छोटी सिंचाई कार्यों के लिये पम्पिंग सेट	Pumping sets for Minor Irrigation Works	7794
4761	भारत में कृषि प्रणाली का पुनरनुस्थापन	Re-orienting Agricultural System in India	7794
4762	खती वाली बकार पड़ी भूमि का अनुमान	Assessment of Agricultural Waste lands	7794–95
4763	आयोजन सम्बन्धी अग्रिम परियोजनायें	Pilot Projects for Planning .	7795
4764	पश्चिमी बंगाल से बिहार तथा बिहार से उत्तर प्रदेश में धान ले जाना	Movement of Paddy from West Bengal to Bihar and Bihar to U.P.	7795–96
4765	पश्चिम बंगाल में तयार किया गया कालिम्पोंग प्रथम श्रेणी का धान का बीज	Kalimpong I Paddy seed developed in West Bengal. . .	7796
4766	प्राथमिक विपणन समितियां	Primary Marketing Societies .	7796–97
4767	उत्तरप्रदेश में बीज फार्म	Seed Farms in U.P. . .	7797–98
4768	भूमिगत जल द्वारा सिंचाई	Irrigation by Sub-Soil Water	7798
4769	विशेष खाद्य पदार्थों का पैदा करना	Growing of Special Foods . .	7798
4770	उड़ीसा में छोटे सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works in Orissa	7798–99
4771	लघु सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Minor Irrigation Schemes	7799
4772	रासायनिक उर्वरकों की खपत	Consumption of Chemical Fertilizers	7799–7800

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4773	केरल में कृषि योग्य परती भूमि	Cultivable Fallow Lands in Kerala	7800
4774	पंजाब में भाण्डागार	Warehouses in Punjab . .	7800–01
4775	रूस में बने ट्रैक्टर	Russian Tractors . . .	7801
4777	सरजू नदी पर पुल	Bridge over River Sarju . .	7801
4778	केन्द्रीय कृषि अधिकारी कालेज (सेंट्रल एग्रीकल्चरल स्टाफ कालिज)	Central Agricultural Staff College	7802
4779	बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में कानून	Law on the Adoption of Children	7802
4780	उर्वरकों सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Fertilizers . .	7802
4781	तीसरे आम चुनावों सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Third General Elections	7803
4782	परिवहन समन्वय समिति	Transport Co-ordination Committee	7803
4783	पंजाब में नलकूपों की खुदाई (ड्रिलिंग)	Drilling of Tube-Wells in Punjab	7803–04
4784	केरल में यूकलिप्टस की खेती	Eucaliptus Cultivation in Kerala .	7804
4785	उर्वरकों की चोर-बाजारी	Black Marketing of Fertilizers .	7804–05
4786	भारत की भूमि "सुआइल्स आफ इंडिया" नामक प्रकाशन	Publication entitled "Soils of India"	7805
4787	कृषि-ऋण	Agricultural Credit . . .	7805–06
4788	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क)	Central Engineering Service (Roads)	7806
4789	सड़क विभाग (रोड्स् विंग) में नियुक्ति	Appointments in Roads Wing .	7806–07
4790	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क)	Central Engineering Service (Roads)	7807
4791	दिल्ली में मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल	Motor Drivers' Training School in Delhi	7807
4792	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में देरी	Delay in Services of I.A.C. . .	7808
4793	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एजेन्टों को दिया गया कमीशन	Commission paid to Agents by Indian Airlines Corporation .	7808–09
4794	भारत-नेपाल विमान-सेवायें	Indo-Nepal Air Services . .	7809

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4796	निर्वाचन आयोग के क्लर्क कर्मचारी	Clerical Staff of Election Commission	7809–10
4797	विधि मंत्रालय में हिंदी को प्रयोग में लाया जाना	Use of Hindi in Law Ministry	7810–11
4798	जोरहाट में राष्ट्रीय राजपथ के लिये उप-मार्ग	By-pass for National Highway at Jorhat	7811
4799	अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह सम्बन्धी नौवहन समिति	Shipping Committee for Andaman and Nicobar	7812
4800	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिय मकानों की व्यवस्था	Accommodation for I.A.C. Employees	7812
4801	मोहनबाडी हवाई-अड्डा	Mohanbari Airport	7812
4802	वन संसाधनों का विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण	Pre-Investment Survey of Forest Resources	7812–13
4803	बिहार में गन्ने का विकास तथा चीनी मिलों का फिर से सुचारू रूप से चलाया जाना	Development of Sugarcane and Rehabilitation of Sugar Mills in Bihar	7813
4804	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा	Central Secretariat Stenographer Service	7813–14
4805	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा	Central Secretariat Stenographer Service	7814
4806	श्री ओ० एन० महेन्द्रू ऐडवोकेट का व्यावसायिक कदाचार	Professional Misconduct of Shri O. N. Mahindroo, Advocate	7814–15
4807	भारत का खाद्य निगम	Food Corporation of India	7815
4808	खेती करने का जपानी तरीका	Japanese methods of Cultivation	7815–16
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
	(एक) भारत-पाकिस्तान टेलीफोन तथा तार संचार व्यवस्था का भंग हो जाना	(i) Disruption of Indo-Pakistan telephone and telegraph communications	7816–19
	(दो) आसाम मेल का पटरी से उतर जाना	(ii) Derailment of Assam Mail	7841–44
	स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Queries)	7819–21
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	7821–22

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
याचिका समिति--	Committee on Petitions—	
कार्यवाही सारांश तथा चौथा प्रतिवेदन	Minutes and Fourth Report .	7822
सरकारी उपक्रमों सम्बधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
पचीसवां, छबीसवा तथा सताइसवां प्रतिवेदन	Twenty-fifth, Twenty-sixth and Twenty-seventh Reports .	7822
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति--	Committee on Government Assurances—	
चौथा प्रतिवदन	Fourth Report . .	7822
श्री गोखले की शताब्दी के बारे में	Re. Centenary of Shri Gokhale	7823-24
वित्त विधेयक:	Finance Bill, 1966—	
विचार प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्री लहटन चौधरी	Shri Lahtan Chaudhry. .	7824-25
श्री मी०रु० मसानी	Shri M. R. Masani .	2725-26
श्री हजरनवीस	Shri Hajarnavis . .	7826-27
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	7827-28
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	7828-29
श्री राम स्वरूप	Shri Ram Swarup .	7829-30
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak .	7831-32
श्री जो० ना० हज़ारिका	Shri J. N. Hazarika .	7832-33
श्री तिम्मय्या	Shri Thimmaiah .	7834-35
श्री स्वैल	Shri Swell .	7835
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon . .	7835-38
श्री श्री बिशनचन्द्र सेठ	Shri Bishanchander Seth .	7838-39
श्री मुहम्मद कोया	Shri Mohammad Koya	7839
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir .	7840-41, 7844
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	7844-45
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney .	7845

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 3 मई, 1966/13 वैशाख, 1888 (शक)
Tuesday, May 3, 1966/Vaisakha 13, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शहरों के कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी का उपयोग

+

*1453. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों के कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी का, जो नदियों और नालों में बहाया जाता है, उपयोग करने के बारे में सरकार की कोई योजना है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत का उपयोग इस समय कृषि उत्पादन कार्य के लिये किया जाता है; और

(ग) जिन-जिन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है क्या उन में इसकी उर्वरता के कारण उत्पादन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां । खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरों के कचड़े (कूड़ा करकट, मलमूत्र, गन्दा पानी) की उपयोगिता को महत्व दिया जाता है । कूड़ा करकट से खाद बनाने और गन्दे पानी की उपयोगिता सम्बन्धी योजनाएं प्रथम योजना से ही लागू हैं । इन योजनाओं

को क्रियान्वित करने के लिए हुए खर्च का 25 प्रतिशत तक अनुदान बराबर-बराबर खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दिया जाता कहै । इसके अतिरिक्त शहरी खाद के उत्पादन तथा वितरण हेतु परिवहन तथा गन्दा पानी उपयोगिता योजनाओं को धन देने हेतु स्थानीय निकायों की सहायता के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण भी दिये जाते हैं ।

1964–65 में चलाये गये कृषि सम्बन्धी विशेष विकास कार्यक्रम (क्रैश कार्यक्रम) में शामिल करके शहरी कूड़ा करकट की उपयोगिता के कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया । तीसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान शहरी कूड़ा करकट का अधिक उपयोग करने और बेहतर बनाने हेतु नई योजनाएं शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को लगभग 1.37 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त फन्ड दिये गये थे ।

(ख) शहरी कूड़ा करकट से अधिकतम खाद 7.88 मिलियन टोन्ज प्रति वर्ष अनुमानित है । इसके मुकाबले इस समय उपयोग की गई मात्रा लगभग 3.5 मिलियन टोन्ज है । शहरों और कस्बों में गन्दा पानी लगभग 700 मिलियन गैलन प्रति दिन उपलब्ध होता है । इसके मुकाबले, राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इस समय लगभग 240 मिलियन गैलन (34 प्रतिशत) प्रति दिन प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(ग) जी हां । शहरी खाद तथा गन्दे पानी को पर्याप्त रूप से प्रयोग में लाने के कारण शहरों तथा कस्बों में सब्जियों, चारे और अल्पकालीन फसलों को बहुत लाभ पहुंचा है ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण में कहा गया है कि यद्यपि शहरों के कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी का उपयोग पहली पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, फिर भी तीसरी योजना का अन्त होने पर भी केवल 45 प्रतिशत का ही उपयोग होता है । आज उर्वरकों की कमी से देश में खाद्य संकट के समय क्या सरकार इस प्रगति से संतुष्ट है ?

श्री श्यामधर मिश्र : शहरों के अनुमानित 78.8 लाख टन वार्षिक कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी में से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 38.9 लाख टन का उपयोग किया गया था । चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारा कार्यक्रम इसकी 80 प्रतिशत मात्रा का उपयोग करने का है । जब हम 78.8 लाख टन में से 60 लाख टन का उपयोग करने लगेंगे तो हम प्रगति से संतुष्ट हो जायेंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : मेरा प्रश्न इस से भिन्न है । मैंने पूछा था कि क्या सरकार खाद्य संकट के समय 45 प्रतिशत के वर्तमान उपयोग से संतुष्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 80 प्रतिशत कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी का उपयोग किया जायेगा और वह इस प्रगति से सन्तुष्ट हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या शहरों के कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी का उपयोग केवल सब्जियां पैदा करने के लिये किया जाता है या इसका उपयोग धान और गेहूं की खेती में भी किया जाता है, और यदि किया जाता है, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

श्री श्यामधर मिश्र : गन्दे पानी तथा मलमूत्र का उपयोग सब्जियां पैदा करने के लिये किया जाता है और शहरी खाद का उपयोग शहरों के निकट धान आदि सभी फसलों के लिये किया जाता है । मेरे पास इनके अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि नगरपालिकाओं को शहरों के कचड़े, मलमूत्र तथा गन्दे पानी के उपयोग के लिये राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है ? नगर पालिकाएं इसे किसानों को किस मूल्य पर बेचती है ? क्या इस कम नहीं किया जा सकता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : नगर पालिकाओं को योजनाओं की क्रियान्विति के लिये आवर्ती खर्च के 25 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त उन्हें कचड़े आदि की धुलाई के लिये गाड़ियां आदि

खरीदने के लिये ऋण आदि दिये जाते हैं। नगरपारिकाएं किसानों से आवश्यकता से अधिक मूल्य नहीं लेती हैं। हमने इस प्रश्न की जांच की है। यह मूल्य 25 रुपये से 45 रुपये तक होता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या शहर के कचडे, मलमूत्र तथा गन्दे पानी का खाद के रूप में प्रयोग करने के बारे में कोई अनुसन्धान किया गया है ? क्या इस कार्य के लिये किसी स्रोत से कोई सहायता अथवा सलाह ली गई है ? इस खाद के प्रयोग से अगले वर्ष कितना उत्पादन बढ़ेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह प्रश्न शहरी खाद के बारे में है। मैं कुल आंकड़े दे चुका हूं। इसमें 20 लाख टन पोषक तत्व हैं जिसका खेती के लिये लाभप्रद तरीके से उपयोग किया जा सकता है। निस्संदेह हम उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 80 प्रतिशत उपयोग होने लगेगा।

श्री दे० द० पुरी : इन योजनाओं में दो प्रकार का खर्च होता है—परिवहन आदि के लिये पूंजीगत व्यय और कार्य संचालन व्यय। इन 1.37 करोड़ रुपये में से प्रत्येक कार्य पर कितना कितना खर्च हुआ है ? इसमें से कितने की सहायता दी जाती है ? क्या इसके लिये निर्धारित रकम का पूरी तरह उपयोग किया गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ये 1.37 करोड़ रुपये सामान्य निधि में से नहीं दिये गये है। यह अविलम्बनीय कार्यक्रम है जो दो वर्ष पहले आरंभ किया गया था। इन दो वर्षों में राज्य सरकारों को यह अतिरिक्त रकम दी गई थी। यह केवल सब्जिया उगाने के लिये दी गई थी। हमारे अनुमान के अनुसार यह खाद 31,600 एकड़ भूमि के लिये काफी है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government's attention has been drawn to the fact that the sewage and sullage is used for the production of vegetables and therefore the vegetables so grown are injurious for health ? May I know whether Government propose to ban the use of sewage and sullage for the production of vegetables ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारमंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : यह केवल अन्धविश्वास है।

श्री यशपाल सिंह : यह सच है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार के पास इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि मलमूत्र के खाद के रूप में प्रयोग करने से जो लाभ होता है वह फसलों पर पड़नेवाले इसके बुरे प्रभाव से समाप्त हो जाता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी, हां। हमारे अनुसन्धान केन्द्रों में किये गये अनुसंधानो से यह पता चला है कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। वास्तव में उसका खाद के रूप में प्रयोग का अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह गांवों में कूड़े आदि की खाद से अच्छी है क्योंकि इसमें अधिक पोषक तत्व होते हैं।

श्री कपूर सिंह : मंत्री महोदय ने उत्तर 'हां' से आरंभ किया था। अतः मैं समझा कि वह मेरे विचार से सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : 'हां' से मन्त्री महोदय का तात्पर्य यह था कि इसका पता लगाया गया है।

सूखा से प्रभावित राज्य

*1454. **श्री श्रीनारायणदास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पडे सूखा से बुरी तरह प्रभावित जिलो की समस्याओं का, जिस से किसानों की ऋण लेने की क्षमता तथा बिना उधार लिये गुजर करने के सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सर्वेक्षण यदि किन्हीं राज्यों ने करवाया है तो उनके नाम क्या हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सूखे से प्रभावित राज्यों से प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि किसानों की ऋण लेने की क्षमता तथा बिना उधार लिए गुजर करने की सामर्थ्य की दृष्टि से जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं। तथापि, योजना आयोग द्वारा भेजी गई केन्द्रीय टोली ने 7 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान के कमी से प्रभावित जिलों का समूचा आंकन किया है । केन्द्रीय टोली द्वारा किए गए आंकनों के अनुसार, इन राज्यों में 127 जिले प्रभावित हुए हैं । अन्य 3 राज्यों अर्थात केरल, मद्रास और पंजाब ने जो सामान्य आंकन किए हैं उनसे पता चलता है कि मद्रास में 6 जिले तथा पंजाब और केरल के कुछेक भाग भी प्रभावित हुए हैं। इन मूल्यांकनों के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया गया है कि सहकारी समितियों से कृषकों द्वारा लिए गए अल्पकालीन ऋणों को किस सीमा तक मध्यकालीन ऋणों में बदला जाना है, ताकि ऋण लौटाने के प्रक्रम को स्थगित किया जा सके और कृषक नए ऋण ले सकें। यह आवश्यकता स्थूल रूप से 22 करोड़ रुपए की है ।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण से मालूम पड़ता है कि इस समस्या सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । जब योजना आयोग के दल ने राज्यों का दौरा किया, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने अल्पकालीन ऋणों को मध्यम कालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिये कितनी राशि मांगी थी ?

श्री श्यामधर मिश्र : जिन 8 राज्यों का उल्लेख किया गया है, उन्होंने कुल 22.33 करोड़ रुपए मांगे थे ।

श्री श्रीनारायण दास : अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इसलिये क्या किसानों की ऋण पात्रता तथा बिना उधार लिये गुजर करने की सामर्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के बारे में देश के सूखे से प्रभावित भागों में अब कोई सर्वेक्षण किया जायेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : योजना आयोग के दल ने 7 राज्यों का दौरा किया और वहां की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दी । हमें राज्य सरकारों से नियमित रूप से रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं । यह ठीक है कि इससे यह संकेत नहीं मिलता कि कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण हो रहा है । इस प्रकार के सर्वेक्षण तथा रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर हमने इस राशि का 22.33 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : विवरण में यह कहा गया है कि इन क्षेत्रों का सामान्य आंकन किया गया था । इनके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन टोलियों ने इस क्षेत्र में कुछ स्थायी उपाय करने की सिफारिश की हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह प्रश्न विशेषत: अकाल की स्थिति के कारण अल्पकालीन ऋणों को मध्यम कालीन ऋणों में परिवर्तित करने से सम्बन्धित है । स्त्रियों, बच्चों को सहायता देने, चारा देने, पेय जल आदि की व्यवस्था करने के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं। पृथक योजनाओं के अन्तर्गत इनपर ध्यान दिया जा रहा है ।

Shri Kishen Pattnayak : Difficulty arise in famine sticken areas generally on account of two reasons. Firstly one-third of the people of these areas, half of

whom are agriculturists, have left the villages and secondly the rest of the farmers have sold their bullocks and have spent the Taccavi loans given to them. In view of these conditions whether Government is conducting any census or survey so as to avoid any loss to agriculture next year ?

Shri Shyam Dhar Misra : I have already stated that in view of the difficulties faced by the farmers on account of famine conditions in repaying the loans, some states have to even granted remission of Taccavis but as regards the loans taken from the Cooperatives.....

Shri Kishen Pattnayak : Whatever credit they got, they have already spent it and have also sold their bullocks etc. What have you thought about them also?

Shri Shyam Dhar Misra : On account of their poor credit-worthiness their condition is very poor. We do not know exactly how many bullocks have been sold but Government plans to grant Rs. 22 crores more this year and they would repay the short term loan within 3-5 years.

Shri M. L. Varma : Have any suitable steps been taken to rescue Rajasthan desert from the grip of famine which have become a permanent feature ?

Shri Shyam Dhar Misra : This is not the general question but it include Rs. 192 lakhs for Rajasthan.

Shri Vishram Prasad : There is a mention of Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa and Rajasthan but the hon. Minister must be well aware that there is drought in Eastern U.P. also. The paddy crop has been totally ruined, the collectors there have also suspended the land revenue. Why Eastern U.P. was not included in drought areas and steps taken to grant Taccavi to the farmers in that area ?

Shri Shyam Dhar Misra : Apart from these 7-8 areas there have been many other scarcity areas but whichever states stressed for cooperative credit, we helped them. Had Uttar Pradesh come forward with such a scheme we would have positively helped them.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या केन्द्रीय टोली ने केवल ऋण-पात्रता के लिये सर्वेक्षण कराया है अथवा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की पूर्ण समस्या पर विचार किया है और कोई अन्य उपायों की सिफारिश की है ? क्या उसकी रिपोर्ट राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों से मेल खाती है और सारे देश में इससे प्रभावित जनसंख्या कितनी है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जनसंख्या सम्बन्धी विवरण इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : फिर हिसाब किस तरह लगाया ? 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

श्री श्यामधर मिश्र : 22 करोड़ रुपए देने के प्रश्न पर रिज़र्व बैंक के सहकार विभाग ने, कृषि ऋण जिसका कार्य-भार है, राज्य शिखर बैंकों, राज्यों के सहकारी तथा स्वयं राज्य सरकारों ने विचार किया था । इस टोली ने अन्य चार अथवा पांच प्रश्नों, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, के सम्बन्ध में भी जांच की । उन्होंने एक पृथक योजना दी है जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या राज्य सरकारों की रिपोर्ट केन्द्रीय टोली की रिपोर्ट से मेल खाती है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैंने कहा इसमें दोनों सम्मिलित हैं।

Shri Bibhuti Misra : There are two types of farmers in the drought affected areas, one with vast lands, who are able to get loans and the others with small pieces of land, who have to depend for their living on labour in addition to agriculture. What arrangement Government have made to provide interest free loan to such farmers ?

Shri Kapur Singh : There are landless farmers as well.

Shri Shyam Dhar Misra : The hon. Minister had made a statement last week regarding scarcity area programme chalked out specially for poor farmers. It is a different question and we have prepared a separate production programme for that.

Shri Bibhuti Misra : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered.

श्री श्यामधर मिश्र : फसल के व्यापार पर भी ऋण देने का हमारा कार्यक्रम है। जिन किसानों के पास रहन रखने के लिये कोई सम्पत्ति नहीं है अथवा जो भूमि बन्धक नहीं रख सकते है उन्हें हम सहकारी संस्थाओं के जरिये फसल के आधार पर ऋण देंगे। निर्धन राज्यों के लिये हम इस प्रयोजन के लिये निगम बनाने का विचार कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कारण है कि सभी समाचार पत्रों में बुन्देलखण्ड में बांदा ज़िलों में पानी के इतने भयंकर अकाल के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कुएं और नदियां सुख गई हैं जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों ढोर और आदमी प्यासे मर रहे हैं, फिर भी सरकार ने उस क्षेत्र के लोगों को बिना ब्याज के ऋण आदि देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं बता चुका हूं कि ये योजनाय राज्य सरकारों ने अनुरोध करने पर बनाई जाती है और उनपर विचार करके सहायता दी जाती है। यदि माननीय सदस्य बांदा अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कोई योजना चाहते हैं तो इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहिये कि योजना तैयार करें और केन्द्रीय सरकार को भेजों। यदि वे नहीं चाहते तो केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती।

चारे के भंडार (फौडर बैंक)

*1455. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार पड़ने वाले अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित चारे के भण्डार स्थापित करने की योजना क्रियान्वित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में किन-किन स्थानों पर चारे के ऐसे भण्डार स्थापित किये गये हैं; और

(ग) इन भण्डारों की स्टाक रखने की क्षमता किस आधार पर निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राजस्थान में चारे के भण्डार निम्नलिखित स्थानों पर हैं।

(1) गुडा इन्डला

(2) बिन्जावा

(3) कालू

(4) मंढ़रिया

(ग) चारे की उपलब्धि, स्टोर करने की सुविधाओं, रेल तथा सड़क की समीपता तथा चारे की कमी वाले क्षेत्र की समीपता आदि को ध्यान में रखकर ही भण्डारण क्षमता के बारे में निर्णय किया जाता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इन बैंकों का दिन-प्रतिदिन का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है और केन्द्रीय सरकार केवल बाहर से चारा सप्लाई करती है, और यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से बचत वाले राज्यों से चारा एकत्रित करने की प्रार्थना की गई है अथवा राज्यों में ही ?

श्री श्यामधर मिश्र : चारा भण्डार का प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में होगा। चारा अधिकांशत: राज्य के बनों से ही एकत्रित करना होगा। जो राज्य ऐसा नहीं कर सकते उनके मामले में अन्य राज्यों से चारा मंगाने का प्रश्न उत्पन्न होता है और तब हम उनकी सहायता करते हैं।

श्री स० क० सामन्त : क्या बचत वाले राज्य से कमी वाले राज्य में चारा ले जाने पर रेलवे भाड़ा लिया जाता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत केवल राजस्थान ने कछ मीट्रिक टन घास मंगाई है। आन्ध्र प्रदेश और बिहार ने कुछ योजनायें आरम्भ की हैं जिनके लिये उन्होंने केन्द्र से कोई सहायता नहीं ली है। केवल राजस्थान ने कुछ धन लिया है और उनका कार्य आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने बिल्कुल रुचि नहीं ली। अतएव एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ।

श्री सुबोध हंसदा : उत्तर से पता चलता है कि चारे भण्डार ऐसे स्थानों पर खोले गये हैं जहां चारे के रूप में काम आने वाला घास उपलब्ध हैं। क्या चारे के रूप में काम आने वाली घासों को उगाने तथा फिर उन्हें चारे के भण्डारों में जमा करने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह एक पृथक योजना है और सभी राज्यों में हम चरागाह आदि लगाने तथा चारे के रूप में काम आने वाली घासे उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या ढोर मालिकों के लाभ के लिये कोई ढोर बीमा योजना आरम्भ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री श्यामधर मिश्र : हम इसपर पहले ही विचार कर रहे हैं लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सके हैं। पंजाब में दो तीन खण्डों में हम कछ प्रायोगिक परियोजनायें आरम्भ कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें आरम्भ नहीं कर सके हैं।

Shri Onker Lal Berwa : Is it a fact that even such fodder is being collected in the fodder banks in Rajasthan which is not eaten by cattle ?

Shri Shyam Dhar Misra : I am hearing this complaint for the first time.

Shri Bagri : Is the hon. Minister aware that farmers have let loose their cattle or many cattles have died of non-availability of fodder in the harvest-rich Haryana, Hissar, Mahendragarh, Gurgaon and Rohtak in Rajasthan and Punjab ? What steps are going to be taken by Government to provide fodder ?

Shri Shyam Dhar Misra : Sir, this question relates to fodder banks and there is no scheme in Punjab for the purpose.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : चारे के भण्डार चारे की कमी के कारण बनाये गये हैं। मेरे राज्य गुजरात में पर्डो में भूमि में चारा पैदा हो रहा है लेकिन उन्हें वहां किसानो को चारे के बदले में फसल पैदा करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। इस तरह चारे की कमी किस तरह पूरी होगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : हमारा हमेशा यह प्रयत्न रहा है कि चारे, नकद और खाद्य फसलों में सन्तुलन हो क्योंकि तीनों ही समान रुप से आवश्यक हैं। इसलिये हम तीनों प्रकार की फ़सलों पर जोर दे रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has the attention of Government been drawn to the fact that cattle in some areas of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, U.P. and Maharasntra have to sent to the slaughter houses on account of non-availability of fodder ? Do Government contemplate to supply adequate quantity of fodder to them through the fodder banks so that such a situation may not arise ?

Shri Shyam Dhar Misra : Sir, it is true that there are many areas is our country where there is scarcity of fodder. The areas referred to by the hon. Member are some of them. Some three years back a scheme was drawn up and the names of the states, which availed of the opportunity, are given in the statement. We are thinking of expanding the scheme during the Fourth Plan so that other states may also benefit now.

Shri Tulsidas Jadhav : The hon. Minister just now stated that Maharashtra is not covered under the fodder bank scheme. The fodder is sent out of maharashtra to other states and the fodder grass is received from other states, which is not of much use. Why the Maharashtra Government is asked to accept this scheme ?

Shri Shyam Dhar Misra : There is no control on the movement of fodder from one state to another and there are no zones as well. It is true that there is some difficulty in Maharashtra in regard to fodder and, we had, therefore, included Maharashtra in the earlier Scheme but they did not avail the opportunity.

श्री कंडप्पन : सरकार ने सारे भारत में चारा, घास आदि जैसी बढ़िया चारे की किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्यामधर मिश्र : हमने बेसीन घास तथा अन्य बढ़िया किस्म की घासे उगाने का कार्य आरम्भ किया है। खण्डों में तथा चारे की खेती के कार्यक्रम के अन्तर्गत हम उन्हें बढ़ा रहे हैं तथा कुछ किसानों ने भी उनकी खेती आरम्भ की है।

श्री बासप्पा : एका स्थान से दूसरे स्थान पर चारा ले जाने के लिये परिवहन की बहुत कठिनाई हो रही है। लोक निर्माण विभाग अपनी गाड़ियां नहीं दे पाता है। गर-सरकारी गाडियां इस काम पर लगाई नहीं जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के मेरे भाग में भी अनेक पशु मर रहे हैं। विभिन्न स्थानों में चारे के परिवहन के लिये सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। हमारा काम चारा भण्डारों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का है। ऐसा नहीं है कि हम यहां से सभी योजनाओं का प्रशासन कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि राज्य सरकारों सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, Sir, Punjab Government has acquried the pastures for cows in Bastara villages near Ghasonda on G.T. Road and started a farm there. It nas caused great hardship to the villages of the area. Will the hon. Minister kindly take steps to get this pasture land released ?

Shri Shyam Dhar Misra : The hon. Member should write separately.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी

+

*1456. **श्री मधु लिमये :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने "नियमानुकूल काम करने" का तरीका अपना लिया था, कोई समझौता हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. सर्दियों की वर्दियों का दिया जाना :—

(एक) (क) पहले ही प्राप्त किये हुए ब्लेजर कपड़े के बने दो सैट 15 दिसम्बर तक वितरित कर दिये जायेंगे और इसके पक्का करने के लिये वर्तमान ठेके को विभक्त कर दिया जाना चाहिये और गृह मन्त्रालय की गृह कल्याण केन्द्र नामक वेलफेयर यूनिट को वर्दियों का दूसरा सैट तैयार करने का काम सौंपा जाना चाहिए। यदि इच्छा हो तो वर्दी ज्योंही तैयार हो जायें वितरित की जा सकती हैं।

(ख) इसके साथ-साथ, ठीक किस्म के ऊनी कपड़े (रफ-सर्ज) का बना वर्दियों का एक सैट 1966 की सर्दियों में दिया जायेगा। फिर भी, यदि सम्भव हुआ तो 1965 की सर्दियों बीतने स पहल इस सैट को देने के प्रयत्न किये जायेंगे।

(ग) ऊपर (ख) में दिय गये सर्दियों का एक सैट 1967 की सर्दियों में दिया जायेगा।

(घ) ऊपर के सब के सब 1968 में सर्दियों की वर्दियों के दो सैटों से बदले जा सकते हैं जोकि तीन वर्ष बाद बदले जायेंगे।

(दो) उन कर्मचारियों को, जिन्हें 1962, 1963 तथा 1964 के वर्ष में सर्दियों को सभी वर्दियां दी गयी थीं, तीन वर्ष पूरे होते ही नई वर्दियां दी जायेंगी। जहां तक उन कर्मचारियों का सम्बन्ध है जिन्हें 1964 में उनके हिस्से की वर्दियां नहीं दी गई थी और जिन्हें अब दी जा रही है, उपयुक्त एक में बतायें गये वितरण शिड्यूल से कोई भी कमी पर्याप्त रूप से पूरी हो जायगी। उन कर्मचारियों को, जिन्हें 1964 में केवल एक सैट दिया गया था, इन सर्दियों में उपयुक्त एक (क) में उल्लिखित ब्लेजर कपड़े की वर्दिया दी जायेंगी और वे सामान्य रूप से 1967 में इनके बदले दूसरी वर्दियां ले सकेंगे।

(तीन) ग्रेड I और II कर्मचारियों को पठान चप्पलें, जब भी वे प्राप्त हों, दी जा सकती हैं।

(चार) वर्तमान वर्दियों के शिड्यूलों को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से 20 दिसम्बर को अध्यक्ष के साथ आगे विचार विमर्ष करने का निर्णय किया गया।

2. जनरल मैनेजर और एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के बीच वर्दियों के विषय में 20 दिसम्बर, 1965 को एक और बैठक हुई। समझौते की शर्तें नीचे दी गयी हैं :-

(1) बम्बई में खुले में और शिफ्टों में काम करने वाले (ग्रेड 1 से 9 तक) कर्मचारियों के लिए ऊनी पुलओवर। चौकीदारों को छोड़ कर, जिन्हें ओरकोट दिये जाते थे, बम्बई सान्ताक्रुज में काम करने वाले कर्मचारियों को इससे पहले ऊनी वर्दियां नहीं दी जाती थीं।

(2) दिल्ली और कलकत्ता में चौकीदारों और ड्राइवरों के लिए ग्रेट कोट।

(3) दिल्ली में ग्रेड 6 तक मैकेनिकों को पिछले समय में दी जाने वाली दो बैटल जैकटों के बजाय एक लेदर जरकिन और एक बैटल जैकेट।

(4) यातायात सहायकों को सरदी की वर्दी का दिया जाना स्वीकार कर लिया गया। वे पहले किसी भी प्रकार की वर्दी के हकदार नहीं थे।

(5) ग्रेड 1/2 के (सभी) कर्मचारियों के लिए पठान चप्पलें।

(2) पायलटों और विमान परिचारिकाओं के बीच विवाद

(1) प्रबन्धक वर्ग इस बात के लिए रजामन्द हो गया है कि कुमारी जे० हालीडे और कुमारी सी० किन्सविले को अनुशासनिक जांच कार्यवाही की समाप्ती पर उड़ान ड्यूटियां दी जांय यदि उनके लिए वे उपयुक्त सिद्ध हो जायें।

(2) संशोधित नियम 80 के कारण पैदा होने वाली असमानताओं का जहां तक सम्बन्ध है, एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अध्यक्ष को दिये गये प्रतिवेदन पर, यह मामला प्रबंधवर्ग द्वारा पहले ही हाथ में ले लिया गया है। प्रबन्धक-वर्ग इसके निर्णयों को 31 मार्च, 1966 तक अंतिम रूप दे देगा।

(3) यातायात और इंजीनियरी कर्मचारियों से सम्बद्ध तबादले की नीति सम्बन्धी मामले पर एयर कारपोरेशन के कर्मचारी संघ के केन्द्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा प्रबन्धक-वर्ग के साथ विचार विमर्ष किया जायेगा।

(4) यह मान लिया गया है कि श्रीमती नीता घोष के ग्रेड 7 में नियुक्ति के प्रश्न को अनुसासन कोड के अन्तर्गत पंच फैसले के लिए उप-मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली, श्री ओ० वेंकटचलम को सौंप दिया जाय।

विचारार्थ विषय निम्न होगा :

क्या श्रीमती नीता घोष की नियुक्ति उचित रुप से हुई यदि नहीं तो कौन सी सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक होगी ।

(5) कैण्टीन टी० टी० सेन के विरुद्ध कार्यवाही की मांग पर इस स्थिति में जोर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यह मामला कुमारी जे० हालीडे और कुमारी सी० किन्सविले के मामले की जांच से सम्बन्ध है । उक्त जांच के पूर्ण हो जाने पर कर्मचारी या संघ, यदि आवश्यकता हुई तो प्रतिवेदन दे सकते हैं ।

(6) संघ आन्दोलन के परिणामस्वरूप होने वाली असुविधा और अनुशासनहीनता के लिए खेद प्रकट करता है । संघ अब से सामान्य स्थिति लाने और इस उद्योग में अनुशासन कोड का अनुसरण करने एवं विवादों को निपटाने में सांविधिक तरीकों को अपनाने के लिए रजामन्द है । इसके बदले में, प्रबन्धक वर्ग सद्भावना के रूप में हड़ताल के नोटिस के डिमाण्ड स्टेटमेंट की मद 6 में उल्लिखित अभियोग-पत्रों (चार्ज शीट्स) और कारण बताओं नोटिस पर तथा इस प्रकार के मामलों पर, समझौत की तारीख तक, आगे कार्यवाही न करने के लिए रजामन्द हो गया है ।

Shri Madhu Limaye : I want to draw the attention of the hon. Minister to parts I (a) and (b) of the written statement. In the agreement under part 2(2) it has been mentioned that they will get the blazor uniform by 15th December. Then, in part (b) it is given that the rough serge will be given during the winter of 1966 if possible, then as regards 2(2) a strange situation has arisen due to the amended rule. The Government will decide in that regard by 31st March, 1966 according to rule 80. May I know what action has been taken in regard to off the assurances as today it is 3rd of May ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रबन्ध तथा कर्मचारियों के बीच हुए समझौते की मुख्य बातें उत्तर में दी गई है जिसमें कि करार के विभिन्न खंडों को दिया गया है । जहां तक वास्तविक क्रियान्विति का सम्बन्ध है करार की सभी शर्तों का पालन किया गया है । जहां तक वर्दियों का सम्बन्ध है उनकी सप्लाई कर दी गई है और कपड़ा खरीद कर वर्दियों सिलवाने और 1966 की सर्दी से पहले देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । कपड़ा प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई है । इस विशिष्ठ प्रकार के कपड़े के लिये जिस सामग्री को आयात करना पड़ता है उसकी कमी रही थी । इसलिये उपयुक्त कपड़ा चुनने के बाद हमने अब क्रयादेश दे दिये हैं । ज्यों ही वे उपलब्ध हो जायगे उन्हें 1966 की सर्दी से पहले ही दे दिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : Has the blazor cloth set been supplied ? Mr. Speaker, Sir, the non. Minister is very such confusing. On the one side he says that the uniforms have not been supplied while on the other, he says that order has been placed for the cloth. I want specific answer as regards part 1(a), 1(b) and 2(2).

Mr. Speaker : Let the Minister say what he has to say.

श्री चे० मु० पुनाचा : करार की शर्तों को क्रियान्वित किया जा रहा है । सामग्री को प्राप्त करने और फिर उसे एक निश्चित अवधि में बुनने में जो विभिन्न कठिनाइयां हैं उनके बारे में कर्मचारियों को बता दिया गया है । उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है । हम सप्लाई कर रहे हैं; हम कपड़ा प्राप्त कर रहे हैं और उनको सिल्वा रहे हैं और बराबर सप्लाई कर रहे हैं । 1966 की सर्दी तक प्रत्येक व्यक्ति को सर्दियों के कपड़ों के दो सेट दे दिय जायेंगे । यह तो संख्या 1 का मामला है । संख्या 2 का मामला दूसरा है । सर्दियों की ये वर्दियां लगातार दो वर्ष चलती है । अब उनको तुरन्त ही दूसरा सेट मिलेगा । दो वर्षों के बाद नई वर्दियां देने का प्रबन्ध किया जायेगा । इस सम्बन्ध में कुछ और करार

भी किये गये हैं। कर्मचारियों के साथ किया गया यह समझौता करार है। प्रत्येक कार्य किया जा चुका है; वे पूर्णतया संतुष्ट हैं; इस मामले पर अब कोई शिकायत नहीं है। वे कुछ सामग्रियों को प्राप्त करने और उनको समय पर सिलवा कर देने में प्रबन्ध की कठिनाइयों को मानते हैं क्योंकि कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि 6,000 के आसपास है। जहां तक नियम 80 का सम्बन्ध है निर्गम आदेश 31-3-66 को जारी कर दिया गया था और आदेश की प्रति मैं सभापटल पर रखने के लिये तैयार हूं। उसमें यह दिया गया है कि कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पदोन्नति या नियुक्ति के समय वेतनक्रमों में किस प्रकार रखा जाये।

Shri Madhu Limaye : Sir, the hon. Minister has not replied as to part 1(a) which says that the blazor cloth already procured will be delivered by the 15th of December.

Mr. Speaker : The hon. Minister said that it had to be given by the 15th December. There were some difficulties in that. There is an understanding in this regard between the employers and the employees.

Shri Madhu Limaye : May I know whether in view of the allegations of inefficiency and corruption made against Indian Air-Lines Corporation and Air India International, Government propose to appoint an enquiry committee to look into the working of both the Corporations ?

श्री चे० मु० पुनाचा : निपटारे के लिये उन्होंने प्रबन्ध के सामने एक मांग रखी थी और इस मांग के आधार पर निपटारा किया गया था। माननीय सदस्य ने जिस मामले का उल्लेख किया है उसके बारे में मांगों की इस सूची में कुछ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने सर्दी कपड़ों के देने के बारे में कुछ मांगों उठाई थीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या भ्रष्टाचार के बारे में भी कोई चीज़ थी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी नहीं।

Shri Yashpal Singh : May I know the total loss resulting from this strike as also the amount of loss in the work which was kept suspended and whether the Government is still nourishing the spirit of revenge against these employees.

श्री चे० मु० पुनाचा : इस प्रश्न का सम्बन्ध इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से है। जहां तक इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का सम्बन्ध है उसमें कोई हड़ताल नहीं हुई थी। पहल नियमानुसार काम करने और फिर धीरे काम करने की चालें अपनाई गई थीं जिसके कारण कुछ विमान सेवाओं को रद्द करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त कोई गम्भीर बात नहीं हुई हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सारी कठिनाई का कारण यह था कि सर्दी के कपड़े गर्मी में दिये जाते हैं और गर्मी के कपड़ सर्दी में, और यह कि उनको अपने कपड़े समय पर नहीं मिलते हैं। सर्दी के कपड़े सर्दी में मिलें और गर्मी के कपड़े गर्मी में यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री चे० म० पुनाचा : 1966 की सर्दी के कपड़े शुरु होने से पहले ही सर्दी में कपडे देने में प्रबन्ध अब किय जा रहे हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विमानचालक और व्योम-बालाओं के बीच झगड़े के सम्बन्ध में जबकि व्योम बालाओं को विमान से उतार दिया गया था और उन्हें निलम्बित कर दिया गया था,

विमाने चालक को, जिसने कि उन्हें उतरने के लिय कहा था, निर्दोष ठहराया गया है, इस प्रकार की एक तरफा जांच क्यों कराई जा रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : उड़ान आरम्भ करने के बाद विमान का पूरा भार कमान्डर पर होता ई । और विमान के अन्दर कार्यकुशलता और अनुशासन बनाये रखना उसका दायित्व है । अत: उसको यह निर्णय करने का अधिकार है कि विमान के संचालन के लिये क्या चीज़ सर्वोत्तम है । इसलिये उसने अपने विवेक का प्रयोग किया है और उसके अनुसार उसने देखा कि दो व्यौम बालाएं अनुशासन का पालन नहीं कर रही थीं । इसलिये उसने उन्हें उतारा था । उसपर कुछ शिकायतें आई हैं और मामले की जांच की जा रही है । जांच पूरी होने के बाद मैं अधिक स्पष्ट स्थिति सामने रख सकूंगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों ने नियमानुसार काम करना कब से आरम्भ किया ? इन व्यक्तियों के साथ समझौता कब किया गया था ? समझौता करने में इतनी देर क्यों लगाई गई, और क्या सरकार हमेशा इस बात की प्रतीक्षा करती है कि लोग इस प्रकार का कदम उठाये ताकि बाद में उनके साथ समझौता किया जा सके ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सर्दियो के कपड़े देने के संबंध में झगड़ा 24 नवम्बर के आस पास उठाया गया था, और सूचना दी गई थी कि वे दिसम्बर, 1965 से काम बन्द कर देंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : समझौता वार्ता काफी पहले से चल रही थी ।

श्री चे० मु० पुनाचा : दो अलग अलग चीजें हैं । यह गर्म कपड़ों की सप्लाई के झगड़े के संबंध में हैं । 30 नवम्बर को इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से भेंट की; 2 दिसम्बर को समझौता हुआ था । 20 दिसम्बर को फिर एक बैठक हुई थी और अन्य बकाया मामलों को भी निपटाया गया था । 30 तारीख को ही हड़ताल की सूचना दी गई थी और उसी दिन एक समझौता तय पाया था ।

श्री दी० चं० शर्मा : आपने 15 दिसम्बर तक प्रतीक्षा क्यों की ? समझौता वार्ता करने में 15 दिन का समय क्यों गुज़रने दिया ?

श्री चे० मु० पुनाचा : 15 दिसम्बर 1965 तक कर्मचारियों को नई वर्दी का एक सेट मिल जाना चाहिये था । यदि ऐसा हो गया होता तो कर्मचारी यह समझते कि उनकी मांगों को काफी हद तक पूरा कर दिया गया है और वे शेष वस्तुओं के लिये जो कि 15 दिसम्बर के बाद दी जानी थी प्रतीक्षा करने के लिये तैयार थे । परन्तु जहां तक समझौतावार्ता और निपटारे का सम्बन्ध है उनका फैसला दो दिन के अन्दर अन्दर 2 दिसम्बर को किया गया था ।

फार्म मूल्य नीति

*1457. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित 30 दिसम्बर, 1965 के "सर्चलाइट" में 'प्लो फार इन्सेंटिव एलिमेंट : इन फार्म प्राइस पालिसी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि क्षेत्रीय (जोनल) आधार पर फार्म-मुल्य निर्धारित नहीं किये जाने चाहिएं और उनको एक समान रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) दिसम्बर, 1965 में हुए इंडियन सोसायटी आफ एग्रिकल्चरल स्टटिस्टिक्स की उन्नीसवीं वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन अधिवेशन पर प्रो० एम० एल० दंतवाला द्वारा दिये गये तकनीकी भाषण से इस समाचार का सम्बन्ध है। अपने भाषण में प्रो० दन्तवाला ने कृषि जिन्सों के लिए सम्पूर्ण मूल्य ढांचा निर्मित करन में आने वाली तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की थी। समाचार में ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि क्षेत्रीय (ज़ोनल) आधार पर फार्म मूल्य निर्धारित नहीं किये जाने चाहिएं और न ऐसा सुझाव तकनीकी भाषण में दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नही होता।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that Shri Dantwala is not willing to serve on this Commission because the Government do not calculate the price of the agricultural product af ter taking into account the value of the land, the expenditure borne by the farmer and the labour put in by the family of the farmer ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : यह कहना सही नहीं है कि प्रो० दांतवाल इन सब बातों के कारण आयोग में रहना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत, उनमें और मंत्रालय में कोई मतभेद नहीं था। वह विश्वविद्यालय में थे और विश्वविद्यालय उनको 15 महीने के लिये ही छोड़ने को तैयार था। अतः उनको वापस जाना था। अब भी कृषि मूल्य आयोग से उनका एक अंवैतनिक सदस्य के रूप में सम्बन्ध है।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the agency through which the Central Government runs the administration of all the state Governments, has decided that the cultivators should be given the integrated price and the integrated price means the price of land, the cost of production and the labour put in by the family of the cultivator ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जी हां; मूल निर्धारित करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा। ये सब बातों एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक किसान से दूसरे किसान के साथ भिन्न होती हैं। यही कारण है कि अब कुछ अन्तिम अध्ययन किये जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन सब बातों को ख्याल में रख कर मूल्य क्या होगा। ज्योंही वह अध्ययन समाप्त हो जायेगा हम अधिक अच्छे तरीके से मूल्य निर्धारित कर सकेंग।

श्री सोनावणे : किसानों के लिये यह एकीकृत मूल्य कब तक निश्चित किया जायेगा, कब इसकी घोषणा की जायेगी और कब उसको लागू किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे बताया गया है कि इन अध्ययनों में एक या दो वर्ष और लगेंगे। आशा है कि आगामी खरीफ और रबी की फसलों के अध्ययन पूरे होने पर हम मूल्य निश्चित करने संबंधी आंकड़े प्राप्त कर सकेंगे।

Shri Siddheshwar Prasad : May I know whether while fixing the prices the Government will keep in mind that there should be parity between what the people earn in industrial occupation and the earning in agricultural occupation ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जी, हां, कारखानों में काम करने वाले लोगों की उजरत और खेतों में काम करने वाले लोगों का उजरत में समता होना चाहिये। इस समता को ध्यान में रखा जायेगा और केवल इसी आधार पर मूल्यों को निर्धारित करना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कृषि मूल्य आयोग का सभापति चला गया है और अन्य सदस्योंने पहले ही त्यागपत्र दे दिये थे। क्या यह अब भी विद्यमान है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह काम कर रहा है। हमारे पास एक कार्यकारी सभापति है। हम दूसरा सभापति नियुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary : Has the Dantwala Committee submitted any report, if so, whether the Government are prepared to place that on the Table ? What are its main recommendations ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आयोग का प्रतिवेदन पहले ही सभापटल पर रख दिया गया था। उसी के आधार पर मूल्य निश्चित किये गये हैं। मूल्य निश्चित करने के दो पहलू हैं। आयोग ने ऐसी मूल्य की सिफारिश की है कि जिससे नीचे मूल्यों को नहीं जाने देना चाहिये। ऐसा सामान्य हालतों में होगा। परन्तु जब वर्षा न होने के कारण कमी की हालत हो तो आयोग की सिफारिश यह है कि समर्थक मूल्य को छोड़ कर जिसका वर्तमान परिस्थितियों में कोई अर्थ नहीं है, हमें कार्फ ऊंचा क्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिये, और इसी के अनुसार हम सारे राज्यों में मूल्य निर्धारित कर रहे हैं; क्रय मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य से 5 रु० से 7 रु० प्रति क्विंटल अधिक है।

श्री विश्वनाथ राय : विभिन्न राज्यों में मूल्यों में अन्तर होने के कारण सीमावर्ती राज्यों में आम तौर पर खाद्यान्न की जो तस्करी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कोई समानता लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ताकि मूल्यों में जो अन्तर है उसको दूर किया जा सके ?

श्री चो० सुब्रह्मण्यम : जो समिति नियुक्त की गई है उसके विचाराधीन यह भी एक प्रश्न है, और खंडों को निश्चित करने अथवा उनको हटाने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

पर्यटन केन्द्रों का विकास

\+

1459. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री रा० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव : **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री लाटन चौधरी : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री ब० रं० कृष्ण :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार ने अपनी समिति पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत देश में कुछ पर्यटन क्षेत्रों का विकास करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किन-किन पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जायेगा ;

(ग) इस की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(घ) इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

परिवहन, नौवहन, उड्डयन तथा पर्यटन मंत्रालयमें राज्य-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है :

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्न लिखित पर्यटक केन्द्रों को समकित आधार पर विकसित करने का प्रस्ताव है :—

भाग 1

(केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्यत: व्यय वहन किया जायेगा)

1. गोआ में समुद्र तट वास के रूप में पंजिम डोनापाला, कलागुटी क्षेत्र ।
2. झील तट वास के रूप में गोविन्द सागर (भाकरा क्षेत्र)
3. शीतकालीन खेलों के केन्द्र के रूप में गुलमार्ग
4. समुद्र तट वास के रूप में कोवालन
5. खजुराहो
6. अजंता और इलोरा
7. कुनारक, पुरी, भुवनेश्वर घाटी
8. दिल्ली, जैयपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, सरिसका, सिलीसरा क्षेत्र ।
9. आगरा में किला और ताज के चारों ओर के क्षेत्र का राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकास ।

भाग 2

(50:50 के आधार पर केन्द्र ओर राज्य सरकारों द्वारा व्यय वहन)

10. हैदराबाद, नागार्जुन सागर, विशाखापत्तनम क्षेत्र
11. काजीरंगा, गमसेंचुरी ।
12. पटना, बोधगया, राजगिर, नालंदा क्षेत्र ।
13. केसोध, पोरबन्दर, वेरावल, गिर क्षेत्र ।
14. अहमदाबाद और चारों ओर का क्षेत्र ।
15. श्रीनगर, डाललेक ओर नागिन लेक क्षेत्र ।
16. पेरियार गेम सेन्चुरी ।
17. मद्रास, महाबलीपुरम क्षेत्र ।
18. जुहू और किहीम ।
19. हसन, बेलूर और हेलीविड क्षेत्र ।
20. मारवथे ।
21. कुलू, कांगडा, मनाली, मनीकरन क्षेत्र ।
22. सूरजकुंड, बदखल क्षेत्र ।
23. दारजिलिंग ।

इन योजनाओं पर केन्द्रीय क्षेत्र में 12.30 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 3.20 करोड़ रुपये अनुमानत: खर्च होंगे बेशर्ते योजना आयोग द्वारा मंजूर किया जाये । इन राशियो का अलग अलग खर्च का ब्योंरा तैयार किया जा रहा है ।

अभी तक योजना आयोग ने चौथी योजना को संपूर्णतया मंजूर नहीं किया है । परंतु 1966–67 की वार्षिक योजना के अंतर्गत 43.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

इन योजनाओं के मुख्य तथ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना होगा। जैसे आवास, परिवहन, बिजली लगाना, जल और विकास की व्यवस्था। किसी किसी स्थान पर हवाई पट्टियां भी तैयार की जायेगी ताकि दूरस्थ पर्यटक केन्द्रों तक और अधिक पर्यटक पहुंच सके। किसी किसी स्थान पर, जिनकी अवकाश क्रिडा केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा, दिल बहलाव और नौवहन की व्यवस्था भी की जायेगी। इन विकास योजनाओं के अन्य तथ्य ये होंगे--क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य की वृद्धि के लिये वाटिकायें और पार्कों की व्यवस्था और महत्वपूर्ण स्मारकों को परिप्रदीप्त करना।

श्री लिंग रेड्डी : विवरण की मद संख्या 19 के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि हसन, बेलूर और हेलीतिड क्षेत्र को एक पर्यटन केन्द्र के रुप में विकास करने के लिये क्या योजना तैयार की गई है, उसकी अनुमानित लागत क्या है और उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा?

श्री चे० मु० पुनाचा : विकास के स्वीकृत कार्यक्रमों का सम्बन्ध होटलों, जलपान गृहों की स्थापना, सड़कों, चिकित्सीय सुविधाओं, प्रशासन व्यवस्था करने, भू-दृष्य में सुधार करने, और स्थान को सुन्दर बनाने से है और यदि आवश्यक हो तो वहां पर विद्यमान स्मारकों के महत्व और उनकी सुन्दरता को बढ़ाने के लिये पुंज प्रकाशों को अधिष्ठापित करने से है। पर्यटक महत्व के केन्द्रों अथवा क्षेत्रों के एकीकृत विकास के ये प्रमुख कार्यक्रम हैं। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, जबकि इन विभिन्न बातों का सुझाव दिया गया है, अब हम राज्य सरकारों के परामर्श से विस्तृत योजनाएं तयार कर रहे हैं क्योंकि इस सैक्शन में यह एक ऐसी योजना है जो योजना (2) के अन्तर्गत आती है जिसमें कि व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर बांटा जाता है, और आरम्भ में राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिये प्रथम कार्यक्रम देगी और उसके आधार पर हम योजना की अग्रेतर जांच करेंगे। इस समय यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री लिंग रेड्डी : पर्यटन कार्यक्रमों पर व्यय में कमी और उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन में जो कमी होती है उसके क्या कारण हैं?

श्री चे० मु० पूनाचा : ऐसी कोई कमी नहीं हुई है, परन्तु भारत पाकिस्तान संघर्ष में हुई गड़बड़ी के कारण उस समय भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो गई थी। अब इसमें वृद्धि होती जा रही हमे खूशी है है कि पर्यटकों की संख्या अब निरन्तर बढ़ती जा रही है।

Shri Lahtan Chaudhry : In the list placed on the Table, the name of an ancient cultural centre has not been included, that is "Mohishi" in Bihar. This is the birth place of Mahapandit Mandan Mishra who had had discussions with Jagat Guru Shankracharya. No mention has been made in the statement regarding it. Do Government propose to examine it and take measures for its development ?

श्री चे० मु० पूनाचा : जो सूची सभा पटल पर रखी गई है उसमें उन थोड़े से क्षेत्रों और केन्द्रों को दिखाया गया है जिनका हम तुरन्त विकास करना चाहते हैं। यह बात नहीं है कि इनके अतिरिक्त समान पर्यटक महत्व के और केन्द्र नहीं है। उनकी एक बड़ी संख्या है। आरम्भ में हम एक योजना बद्ध कार्यक्रम के अनुसार इनका विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाद में अन्य क्षेत्रों को भी लेंगे जो कि समानरुप से महत्वपूर्ण है। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में सब को नहीं लिया जा सकता है।

श्री मं० रं० कृष्ण : नगर जंकोडां को, जिस में कि कुछ विश्वविख्यात अवशेष हैं, केन्द्रीय योजना में क्यों शामिल नहीं किया गया है और इसे राज्य के लिये ही क्यों छोड़ दिया गया है? क्या पोवालम परियोजना को, जिसका कि एक विश्व तैराकी स्थान के रूप में विकास किया जा सकता था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा कर लिया जायेगा?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक नागरजूनासागर और हैदराबाद के इर्दगिर्द के अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है वे योजना संख्या 2 के अन्तर्गत आते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु इस समय यह योजना के भाग 2 के अन्तर्गत है। जहां तक पोवालम का सम्बन्ध है, हमने पहले ही कार्यवाही कर ली है। हमने महल को अर्जित कर लिया है। वहां पर होटल है, और तटरेखा का सुधार किया जा रहा है। फिर हम इसको और मनोरम बनाने के लिये कुछ और भूमि अर्जित कर रहे हैं। सड़क भी बनाई जा रही है और इस वर्ष जल निस्तारण और जल सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। पोवालम में इस विशिष्ट कार्य के लिये हमने पहले ही 10 लाख रुपये का उपबन्ध कर दिया है। महल को अर्जित करने और स्थान का सुधार करने के अतिरिक्त हमने वहां पर एक कैंटीन भी बनाई है।

श्री रा० बरुआ : कांजीबंगा एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। परन्तु, हालके वर्षों में, ब्रम्हपुत्र नदी के कटाव के द्वारा इसको गंभीर खतरा पैदा हो गया है। योजना में रखी गई राशि से इसमें कहीं अधिक पैसा लगेगा। क्या सरकार इसको उक्त खतरे से बचाने के लिये विशेष रुचि लेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी, हां। हमें इसकी जानकारी है और हम इस बारे में विशेष ध्यान देंगे।

श्री रामेश्वर टांटिया : गत वर्ष कुल कितने पर्यटक आये और उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा हमारी आमदनी में कितनी कमी हुई है या वृद्धि हुई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : गत वर्ष के समचे पर्यटक यातायात में 5 प्रतिशत की कमी हुई। मैंने इसके कारण दे दिये है। अब यह बढ़ता जा रहा है। जहां तक विदेशी मुद्रा के अर्जन का सम्बन्ध है मैं इस मामले की जांच करुंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता हूं कि हमारे विदेशी मुद्रा के अर्जन में कितने प्रतिशत कमी हुई ?

श्री प्रिय गुप्त : क्या राजस्थान के बीकानेर स्थान को भी इस सूची में शामिल किया गया है और यदि नहीं तो, क्या इसका कारण यह है कि वहां के मुख्य मंत्री को इस क्षेत्र से सहानुभूति नहीं है क्योंकि अधिकांश विधायक गैर-कांग्रेसी हैं ? जब कि विदेशी पर्यटक सिकार तक, जो कि इसके बहुत समीप है, आते हैं, वे सरकारी अधिकारियों द्वारा रोक लिये जाते हैं और उनको बताया जाता है कि वे बीकानेर न जायें क्योंकि भोजन तक के लिये कहां कोई होटल या जलपान गृह नहीं है। इतना ही नहीं, वहां पर पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये कोई पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि धन की कमी के कारण इस प्रयोजन के लिये स्थानों और कर्मचारियों का कोई उपबन्ध नहीं है और वे बीड़ीवालों और पानवालों को बेचे जाते हैं। इस पर सरकार का क्या रुख है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रश्नों का सम्बन्ध राजस्थान सरकार के एक विशिष्ट रवैये से है। मैं यह नहीं मानता कि ऐसा हुआ है। फिर भी, मैं माननीय सदस्य के लाभ के लिये जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : हैदराबाद में प्रसिद्ध सालारजंग संग्रहालय है और एक नई इमारत बनाने का विचार। यह कब तैयार हो जायेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास के लिये नगरजूनासागर और विशाखा-पटनम स्थानों को आन्ध्र प्रदेश में चुना गया है और सलारजंग संग्रहालय को भी, हैदराबाद में, इसमें शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय राजपथ

*1461. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, विवरण सहित, राष्ट्रीय राजपथों की कुल लंबाई कितनी है,

(ख) राज्यों के बीच असमानता के क्या कारण है;

(ग) राज्यों के बीच की असमानता की दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथों पर कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है :

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की लंबाई	कैफियत
1	आंध्र प्रदेश	1,412 मील	
2	आसाम	837 ,,	
3	बिहार	1,167 ,,	
4	देहली	45 ,,	
5	गुजरात	676 ,,	
6	हिमाचल प्रदेश	200 ,,	
7	जम्मू और कश्मीर	338 ,,	
8	केरल	260 ,,	
9	मध्य प्रदेश	1,669 ,,	
10	मद्रास	1,050 ,,	
11	महाराष्ट्र	1,487 ,,	
12	मनीपुर	132 ,,	
13	मैसूर	816 ,,	
14	नागालैंड	69 ,,	
15	उड़ीसा	852 ,,	
16	पंजाब	784 ,,	
17	राजस्थान	942 ,,	
18	सिखिम	39 ,,	
19	उत्तर प्रदेश	1,455 ,,	
20	पश्चिमी बंगाल	855 ,,	
	योग	14,925 ,,	

(ख) और (ग): राष्ट्रीय मुख्य मार्गों का निर्णय अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है न कि क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर। अतः अलग अलग राज्यों की लम्बाई के अन्तर कौं दूर करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) लगभग 230 करोड़ रुपये। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना की व्यवस्थाओं की अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री लिंग रेड्डी : क्या मसूर राज्य ने यह अभ्यावेदन दिया है कि सरकार से, जहां से माननीय मंत्री चुन कर आय हैं, हो कर बंगलौर से मंगलौर जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजपथ में परिवर्तित किया जाना चाहिये क्योंकि यह मद्रास और बंगलौर, अर्थात् दो राज्यों की राजधानियों को और पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र-तटों को मिलाती है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : बंगलौर तथा मंगलौर के बीच पहले से ही दोहरे यातायात वाली सड़क है। अतः इससे मद्रास के बन्दरगाह को और पूर्वी तट पर मंगलौर के बन्दरगाह को मिलाने की आवश्यकता की पूर्ती हो जायेगी। यह सुविधा वहां पहले से ही उपलब्ध है। कुर्ग हो कर बंगलौर से जाने वाली सड़क के लिये जो सुझाव दिया गया है उस पर विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में उस सड़क को राष्ट्रीय राजपथ मान लेने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री लिंग रेड्डी : यद्यपि पश्चिमी तट मार्ग का कार्य पूरा हो गया है और केन्द्रीय सरकार उसका देखरेख करती है, फिर भी उसे राष्ट्रीय राजपथ क्यों नहीं माना जा रहा है जबकि वह दो राष्ट्रीय राजपथों को जो केरल तथा महाराष्ट्र में हैं, मिलाता है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पूरे पश्चिमी तट पर यह सड़क दो अथवा तीन राज्यों के बीच विशेष महत्व रखती है। अभी उसे राष्ट्रीय राजपथ योजना के अधीन नहीं लाया गया है परन्तु पूरा व्यय सरकार को ही वहन करना पड़ रहा है। अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनायें चल रही हैं। उसको राष्ट्रीय राजपथ में शामिल कर लेने तथा उसके रख-रखाव का भार संभालने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री बसुमतारी : पाकिस्तान तथा चीन की धमकियों को देखते हुए, गौहाटी से ऊपरी आसाम में डिगबोई तक जाने वाली सड़क को किन कारणों से अभी तक राष्ट्रीय राजपथ नहीं बनाया गया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : उस सड़क के टुकड़े के बारे में विचार किया जा रहा है। अभी इस बारे में हम कोई निर्णय नहीं कर सके हैं।

श्री तिम्मया : क्या सरकार को पता है कि कुछ सड़कें मरम्मत आदि न होने के कारण राष्ट्रीय राजपथ कहलाने योग्य नहीं हैं ? उनके उपयुक्त ढंग से रख-रखाव के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं परन्तु हमारी राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में करीब 300 मील की लम्बाई के ऐसे सड़क-भाग हैं जो टूटे हुए हैं और जो 15,000 मील लम्बी सड़कों के अंग हैं। ऐसे टूटे भागों की मरम्मत करा कर एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा है। अभी कुछ पुल भी बनने हैं। राष्ट्रीय राजपथ योजना के अन्तर्गत आने वाले 215 बड़े पुलों में से अभी 30 पुलों का निर्माण शेष है और जिस कठिनाई का मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है वह भी हो सकती है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Madhya Pradesh is one of the important states in the country, but the number of national highways in that state is much less. Does Government propose to have as many National Highways in Madhya Pradesh as possible in order to benefit that state ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस बारे में एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच यथानुपात आधार पर हिसाब नहीं लगाया गया है परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय राजपथ का सब से लम्बा भाग है। उसकी लम्बाई 1,669 मील है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सब से अधिक है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजपथों के बारे में भी जानकारी है कि वहां कई स्थानों में सड़कों की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है और सड़कों के दोनों ओर जो छायादार वृक्षों की पंक्तियों की सुन्दर विशेषता थी वह अब वृक्षों में कमी होने के कारण घटती जा रही है? विशेषकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर इन वृक्षों के परिरक्षण के लिये तथा दोनों ओर छायादार वृक्षों के पुनः रोपण किये जाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं यह मानता हूं कि राष्ट्रीय राजपथों के कुछ भागों पर वृक्षों की पंक्तियों को हटाना पड़ा था क्योंकि सड़कों तथा पुलियों को चौड़ा करने तथा राष्ट्रीय राजपथों को विशिष्ट तथा मानव निर्धारित मानक के अनुसार बनाने का कार्य किया गया था। अब दोनों ओर वृक्षारोपण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। परन्तु हमें इसमें समय लगेगा। जहां तक राष्ट्रीय राजपथों के लिये निर्धारित स्तर के अनसार वृक्षारोपण तथा ऊपरी तट बनाने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि हमने कार्यक्रम को क़रीब क़रीब पूरा कर लिया है। केवल 3,000 मील लम्बा भाग जो देश के विभिन्न स्थानों में है, अभी शेष है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अनाज का एक जिले से दूसरे जिले में लाना-ले जाना

*1458. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज के एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने को रोकने के लिये राज्यों से अनुरोध किया है;

(ख) क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने अनाज के एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर लगाये गये सभी प्रतिबन्धों को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) अमरीका द्वारा बड़े पैमाने पर पी०एल० 480 गेहूं की सप्लाई किये जाने के आश्वासन से राज्यों को प्रत्येक राज्य खण्ड के अन्दर देसी अनाज के निर्बाध लाने ले जाने की अनुमति देने में कहा तक सहायता मिली है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अधिकांश राज्यों में मुख्यतः धान और चावल की अधिप्राप्ति करने के हित में खाद्यान्नों के अन्तर-जिला संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। पी०एल० 480 की बड़े पैमाने पर गेहूं की सप्लाई होने से सम्भरण स्थिति सुधारने में पर्याप्त सहायता मिली है लेकिन इस से घरेलू अधिप्राप्ति की आवश्यकता खत्म नहीं हुई है। परिणामतः इन सम्भरणों से प्रत्येक राज्य में फिर से खाद्यान्नों के निर्बाध संचलन शुरू करने में सहायता नहीं मिली है।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों का सर्वेक्षण

*1460. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** :

श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों का पूर्व-विनियोजन हवाई और भूमि सबंधी सर्वेक्षण करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या ऐसा सर्वेक्षण अन्य क्षेत्रों में भी किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) भारत सरकार ने यू० एन० स्पेशल फन्ड तथा खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से बन संसाधनों की परियोजना पूर्व-विनियोजन सर्वेक्षण शुरू किया है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के वह भाग भी शामिल हैं जिनका सर्वेक्षण होना है।

(ख) लगभग 131 लाख रुपये की लागत से लगभग 11,500 वर्ग मील के अविकसित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। इसमें से भारत सरकार लगभग 89.00 लाख रुपये और "यू० एन०एफ०एफ०" 42.00 लाख रुपये खर्च करेगा। परियोजना में सम्मिलित चुने हुए क्षेत्रों में बन उद्योग विकास के लिए कच्ची सामग्री प्राप्त करने हेतु परियोजना का निरीक्षण करेगा।

(ग) जी हां। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में चुने हुए क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है :—

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और मैसूर।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

*1462. **श्री बाल्मीकी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया है जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें चौराहों पर लगाये गये बड़े विज्ञापन पट्टों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिना लाइसेंस वाली रेहड़िया चलने के कारण होती हैं;

(ख) क्या ऐसा निर्णय किया गया था कि ऐसे सब विज्ञापन पट्टों हटा दिये जायें और रेहडियों का चलना भी कम से कम किया जाये;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में विज्ञापन पट्टों और रेहड़ियों की संख्या बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने तमाम विज्ञापन बार्डों को हटाने का निर्णय नहीं किया है। परंतु जिन रेहडीवालों के लाइसेंस वापस ले लिये गये उन्हें धीरे धीरे छोटी दुकानों में फिर से बसाने का निगम का प्रस्ताव है।

(ग) विज्ञापन के स्थल 1963–64 में 204 से घट कर 1965–66 में 148 हो गये है।

विभाजन के बाद जिन 2208 रेहडी वालों को लाइसेंस दिये गये थे उनमें से 74 व्यक्तियों के लाइसेंस वापस ले लिये गये हैं और उन्हें दुकान दे दी गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

निर्वाचन व्यय पर रोक

*1463. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **विधि** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन व्यय पर रोक के संबंध में निर्वाचन आयोग के प्रस्तावों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने निर्वाचन व्ययों के बारे में निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्वीकार न करने का निश्चय किया है।

अमरीकी उर्वरक सलाहकार

***1464. श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी उर्वरक सलाहकार की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6203/66।]**

भूमि परीक्षण कार्यक्रम

***1465. श्री मलाइछामी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में भूमि परीक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच कोई समन्वित योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो देश भर में वैज्ञानिक तरीके से भूमि परीक्षण के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां। चौथी योजना की अवधि में राज्य सरकारों के सहयोग से समस्त राज्यों में भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के बारे में एक समन्वित योजना को कार्यरूप दिया गया है। चौथी योजना की अवधि में मौजूदा भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है जिससे कि अधिक क्षेत्रों को इन प्रयोगशालाओं के कार्य क्षेत्र में लाया जा सके और नई प्रयोगशालाओं (और विशेषकर सघन कृषि के क्षेत्रों में) की स्थापना की जा सके। समस्त प्रयोगशालाओं के तकनीकी कार्य का समन्वय भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान नई, दिल्ली द्वारा किया जाता है।

कलकत्ता बन्दरगाह

***1466. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारी मात्रा में रूस से मिट्टी का तेल लाने वाले बड़े आकार के तेलवाहक जहाजों के लिये कलकत्ता बन्दरगाह पर जहाजों को ठहराने की व्यवस्था नियंत्रित रूप से नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिये कोई योजना आरम्भ की गई है; और

(ग) भारी मात्रा में तेल तथा अनाज लाने वाले बड़े जहाजों को ठहराने के लिये स्थान की व्यवस्था करने हेतु किंग जार्ज बन्दरगाह का विस्तार न किये जाने के क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) कलकत्ता पत्तन में तेल पोत बज बज पर पेट्रोलियम घाट पर टिकते हैं। घाट पर आठ जैट्टी हैं। सामान्यतः इसमें 565 फुट लंबे टैंकर आते हैं। चूँकि नौबन्ध काफी मजबूत न थे इस लिये पीछे 611 फुट लंबेसे रूसी टैंकरों को वहां ठहरने में कुछ कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिये कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों ने ज्वार की बड़ी नाजुक स्थिति में एक विशेष मामले के रूप में अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1965 में कामचलाउ प्रबन्ध किया।

(ख) ऐसे कामचलाउ प्रबन्ध करना चालू महीनों में संभव नहीं है क्योंकि ज्वार पहले से प्रबल है और उस का क्षेत्र भी बड़ा है। रूस से तेल यातायात के लगातार चालू रहने की दृष्टि से नं० 1 जेट्टी में प्रबल नौबन्धों की व्यवस्था की गयी है ताकि लंबे टैंकर वहां ठहर सके। यह जेट्टी चालू है भविष्य में इस किस्म के टैंकरों को वहां ठहरने में किसी कठिनाई की संभावना नहीं है।

(ग) इन्ट्रेस लाक द्वारा होकर आने में कठिनाई और डाक क्षेत्र में घूमने में कठिनाई के कारण किंग जार्ज डाक पर केवल 565 फीट तक लंबे टैंकर आ सकते है। सीमित घाट सुविधाओं के कारण सामान्य माल के 530 फुट तक के जहाज किंग जार्ज डाक पर आ सकते हैं।

हल्दिया घाट के तैयार हो जाने पर यहां आने वाले जहाजों के साइजों पर इस प्रकार की रोक न लगाई जायेगी।

खाद्य विभाग के कर्मचारी

*1467. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गप्त :
श्री बूटा सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 11 अप्रैल, 1966 की ध्यानाकर्षक सूचना के उत्तर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग के कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा नौकरी में लेने के सम्बन्ध में प्रक्रिया और शर्तें तथा निबंधन निर्धारित करने में और कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

कृषि उत्पादन

*1468. **श्री चांडक :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि के विभिन्न संबंधित विभागों में समन्वय है;

(ख) क्या सरकार मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण के आधुनिक तरीकों का अनुसरण करती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा अमरीका और रूस की तुलना में कहां तक किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। ऐसा समन्वय ऊंचे स्तर पर खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी केबीनेट की एक समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ साथ कृषि उत्पादन सम्बन्धी समस्त समस्याओं से सम्बन्ध रखती है।

(ख) जी हां।

(ग) विभिन्न विकसित तथा प्रगतिशील देशों में विशेषतया उन देशों में जिनकी भूमि समस्याएं हमारी जैसी हैं उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान को पूरे तौर से अध्ययन करने के बाद हमारा भूमि सर्वेक्षण तकनीक विकसित किया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी उद्योगों में अमरीका की भागिता

***1469. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अमरीकी गैर-सरकारी उद्योग का देश के कृषि संबंधी उद्योगों में भाग लेने के लिए जिन कथित प्रोत्साहनों की पेशकश की है, उनका ब्यौरा तथा स्वरूप क्या है; और

(ख) इस पेशकश के संबंध में अमरीकी उपक्रमिओं की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) देश के कृषि सम्बन्धी उद्योगों में भाग लेने के लिए अमरीकी गैर-सरकारी उद्योग को किसी विशेष प्रोत्साहनों के विषय में कोई पेशकश नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

***1470. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग वर्ष 1966-67 की फसल के लिए गेहूं, चावल, चना आदि अनाजों के न्यूनतम समर्थन-मूल्य निर्धारित करने की कोई उपयुक्त कसौटी तैयार कर सका है;

(ख) यदि हां, तो वह कसौटी क्या है; और

(ग) क्या इन अनाजों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : विश्वसनीय तथा विस्तृत आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण कृषि मूल्य आयोग अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन-मूल्य निर्धारित करने की कोई वैज्ञानिक व उपयुक्त कसौटी तयार नहीं कर सका है। संबंधित जानकारी इकट्ठी करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

जहां तक (1966-67 के मौसम में विपणन होने वाली) 1965-66 की रबी फसलों का सम्बन्ध है आयोग ने सिफारिश की है कि उसने (1965-66 के मौसम में विपणन हुई) 1964-65 की फसल के लिए गेहूं तथा चने के लिए जिन न्यूनतम समर्थन-मूल्यों की घोषणा की थी वही मूल्य 1966-67 के मौसम पर भी लागू रहेंगे।

अभी तक 1966-67 की खरीफ फसलों के लिए (जिनमें धान भी शामिल हैं) आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)

*1471. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक सेवा के बारे में 5 अप्रैल 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3262 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको किसी ऐसे पदाधिकारी के बारे में जानकारी है जो उड्डयन विभाग से संबंधित नहीं है परन्तु उस विभाग के पदाधिकारी के रूप में कागजों पर हस्ताक्षर करता है और अन्य प्रकार स भी कार्य करता है; तथा अपने आप को उस विभाग का अधिकारी बतलाता है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी, जोकि इंडिया टूरिजम होटल कारपोरेशन लिमिटेड में उपनियुक्त है और उस कारपोरेशन के अध्यक्ष, जोकि विमानन विभाग के सचिव और प्रशासनिक सुधार निगम के सदस्य-सचिव भी हैं; के निजी सचिव के रूप में नियुक्त है, और इन विभिन्न हैसियतों से कार्य करने के लिए अलग अलग निजी सचिवों के अभाव में सम्बद्ध अधिकारी के व्यक्तिक सचिवालय में कार्य करता रहा है ।

राजस्थान में चने का सड़ना

*1472. **श्री प० ला० बारुपाल** : **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राज्य से चने को ले जाने और राज्य में लाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप हजारों क्विंटल चना राजस्थान की मंडियों में सड़ रहा है और कीटों आदि द्वारा नष्ट किया जा रहा है,

(ग) क्या यह भी सच है कि न तो केन्द्रीय सरकार और न खाद्य निगम इस चने को खरीदने के लिये तैयार है, और

(घ) यदि हां, तो चने की हो रही इस बर्बादी को रोकने के लिये, जिसकी अन्य राज्यों में गेहूं के स्थान पर उपयोग के लिये अविलम्बनीय आवश्यकता है, केन्द्रीय स्तर पर इस समस्या को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान की कुछ मंडियों में कुछ चना इकट्ठा हो गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम राजस्थान में उपलब्ध फालतू चना खरीदने की कोशिश कर रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूखमरी से मृत्यु

*1473. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० रानेन सेन :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भुखमरी से मृत्यु के बारे में, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के विशेषज्ञ के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें सरकार द्वारा भुखमरी से मृत्यु का खण्डन किये जाने की बात को "राजनीतिक वक्तव्य" बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। भारत सरकार ने डा० डोनल्ड फारिस, एक कनाडा का नागरिक जोकि हाल ही में "यूनिसेफ" का कर्मचारी था, के प्रकाशित वक्तव्य के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार प्रकाशित वक्तव्य से सहमत नहीं है।

(ग) सरकार ने दोनों संसद में और संसद के बाहर देश में चल रही कमी की स्थिति के बारे में सही स्थिति स्पष्ट कर दी है और इस विशिष्ट मामले में किसी विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

Cow Slaughter

*1474. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Vishram Prasad :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Sanyasis have gone on hunger strike or have launched a Satyagraha some-where in New Delhi for the imposition of a ban on cow-slaughter ;

(b) whether some of them have been arrested;

(c) whether Government have been informed about the police excesses committed on them; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No such complaint has been made by any of the hunger strikers.

(d) Does not arise.

कलकत्ता में पत्तन प्रबन्ध सम्बन्धी संस्था

*1475. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता में पत्तन प्रबन्ध संबंधी संस्था स्थापित की है,

(ख) यदि हां, तो कब,

(ग) एक बार में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा,

(घ) उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा, और

(ङ) क्या इस प्रकार की और संस्थायें भी स्थापित करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ङ) : कलकत्ता पत्तन कमिशनरों ने एक पत्तन प्रबन्ध संस्था स्थापित की है, इस संस्था का उद्घाटन 30 दिसंबर, 1965 को हुआ। यहां पर 25 से 30 अधिकारियों के प्रशिक्षण की सुविधायें मौजूद हैं और ये सुविधायें कामशनरों के नये भर्ती किये गये अधिकारियों तक सीमित हैं। विभिन्न विभागों से लिये गये नये भर्ती किये गये अधिकारियों को पत्तन का विभिन्न शाखाओं के बाबत मोटा तोरसे ज्ञान अर्जन के लिये इस प्रशिक्षण में प्रवर अधिकारियों के लेक्चर शामिल हैं।

ऐसी संस्थाओं को स्थापित करने का ऐसा मामला है जो पत्तन प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ऐसी ही संस्थायें स्थापित करना अन्य पत्तन अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है यदि वे चाहे।

सहकारी विपणन समितियां

*1476. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी विपणन समितियों को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) सहकारी समितियों को अनाज के समाहार के काम में लगाने के लिये प्रशासनिक और अन्य क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) अनाज के क्रय-विक्रय के बारे में पिछले दो वर्षों में कितनी प्रगति हुई है तथा इस वर्ष के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6204/66।]**

Co-operative Societies

*1477. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had held discussions with the Chief Minister of Bihar at Patna in the second week of January, 1966 with regard to the improvements to be made in the working of the Cooperative Societies ; and

(b) if so, the nature of conclusions arrived at for affecting improvements in these societies ?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) & (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The former Minister for Community Development and Cooperation toured Bihar from 5th to 10th January, 1966, participated in a cooperative seminar and

later discussed various problems with the Chief Minister, Bihar. He urged that the cooperative movement which was very weak in Bihar should be strengthened considerably. The following measures were suggested for the purpose :

(a) The credit structure should be made strong through a concerted programme of liquidation of dormant societies and amalgamation of weak societies to form viable and potentially viable units.

(b) Intensive efforts should be made for increasing the membership, share capital and deposits.

(c) Continuous link should be established between cooperative credit, marketing, processing and consumer activities.

(d) Cadres of trained personnel should be built up both in the Department and in the cooperative institutions.

(e) Growth of non-official leadership should be promoted by enabling elected office bearers of cooperative institutions to exercise full powers of management; and

(f) The State Cooperative Union should function as the representative federal organisation in the State.

कृषि उत्पादन

*1478. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए "इनपुटस सप्लाई बैंकों" की स्थापना के संबंध में आज तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) खती की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में कृषि उपकरण, बीज, खाद आदि देने के सम्बन्ध में क्या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, असामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) इस समय इनपुट्स सप्लाई बैंक की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु उर्वरक समिति ने बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि की सप्लाई का समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम की स्थापना करने के बारे में सिफारिश की है। अन्य प्रस्तावों के साथ इस सिफारिस पर भी विचार हो रहा है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6206/66।**]

चीनी सम्बन्धी सेन आयोग

*1479. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 8 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सम्बन्धी सेन आयोग की वर्ष 1965-66 के लिए निम्नतम गन्ना मूल्य सम्बन्धी सिफारिश को छोड़कर अन्य सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि. सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सेन आयोग की बहुत सी सिफारिशें हैं और उनमें से कुछ पर निर्णय ले लिया गया है अर्थात लागत अनुसूचियां, उत्पादन शुल्क में छूट और निर्यात सम्बन्धी हानियों को पूरा करने के लिये उत्पादन शुल्क में वृद्धि। कारखाने से चलते समय के मूल्य निकालने के लिय आयोग द्वारा तैयार की गयी लागत अनुसूचियां स्वीकार कर ली गयी हैं और अब शर्करा के कारखाने से चलते समय के मूल्य इन अनुसूचियों के अनुसार उपयुक्त समायोजन करके निर्धारित किये जाते हैं। यह निर्णय किया गया है कि शर्करा उद्योग को दीर्घकालीन आधार पर उत्पादन शुल्क में छूट देने की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु जब कभी आवश्यकता होगी तब इस पर विचार किया जा सकेगा। शर्करा की निर्यात सम्बन्धी हानियों को पूरा करने के लिये पहली मार्च, 1966 से शर्करा पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 8.35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है।

नागपुर के लिये विमान सेवाएं

*1480. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 19 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1213 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के लिये रात्रि यात्री-विमान सेवायें पुनः आरम्भ की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि ये परिचालन फिलहाल डी०सी–3 विमानों द्वारा किये जाते हैं, इसलिए रात्रि-कालीन हवाई डाक सेवा पर यात्रियों को ले जाना उचित नहीं समझा जाता है।

बम्बई में नया होटल

*1481. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री रामपुरे :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिल्टन्स कंपनी के सहयोग से बंबई में 4 करोड़ रुपये की लागत से एक होटल स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है,

(ख) सरकार की शर्तें क्या है, और

(ग) क्या टाटा समवाय-समूह ने बंबई और कलकत्ता में होटल खोलने के लिये अमेरिकन इंटर-कान्टिनेंटल होटल कारपोरेशन के साथ सहयोग कर लिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) बंबई में एक लग्जरी होटल स्थापित करने के लिये एक भारतीय पार्टी हिल्टन से बातचीत कर रही है। अभी तक सरकार द्वारा मंजरी नहीं दी गई है। यह मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं। मेसर्स इंटर-कांन्टिनेंटल होटल कारपोरेशन आफ अमेरिका के सहयोग से एक होटल की स्थापना और ताजमहल होटल, बंबई, के पुनर्नवीनीकरण और विस्तार करने का एक प्रस्ताव इंडियन होटल्स कंपनी, लि० बंबई से पर्यटन विभाग को मिला है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

अच्छी किस्म के बीजों का संभरण

*1482. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों को कितनी मात्रा में अच्छी किस्म के बीज दिये जाते हैं;

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से देश को अच्छी किस्म के बीजों के सम्भरण के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस कार्य में कितना समय लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग): एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6206/66।]**

मावूर का हवाई अड्डा

4738. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाबार वाणिज्य मंडल ने सरकार से प्रार्थना की है कि वह बिड़ला कम्पनी, मावूर के अपने निजी हवाई अड्डे को प्रयोग में लाने के संबंध में, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले;

(ख) क्या वाणिज्य मंडल ने कोजीकोड-कोचीन-कोयम्बटूर होकर बम्बई-मंगलौर डकोटा विमान सेवा का विस्तार करने की प्रार्थना की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा बम्बई-मंगलौर डकोटा विमान सेवा का विस्तार करने का है ताकि मावूर हवाई अड्डे का प्रयोग किया जा सके ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): जी, हां।

(ग) प्रस्ताव पर बहुत सावधानी से विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वेलारी (मावूर) से होकर डकोटा विमान तक से भी एक अनुसूचित विमान सेवा चलाना सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं होगा।

केरल में कोयलयोट्टम बंदरगाह

4739. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की कोयलयोट्टम बन्दरगाह में जहाजों को ठहराने की व्यवस्था नहीं है और जहाजों को समुद्रतट से आधा मील से लेकर एक मील की दूरी पर खड़ा किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो इस बन्दरगाह का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): कोयलथोट्टम एक खुला बंदरगाह है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि स्टीमर खुले समुद्र में तट से लगभग तीन मील की दूरी पर ठहरकर केवल इलमेनाइट का माल उठाते हैं। पिछले तीन वर्षों से इस पत्तन से इलमेनाइट के लिये विदेशी खरीदारों की मांग प्रतीयत: समाप्त हो गई है। चूंकि कोयलथोट्टन के निकट नींदाकारा पर 135.65 लाख रुप्ये की प्राक्कलित लागत पर एक माल पत्तन की स्थापना प्रगति पर है इसलिये राज्य सरकार कोयलथोट्टन पत्तन को विकसित करना जरूरी नहीं समझती है।

मद्रास में छोटे पत्तनों का विकास

4740. श्री अ०क० गोपालन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड ने आपातकालीन उपाय के रूप में मद्रास में छोटे पत्तनों के विकास के लिये कुछ योजनाओं की सिफारिश की है, जिन पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च होंगे ;

(ख) बची हुई परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग): दिसंबर, 1965 में कलकत्ता में हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय हारबर बोर्ड ने निर्णय किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकारों द्वारा छोटे और मध्यवर्ती पत्तनों के बारे में दिये गये प्रस्तावों पर परिवहन मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिये और तब परिवहन मंत्रालय द्वारा अपनी सिफारिश योजना आयोग को दी जानी चाहिये। 1966-67 की वार्षिक योजना भी इन प्रस्तावों का अंग है। विचार-विमर्ष हो गया है और सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1966-67 के लिये मद्रास सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि का अलग अलग खर्च नीचे दिया जा रहा है :—

(1) छोटे पत्तनों की नयी योजनायें :

	(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
कुड्डालोर	32.40	
तूतीकोरिन	16.50	
नागापत्तिनाम	3.00	
इन्नोर	3.60	
कुलशेखरपत्तिनम	1.00	
	56.50	56.50
(2) छोटे पत्तनों की पिछली योजना से आगे लायी गयी योजनायें		48.90
		105.40

भूमि पर खेती

4741. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न किस्मों की 8 करोड़ 70 लाख एकड़ भूमि पर खेती नहीं की जाती; और

(ख) यदि हां, तो उस भूमि पर खेती करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) देश के 1964-65 के भूमि उपयोग के आंकड़ों के अनुसार खेती योग्य परती भूमि का क्षेत्र 812.5 लाख एकड़ है। परन्तु इस समस्त क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती क्योंकि यह बड़ा महंगा पड़ेगा। खेती के अन्तर्गत लाने से पहले काफी बड़े क्षेत्र का सुधार करना पड़ेगा।

(ख) परती भूमि के वितरण का कार्य भूमि आवंटन के सामान्य नियमों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तथा भूमिहीन कृषि कार्यकर्ताओं को बसाने की एक केन्द्रीय योजना के अनुसार किया जाता है। सामान्य आवंटन नियमों के अनुसार राज्य सरकारों ने अब तक भूमिहीन परिवारों तथा अनार्थिक भूमिधारियों को लगभग 110 लाख एकड़ परती भूमि का आवंटन किया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अनुसार अब तक लगभग 3.81 लाख एकड़ भूमि को बांटा गया है और उसमें खेती शुरू कर दी गई है। चतुर्थ योजना की अवधि में 29,960 परिवारों को बसाने के लिए 2,09,700 एकड़ परती भूमि को सुधारने का प्रस्ताव है।

फसलों का नमूना सर्वेक्षण

4742. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल में फसलों का नमुना सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह सर्वेक्षण कब पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों ने भूकर सर्वेक्षण का आद्यतन करने के सम्बन्ध में की गई सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) फसलों का नमुना सर्वेक्षण केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग): जी नहीं। राज्य सरकारें भूकर सर्वेक्षण का आद्यतन करने के सम्बन्ध में की गई सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही कर रही हैं। स्टेट प्लान के एक भाग के रूप में बिना सर्वेक्षण किये गए क्षेत्रों के सर्वेक्षण हेतु और बहुत पहले सवक्षण किये क्षेत्रों के पुनः सर्वेक्षण के लिए योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। स्टेट परियोजनाओं के रूप में क्रियान्वित की गई योजनाओं के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई है।

केरल में भूमि के लगान की अदायगी

4743. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ऐसे अनेक किसान हैं जो, केरल भूमि सुधार अधिनियम में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत लगान की बकाया राशि को किस्तों में अदा नहीं कर सके ह;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायालयों में अनेक मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) क्या अदायगी के लिए अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ): एक विवरण रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6207/66 ।]**

केरल में पंचायत यूनियन

4744. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पंचायत यूनियन स्थापित करने के लिये कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) पंचायत यूनियन कब तक स्थापित की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) व (ख): केरल राज्य में पंचायत संघ परिषदें तथा जिला परिषदें स्थापित करने से सम्बन्धित विधेयक राज्य विधान सभा के भंग किए जाने के फलस्वरूप व्यपगत हो गया । विधान को अंतिम रूप दिए जाने तक के लिए राज्य सरकार ने कार्यकारी आदेशों द्वारा खण्ड विकास समितियों को अधिक अधिकार तथा कार्य हस्तांतरित किए हैं ।

थेक्काड़ी में हवाईपट्टी

4745. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में थेक्काडी में एक हवाई पट्टी बनाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : थेक्काडी के निकट एक स्थान का निरीक्षण किया गया है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

निर्बल वर्ग की सहायता

4746. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने "निर्बल वर्ग" की क्या परिभाषा की है;

(ख) वर्ष 1965-66 में निर्बल वर्गों की सहायता करने के लिये, सामान्य रूप से अन्य राज्यों में और विशेष रूप से बिहार में सहकारी क्षेत्र में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सहकारी समितियों को निर्बल वर्गों के लोगों की सेवा करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने कितनी सहायता दी है अथवा देने का वचन दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 14 राज्यों ने "कमजोर वर्ग" की परिभाषा की है। प्रत्येक राज्य द्वारा अपनाई गई परिभाषा संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6208/66।]**

(ख) वर्ष 1965-66 में बिहार में रिक्शा चालकों तथा मछुओं की सहकारी समितियां गठित की गई तथा उन्हें सहायता दी गई। ग्रामदान और भूदान क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां स्थापित की गई।

सामान्यत: सभी राज्यों के सहकारी क्षेत्रों में इस प्रकार की समितियां गठित की जा रही है। इसके अलावा कमजोर वर्गों की सहायता के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सहकारी समितियां, कार्यात्मक (फंक्शनल) समितियां जैसे श्रम ठेका व निर्माण सहकारी समितियां तथा धोबियों की सहकारी समितियां और सहकारी खेती समितियां भी गठित की गई हैं। कमजोर वर्गों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए धन सुलभ करने में जो जोखिम निहित हैं उनको पूरा करने के लिए केन्द्रीय बकों तथा प्राथमिक बैंकों को, वर्ष विशेष में दिए गए ऋणों में हुई वृद्धि के आधार पर, सीधा अनुदान मंजूर करने की योजना लागू की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए लगभग 89 लाख रुपए की राशि राज्य सरकारों को मंजूर की, जब कि सहकारिता विभाग ने कार्यात्मक (फंक्शनल) सहकारी समितियों के लिये 19.24 लाख रुपए, सहकारी खेती समितियों के लिए 93.30 लाख रुपए और ग्रामदान तथा भूदान क्षेत्रों की सहकारी समितियों के लिए 18.99 लाख रुपए मंजूर किए।

(ग) सहकारी समितियों को समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) डेरी, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा आवास के क्षेत्र में सामान्य कार्यक्रमों का निर्धारित निधि के साथ इस प्रकार समन्वय स्थापित करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ परिभाषित कमजोर वर्गों को ही मिले;

(2) अनुसूचित जन-जातियों के लिए एकीकृत सेवा सहकारी समितियों, प्राथमिक विपणन समितियों और वन श्रम सहकारी समितियों का गठन; और

(3) कार्यात्मक (फंक्शनल) सहकारी समितियां अधिकाधिक संख्या में गठित करना।

सहकारी विपणन

4747. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में सहकारी विपणन में विशेषकर अनाज के मामले में की गई प्रगति के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : वर्ष 1965-66 के सहकारी विपणन से सम्बन्धित पूरे आंकड़े केवल जून, 1966 में सहकारी वर्ष समाप्त होने पर मिल सकेंगे। खरीफ खाद्यान्न की फसल के बारे में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6209/66।]**

स्वीडन से मछली पकड़ने की नावें

4748. श्री वासुदेवन नायर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मीनक्षेत्र विभाग स्वीडन से मछली पकडने की पांच नावें प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके दाम क्या होंगे; और

(ग) नावें कब तक मिल जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) से (ग): मत्स्य-हरण नौकाओं के आयात के लिये स्वीडिश ऋण हेतु एक करार को अन्तिम रूप देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रत्येक नौका पर लगभग 5 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है। सुपुर्दगी की तारीख, राज्यों को नौकाओं का नियतन और अन्य ब्यौरे ऋण के बारे में करार हो जाने के बाद, तय किये जाएंगे।

बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा

4749. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री बहादुरगढ़ तथा केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली के बीच एक सीधी बस सेवा चालू करने के बारे में 22 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2524 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में इस बीच कितनी प्रगति हुई है तथा उक्त सेवा कब चालू कर दी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : परमिट को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबाला ने प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया है। दिल्ली नगरनिगम द्वारा भाड़ा संरचना के अनुमोदित हो जाने पर बहादुरगढ़ से केन्द्रीय सचिवालय मार्ग पर प्रस्तावित सेवा चालू कर दी जायेगी।

इटली से खाद्य का उपहार

4751. श्री राम हरख यादव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 7 अप्रैल, 1966 को इटली से खाद्य का उपहार आया है, और

(ख) यदि हां, तो उपहार का विवरण क्या है तथा वह कितने मूल्य का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन): (क) और (ख) : ट्राइटोन जहाज 6 अप्रैल, 1966 को बम्बई पहुंचा था और जहाज़ से उपहार की औपचारिक सुपुर्दगी लेने के लिये 7 अप्रैल, 1966 को घाट पर लगाया गया था। यह जहाज़ लगभग 9372 मीटरी टन गेहूं, 83.2 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण और 20 मोटर गाड़ियां तथा फालतू पुर्जे जो कि इटली के एक स्वायत्त अर्धसरकारी संगठन आर०ए०आई० टेलीविज़न ने दान में दिये हैं, लाया था। ट्राइटोन द्वारा लाये गये खाद्य उपहारों का मूल्य लगभग 30 लाख रुपये है। आर०ए०आई० टेलीविज़न ने भारत में कमी से राहत के लिये लगभग 80 लाख डालर एकत्रित किये थे। उन्होंने इस राशि का उपयोग भारत में कमी से राहत के लिये निम्न मदें उपहार में देने के लिये किया :--

	मात्रा		
गेहूं	30,000	मीटरी टन	अनुमानतः
आटा	10,116	,,	,,
चावल	11,900	,,	,,
दुग्ध चूर्ण	83.2	,,	,,
ट्रक तथा गाड़ियां	152		

उपर्युक्त आंकड़ों में ट्राइटोन द्वारा लाये गये उपहार सम्मिलित हैं।

इटली से अन्य उपहार भी आये है। मैसर्स सनम इण्डिया लि० एक इटली की फर्म जोकि भारत में कार्य कर रही है, ने चालू हालत में तीन लेलैण्ड ट्रक दिये हैं। एक इटली की फर्म ने 25,000 पौण्ड

मकरोनी और अन्य फर्म ने 10,000 बोतलें औषधीय शरब्बत दिये ह। रोम में हमारे दूतावास में नकद तथा खाद्य पदार्थों के छोटे दान भी मिले हैं।

दिल्ली और दमिश्क के बीच विमान सेवा

4752. श्री राम हरख यादव : क्या **परिवहन, उडड्यन, नौवहन, तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और दमिश्क के बीच एक विमान सेवा आरम्भ की जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उस सेवा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। सीरियन अरब एयरलाइंस 3 मई, 1966 से दमिश्क और दिल्ली के बीच एक विमान सेवा आरंभ करेगी।

(ख) यह विमान सेवा दमिश्क-डोहा-शारजाह या डुबाई-कराची-दिल्ली मार्ग पर सप्ताह में एक बार चलायी जायेगी।

(ग) भारत सरकार और सीरियन अरब गणराज्य की सरकार के बीच कोई द्विपक्षीय विमान सेवा करार नहीं है, लेकिन दोनों सरकारों के शिष्टमण्डलों के बीच नयी दिल्ली में फरवरी/मार्च, 1966 में हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप विमान सेवाओं के पारस्परिक परिचालन के लिए भारत सरकार के वमानिक प्राधिकारियों और सीरियन अरब गणराज्य की सरकार के बीच अस्थायी प्रबन्ध कर लिये गए हैं।

केरल में अम्बालापुजहा-इदाथुआ सड़क

4753. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में अलेप्पी जिला, केरल राज्य में अम्बालापुजहा-इदाथुआ सड़क के कार्य को पूरा करने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितना धन नियत किया गया है, और

(ग) क्या इस सड़क के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है,

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : अम्बाला-पुजहा–इदाथुआ सड़क राज्य सड़क है। अतः इसके विकास से प्रधानतः केरल सरकार संबधित है। राज्य मुख्य इन्जीनियर ने सूचित किया है कि इस सड़क के विकास के सब निर्माण कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है और इस निर्माण कार्य के लिये 1966-67 के बजट में 1.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। परंतु इस सारे कार्य के चालू वित्तीय वर्ष में पूरा होने की आशा नहीं है। राज्य सरकार को इस विषय में एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है।

केरल में आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कें

4754. श्री मनोहरन :

श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केरल सरकार की आदिम-जाति क्षेत्रों में सड़क बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : जी हां। राज्य मुख्य इंजीनियर ने सूचित किया है कि 42.20 लाख रुपये की लागत से राज्य के आदिम जाति क्षेत्रों में $83\frac{1}{2}$ मील लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिये राज्य सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताओं में व्यवस्था की गई है। अभी तक चौथी पंचवर्षीय योजना में की गयी व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं किया गया है।

कालीकट में हवाई अड्डा

4755. श्री मनोहरन :

श्री अ० व० राघवन :

श्री मोहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में एक नये हवाई अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में इस वर्ष में क्या कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : हवाई अड्डा बनाने के लिए योजनाएं और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

Cultivation of Tobacco

4756. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the acreage of land on which to bacco was cultivated in Maharashtra during 1965-66;

(b) whether during the said period the production of tobacco has been comparatively much more as compared tc last year; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) to (c). The final crop forecast report will be available only in October/November, 1966. It is, therefore, not possible to give information about the acreage and production for 1965-66 at this stage.

अनाज का उत्पादन

4757. श्री किशन पटनायक : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में पैदा हुए अनाज के राज्यवार आंकड़े क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 में धान के अतिरिक्त अन्य अनाजों के उत्पादन आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : 1965-66 के खरीफ तथा रबी के प्रमुख अनाजों के उत्पादन के राज्यवार कच्चे अनुमान तथा 1964-65 के अन्तिम अनुमान संलग्न विवरणों (1 तथा 2) में दिये गये । अभी तक राज्य सरकारों से अन्य खाद्यान्नों के राज्यवार आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं । जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है इन फसलों के कच्चे अनुमान संलग्न विवरण 3 में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6210/66 ।]**

धान का उत्पादन

4758. श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा राज्य में कितना धान पैदा होने का नवीनतम अनुमान है;

(ख) वर्ष 1964-65 में कितना धान पदा हुआ था;

(ग) पिछले छः महीनों में उड़ीसा ने अन्य राज्यों को कितना खाद्यान्न दिया; और

(घ) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह अन्य राज्यों को धान अथवा चावल नहीं देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चावल के हिसाब से लगभग 32.49 लाख मीटरी टन ।

(ख) 1964-65 में उड़ीसा में धान की कुल पदावार चावल के हिसाब से 44.21 लाख मीटरी टन हुई ।

(ग) पहली नवम्बर, 1965 से 25 अप्रल, 1966 तक की अवधि में लगभग 86,000 मीटरी टन ।

(घ) उड़ीसा सरकार के इस निर्णय से सरकार अवगत नहीं है ।

खंड विकास अधिकारी

4759. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार राज्य में सामुदायिक विकास खंडों में खंड-विकास अधिकारियों तथा अन्य विस्तार कर्मचारियों के पदों को जारी रखने अथवा समाप्त करने के प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या मसूर राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अथवा योजना आयोग से परामर्श किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं । पूछने पर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मैसूर के विकास तथा पंचायती राज मंत्री ने केवल यह कहा था कि जिन स्थानों में इष्ट उपलब्धि नहीं हुई है वहां कुछेक श्रेणियों के विस्तार कर्मचारियों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाए ।

(ख) व (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Pumping sets for Minor Irrigation works

4760. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the total number of pumping sets installed for minor irrigation purposes throughout the country during the First, Second and Third Five Year Plans together with the number of actually working and non-working sets;

(b) the steps taken to repair and restart the pumping sets which are not working or towards their installation at other places; and

(c) the number of pumping sets state-wise, to be installed during the Fourth Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) to (c).

The required information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received from them.

भारत में कृषि प्रणाली का पुनरनुस्थापन

4761. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1965 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के मूल्यांकन निदेशक, डा० ज० पी० भट्टाचार्जी ने भारत में कृषि-प्रणाली का पुनरनुस्थापन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): इलाहाबाद में 26 दिसम्बर, 1965 को इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल एकोनोमिक्स के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर डा० जे० पी० भट्टाचारजी द्वारा दिये गये अध्यक्षीय भाषण से इस प्रेस रिपोर्ट का सम्बन्ध है। उनके भाषण का मुख्य विषय "थ्यूरी एण्ड प्रिन्सिपलज़ आफ एग्रीकल्चरल इकानामिक्स" था। "इन दी ट्रैडीशनल सोसायटीज" तथा "मीनिंगफुल गाइड-लाइनज़ फार इट्स डेवलपमेंट" कृषि की रीति को व्यक्त करने में उपलब्ध आर्थिक सिद्धान्तों की सीमाओं पर उन्होंने अपने विचार रखे। ये मामले मुख्यतया कृषि अर्थशास्त्र में अनुसन्धान का कार्य करने वालों तथा अर्थशास्त्रियों के लिए दिलचस्प हैं। भाषण में किसानों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया गया। उन्नत औजारों तथा अन्य उन्नत कृषि तरीकों को प्रयोग में लाने के लिये किसानों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने को महत्व दिया गया है और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावों के बनाने और उनको कार्यरूप में लाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

खेती वाली बेकार पड़ी भूमि का अनुमान

4762. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेती वाली बेकार पड़ी भूमि के बारे में अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) इस प्रकार की भूमि सबसे अधिक किस राज्य में है; और

(घ) कुल कितनी बेकार भूमि पर सरकार का कब्जा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1964-65 के लिए देश के भूमि उपयोगिता आंकड़ों के अनुसार देश में बकार भूमि का प्रलिखित क्षेत्र 81.25 मिलियन एकड़ है। बेकार भूमि के इस सारे प्रलिखित क्षत्र में कम लागत पर खेती नहीं की जा सकती। बड़े क्षेत्र में खेती करने से पहले उसका सुधार करना होता है। अत: बकार भूमि के प्रलिखित क्षेत्र का वर्गीकरण करना होगा और बेकार भूमि के खेती योग्य क्षेत्र का अनुमान लगाना होगा। ऐसा अनुमान केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्यों में लगाया जा रहा है।

(ख) अभी तक ऐसे 3.8 मिलियन एकड़ क्षेत्र का पता लगाया गया है जिसको कम लागत पर सुधारा और खेती योग्य बनाया जा सकता है।

(ग) अधिकतम बेकार भूमि राजस्थान राज्य में उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार अब तक सर्वेक्षण किये गये और सुधार तथा खेती योग्य पाये गये क्षेत्रों में से अधिकतर क्षेत्र सरकारी हैं केवल 1.63 लाख एकड़ भूमि गैर-सरकारी है।

आयोजन सम्बन्धी अग्रिम परियोजनायें

4763. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में एक या दो जिले निचले स्तर से आयोजन करने की अग्रिम परियोजना के रूप में चुने गये हैं; और

(ख) इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से जिले चुने गये हैं; और

(ग) क्या सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कहा गया है कि वे क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर एकीकृत क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के लिए दो या तीन जिले (राज्य के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्रों में से एक) चुनें। जिन जिलों में सर्वेक्षण शुरू किए गये हैं उनकी सूची अनुबन्ध में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6211/66।]** जिले हाल ही में चुने गए हैं और सर्वेक्षण अभी चल रहा है। अभी परिणाम बताने का समय नहीं आया है।

पश्चिमी बंगाल से बिहार तथा बिहार से उत्तर प्रदेश में धान ले जाना

4764. श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल से बिहार और बिहार से उत्तर प्रदेश में धान ले जाने पर कड़ा प्रतिबन्ध है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि फसल की कटाई के समय बहुत बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर उत्तर प्रदेश से बिहार के साथ के जिलों में जाते हैं और प्राय: उन्हें मजूरी के रूप में धान दिये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि बिहार में किशनगंज के अनेक निवासियों को राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के पश्चात पता चला कि अब उनके खेत जिन क्षेत्रों में हैं, वे पश्चिमी बंगाल को दे दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो धान ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण इन लोगों को होने वाली अत्यधिक कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, और उत्तर प्रदेश--प्रत्येक राज्य को चावल का एक अलग अलग क्षेत्र बना दिया गया है और परमिटों के अधीन और कुछ छूटों के अतिरिक्त इन राज्यों से और इन राज्यों में धान के संचलन की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) उत्तर प्रदेश के वास्तविक खेतिहर मजदूरों को बिहार से लौटने पर प्रत्यक को 5 किलोग्राम की दर से धान लाने की अनुमति है। बिहार में किशनगंज के निवासियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्य ऐसे निवासियों जिनके फार्म राज्य सीमाओं के दूसरी तरफ हैं, के लिये ऐसे प्रबन्ध हैं जिससे ऐसे निवासियों और उनके परिवारों की वास्तविक खपत के लिये अपेक्षित मात्राओं के संचलन हेतु परमिट दिये जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में तैयार किया गया कलिम्पोंग प्रथम श्रेणी का धान का बीज

4765. श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में तैयार किये गये धान की कलिम्पोंग प्रथम श्रेणी के बीज के बारे में कोई परीक्षण किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख): केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, कटक द्वारा परीक्षण किये जा रहे ह। मई, 1966 के अन्त तक दूसरी फसल के कटने के बाद ही परिणामों का पता चलेगा।

प्राथमिक विपणन समितियां

4766. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अब तक, राज्यवार, कितनी प्राथमिक विपणन समितियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) 1966-67 में राज्यवार ऐसी कितनी समितियां स्थापित की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6212/66।]**

उत्तर प्रदेश में बीज फार्म

4767. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उत्तर प्रदेश में कुछ बीज फार्म स्थापित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश को इस कार्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख): 1965-66 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नत बीजों के वर्द्धन, भण्डारन तथा वितरण की स्कीम के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर अग्रिम कार्यवाही करने के रूप में दौराला (मेरठ ज़िला) में एक बीज फार्म की स्थापना की है। यह फार्म दौराला शुगर फेक्टरी की उस भूमि पर स्थापित किया गया है जो भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने के अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी। 1965-66 में राज्य सरकार ने इस फार्म के लिए 2.88 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया था। उन्नत बीजों के संवर्द्धन तथा वितरण की योजना के अन्तर्गत 57,500 रुपये की निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकती है :—

25 एकड युनिट के बीज वर्द्धन फार्म के लिए

व्यय की मद	कुल लागत रुपये	ऋण रुपये	उपदान रुपये
1. भूमि की लागत 1,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से .	37,500	9,375 (25 प्रतिशत)	28,125 (75 प्रतिशत)
2. बीज भण्डार की लागत 10,000 रुपये प्रति स्टोर के हिसाब से . .	10,000	2,500 (25 प्रतिशत)	7,500 (75 प्रतिशत)
3. सिंचाई सुविधाओं की लागत 10,000 रुपये प्रति फार्म के हिसाब से	10,000	10,000 (100 प्रतिशत)	—
कुल .	57,500	21,875	35,625

1958-59 से राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के विषय में संशोधित क्रियाविधि लागू करने के पश्चात केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति "कृषि उत्पादन" लघु सिंचाई तथा भूमि विकास इत्यादि "विकास शीर्षकों" के अन्तर्गत दी जाती है। 1958-59 से योजनावार स्वीकृति देने की पद्धति त्याग दी गई है। अतः बीज फार्मों के लिए मिलने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा के बारे में पृथक रूप से बतलाना कठिन है। यह स्कीम कृषि उत्पादन-विकास शीर्षक के अन्तर्गत

आती है। उत्तर प्रदेश सरकार को उपरोक्त विकास शीर्षक के अन्तर्गत 1965-66 में ऋण तथा अनुदान के रूप में 204.68 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। यह राशि प्रत्याशित व्यय पर आधारित है और उस वर्ष के वास्तविक व्यय के समूचे आंकड़ उपलब्ध होने पर इसमें संशोधन हो सकता है।

Irrigation by Sub-soil Water

4768. Shri Vishwa Nath Pandey : Will tne Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact tnat a Soviet soil expert has expressed the view that a major area of Thar desert in North-West India is irrigated with sub-soil water ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : A Soviet Expert nad expressed the view that irrigation in the arid areas of India by sub-soil water could be provided on a much larger scale than hitherto. This view was, however, not accepted as it was found on examination that it was based on incomplete data.

विशेष खाद्य पदार्थों का पैदा करना

4769. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य संकट का सामना करने के लिये विशष खाद्य पदार्थ, जैसे फल, सब्जियां तथा कन्द (ट्यूबर) पदा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इन योजनाओं पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) विशेष विकास (क्रश) कार्यक्रम के अन्तर्गत फलों, सब्जियों तथा आलुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगभग सभी राज्यों में 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाएं स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 1965 में आपत्कालीन खाद्य उत्पादन अभियान के अन्तर्गत राज्यों से कहा गया था कि वे अधिक क्षेत्रों में आलू, टपिओका तथा मीठा आलू बोये और किचन गार्डनों में सब्जियां लगवायें।

(ख) 1964-65 तथा 1965-66 के दौरान 67.58 लाख रुपये राज्यों को स्वीकृत किये गये थे।

(ग) सूचना मिली है कि राज्यों में लगभग 3.22 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में फल, सब्जियां और आलू बोये गए। इससे कठिन वर्ष में बड़ी सहायता मिली है।

उड़ीसा में छोटे सिंचाई कार्य

4770. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए 1966-67 में अतिरिक्त धन नियत किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1966-67 की अवधि में उड़ीसा में लघु सिचाई कार्यों के लिए 280 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त 27 अप्रैल, 1966 को राज्य सरकार से एक और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने अभावग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त लघु सिचाई कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये मांगा है ।

(ख) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता

4771. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में विभिन्न राज्यों के लिए लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर कितना व्यय होगा और उसके लिए कितनी राशि नियत करने का विचार है;

(ख) क्या 1965-66 में नियत किये गये धन का पूर्ण उपयोग किया गया है और सिंचाई के लिए किसानों ने उसका कितना लाभ उठाया है; और

(ग) 1965-66 में उसके प्रयोग से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1966-67 में विभिन्न राज्यों के लिए लघु सिंचाई की योजनाओं के लिए स्वीकृत किया हुआ व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6213/66।]**

(ख) आशा है कि 1965-66 की अवधि में विभिन्न राज्यों को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए नियत किया हुआ 76.27 करोड़ रुपया पूर्ण रूप से व्यय हो जायेगा । इस वर्ष की अवधि में लगभग 38.2 लाख एकड़ भमि को लघु सिंचाई से लाभ पहुंचेगा ।

(ग) कृषि में भौतिक आदानों को मिश्रित रूप से काम में लाया जाता है । अत: यह कहना कठिन है कि केवल एक कारण से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। परन्तु एक मोटे अनुमान के अनुसार लघु सिंचाई योजना से लाभ उठाने वाली प्रति एकड़ भूमि में 1/5 टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन बढ़ा है ।

रासायनिक उर्वरकों की खपत

4772. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत बहुत कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। बल्कि रासायनिक उर्वरकों की खपत देश में धीरे-धीरे बढ़ी है। यह निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

वर्ष	खपत		
	नाईट्रोजन	$पी_2 0_5$	$के_{20}$
1961-62	2,42,404	60,000	28,000
1962-63 . . .	3,05,805	83,000	36,000
1963-64 . . .	3,99,352	1,16,000	51,000
1964-65 . . .	5,38,006	1,49,000	69,000
1965-66 (सम्भावित) . . .	6,00,000	1,50,000	90,000

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केरल में कृषि-योग्य परती भूमि

4773. श्री प० कुन्हन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसी कितने एकड़ परती भूमि अब भी बेकार पड़ी हुई है जो खेती करने योग्य है; और

(ख) इस भूमि पर खेती करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केरल राज्य में खेती-योग्य परती भूमि का क्षेत्र लगभग 65,880 एकड़ है।

(ख) परती भूमि को मुख्यतः भूमिहीन कृषकों को बसाने के काम में लाया जा रहा है। भारत सरकार ने कन्नानोर ज़िले की 28,000 एकड़ परती भूमि पर 7,000 परिवारों के बसाने की योजना को हाल ही में स्वीकार कर लिया है। परती भूमि को खेती के अन्तर्गत लाने के लिए केरल भूमि-उपयोग आदेश को भी लागू किया जा रहा है। कुछ परती में सी आईलैंड काटन, धान या टेपिओका की खेती करने और काजू के बाग लगाने के लिए भी कुछ योजनायें तयार की गई हैं।

पंजाब में भाण्डागार

4774. श्री दलजीत सिंह : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितने भाण्डागार हैं और किस-किस स्थान पर; और

(ख) 1966-67 में उस राज्य में कितने भाण्डागार खोलने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) ये कुल 79 भाण्डागार हैं। इनमें से 72 भाण्डागार पंजाब राज्य भाण्डागार निगम और

शेष 7 केन्द्रीय भाण्डागार निगम के हैं। इन भाण्डागारों की स्थिति संलग्न विवरण में दी जाती है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6214/66।]**

(ख) 1966-67 में राज्य भाण्डागार निगम का 7 भाण्डागार खोलने का विचार है।

रूस में बने ट्रैक्टर

4775. श्री सुबोध हंसदा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस में बने बीस हजार ट्रैक्टर इस वर्ष हमारी भूमि को जोत रहे हैं;

(ख) क्या ये सब ट्रैक्टर काम करने के लिये ठीक हालत में हैं;

(ग) क्या इन ट्रैक्टरों के पुर्जे नहीं मिलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में इनके पुर्जे उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : अब तक लगभग 12,000 रूसी ट्रैक्टर आयात किये गये हैं जिनमें से लगभग 10,000 कृषि प्रयोग के लिए बेच दिये गये हैं। चालू वर्ष में वास्तव में कितने खेत जोतने के काम में आ रहे हैं और इन ट्रैक्टरों की वर्तमान स्थिति क्या है इस विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) : रूसी ट्रैक्टरों के लिए फालतू पुर्जों की कमी नहीं है। ट्रैक्टरों के मूल्य के 15 प्रतिशत कीमत के फालतू पुर्जे अब अनिवार्य रूप से ट्रक्टरों के साथ आयात करने होते हैं। फालतू पुर्जे भी तदर्थ आधार पर आयात किये जाते हैं।

सरजू नदी पर पुल

4777. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री राम हरख यादव :**

श्री दि० चं० शर्मा : **श्री मुरली मनोहर :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में बरहाल गंज और दोहरी घाट के बीच सरजू नदी पर एक स्थायी सड़क पुल बनाने की परियोजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां तो कब;

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी और उसमें से कितनी राशि केन्द्र द्वारा दी जायेगी; और

(घ) कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल 1966 तक।

(ग) चूंकि पुल राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 29 पर पड़ता है इस लिये उसकी पूरी लागत की पूर्ति जो 163 लाख रुपये प्राक्कलित की जाती है केन्द्रीय सरकार करेगी।

(घ) ठेका देने के बाद से लगभग तीन वर्ष की अवधि में निर्माण-कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।

केंद्रीय कृषि अधिकारी कालेज (सेंट्रल एग्रीकल्चरल स्टाफ कालिज)

4778. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत में एक केन्द्रीय कृषि अधिकारी कालिज (सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल स्टाफ कालिज) स्थापित करने के प्रस्ताव के ब्यौरे के बारे में सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : प्रस्ताव के ब्यौरे अभी विचाराधीन हैं।

बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में कानून

4779. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **विधि** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को गोद लेने से सम्बन्धित कानून को अद्यतन रूप देने के प्रश्न पर इस बीच बिचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) : मामला भी विचाराधीन है।

उर्वरकों सम्बन्धी गोष्ठी

4780. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर 1965 में हुई राष्ट्रीय उर्वरक गोष्ठी में की गई चर्चाओं पर आधारित भारतीय उर्वरक संघ की सिफारिशों पर इस बीच विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय उर्वरक गोष्ठी में की गई चर्चाओं के आधार पर भारतीय उर्वरक संघ ने सरकार को कोई विशेष सिफारिशें नहीं की हैं। उर्वरक संघ ने सूचित किया है कि वह विभिन्न सिफारिशों के बारे में संबंधित सरकारी अधिकारियों से बात करेगा। गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों तथा उसके निर्णयों की एक प्रति संघ से प्राप्त हुई थी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित महत्व-पूर्ण सिफारिशें तथा निर्णय व उनके बारे में सरकारी दृष्टिकोण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6215/66**।]

तीसरे आम चुनावों सम्बन्धी प्रतिवेदन

4781. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **विधि** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे आम चुनावों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने (1) निर्वाचन तंत्र, (2) निर्वाचक नामावलियों, (3) निर्वाचन विषयक सामग्री, (4) निर्वाचन कार्यक्रम, (5) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार कार्य के पहलुओं, (6) मतदान, (7) मतों की गणना, और (8) निर्वाचन याचिकाओं के बारे में निर्वाचन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

इन सिफारिशों की परिपालन के लिए, जहां तक कि इनका विधान द्वारा परिपालन अपेक्षित है, निर्वाचन विधि को संशोधित करने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है ।

परिवहन समन्वय समिति

4782. श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में असनिक उड्डयन समेत परिवहन के सभी तरीकों में तालमेल बैठाने की समस्याओं पर विचार करने के लिये समिति स्थापित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन है और समिति के निर्देश-पद क्या है; और

(ग) यह समिति कब से काम करना आरम्भ कर देगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) परिवहन, विमानन, नौवहन और पर्यटन मंत्रालय ने एसी कोई समिति स्थापित नहीं की है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है ।

पंजाब में नलकूपों की खुदाई (ड्रिलिंग)

4783. श्री दलजीत सिंह : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में, जिलेवार, सिंचाई प्रयोजनों के हेतु "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 में केन्द्रीय सरकार का कितने नल-कूप लगाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सिंचाई प्रयोजनों के हेतु नलकूप लगाने का दायित्व राज्य सरकारों पर है । फिर भी खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन समन्वेषी नलकूप संगठन नलकूप

सिंचाई द्वारा विकसित किये जाने योग्य क्षेत्रों का पता लगाने में राज्यों की सहायता करने हेतु राज्य सरकारों की सलाह से राज्यों में भूमिगत जल समन्वेषण के कार्य को हाथ में लेता है। प्रमाणित सम्भाव्य साधन के उपयोग का दायित्व भी राज्य सरकारों पर है। सिंचाई के लिए उत्पादन नलकूपों के निर्माण में भी संघठन राज्य सरकारों की सहायता करता है। ऐसे बोरों के समन्वेषण के दौरान जिनमें काफी पानी निकलता है को उत्पादन नलकूपों में बदल दिया जाता है ताकि सम्बन्धित राज्य सरकारें उनका उपयोग कर सकें। ऐसे नलकूपों की लागत राज्य सरकार से ऋण स्वीकृत करके ली जाती है।

2. 1966-67 के दौरान समन्वेषी नलकूप संगठन ने पंजाब के मोहिन्द्रगढ़ जिले में पांच समन्वेषी बोर खोदने का कार्यक्रम बनाया है।

केरल में यूकलिप्टस् की खेती

4784. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम जिला विकास परिषद् ने सरकार से प्रार्थना की है कि थेक्काडियम में यूकलिप्टस् की खेती आरम्भ न की जाये, क्योंकि ऐसा करने से जंगली जीवों के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यूकलिप्टस की खेती का बढ़ावा क्षेत्र में जंगली जीवों पर किसी तरह हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगा बल्कि आश्रय-स्थलों की सुन्दरता की वृद्धि करेगा और जंगली जीवों के लिए बेहतर सुविधायें प्रदान करेगा।

Black-Marketing of Fertilisers

4785. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Andhra Pradesh Government have requested the Central Government to delegate to them powers which may enable them to check black-marketeering in fertilisers ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, Sir. Adhra Pradesh Government approached the Central Government for additional powers for enforcing the provisions of the Fertiliser (Control) Order, 1957 more effectively. The specific requests made by the State Government are detailed below :—

(i) Searches should be authorised without search-warrants.

(ii) Executive instructions issued by the State Government should be legalised under the Order.

(b) **Regarding** (i) : There is no provision in the Essential Commodities Act, 1955, under which the Fertiliser (Control) Order, 1957 has been promulgated, whereunder such powers can be delegated. An amendment to the parent Act was, therefore, necessary. As, however, the request involved curtailment of civil liberties, it was not considered desirable to amend the Essential Commodities Act;

Regarding (ii) : The position is that executive instructions cannot be clothed with the force of Law, nor is it desirable to do so.

The state Governments were advised accordingly.

भारत की भूमि "सुआइल्स आफ इंडिया" नामक प्रकाशन

4786. श्री चांडक : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित भारत की भूमि "सुआइल्स आफ इंडिया" के लेखकों को यह जानकारी थी कि एस० डी० ए० भूमि सर्वेक्षण नियम पुस्तिका में दी गई परिभाषाओं के अनुसार एकतरफा वर्णन प्रोफाइल (डिस्क्रिप्शन) अपूर्ण तथा संदिग्ध थे;

(ख) क्या "नेशनल ऐटलस आफ इंडिया" (हिन्दी संस्करण) अथवा "सुआइल्स आफ इंडिया" नामक पुस्तक में भूमि के सम्बन्ध में दी गई जानकारी प्रमाणिक मानी जानी चाहिए;

(ग) क्या किसी को भारत सरकार के खर्च से भूमि के सम्बन्ध में गलत जानकारी प्रकाशित करने का अधिकार है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) इंडियन रिसर्च सुआइल्स साइंटिस्टस के अनुसार प्रोफाइल संदिग्ध नहीं अपितु पूर्ण था।

(ख) दोनों प्रमाणित हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि-ऋण

4787. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्यों के लिये बड़े पैमाने पर ऋण देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में राज्यवार कितनी धनराशी नियत की गई है ;

(ग) ऋण किस संस्था के माध्यम से दिया जायेगा ;

(घ) यह संस्था किस प्रकार और किसके द्वारा स्थापित की जायेगी ; और

(ङ) इस नियतन का कितना प्रतिशत प्रशासन पर खर्च किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) कृषि उपज बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में कृषकों को अधिकाधिक मात्रा में कृषि से सम्बन्धित कार्यों के लिए ऋण सुलभ करने की दिशा में सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ख) एक विवरण जिसमें वर्ष 1966-67 में सहकारी समितियों द्वारा वितरित किए जाने वाले ऋण का राज्यवार अस्थायी प्राक्कलन दिया गया है, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6216/66।]**

(ग) व (घ) : कृषि ऋण के लिए सहकारी एजन्सी प्रमुख संस्थागत एजन्सी बनी रहेगी। जहां आवश्यक होगा वहां तकावी ऋण भी दिए जाएंगे। कुछेक राज्यों में कृषि ऋण, निगम ऋण देने की एक सहायक एजेन्सी के रूप में स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहे है।

(ङ) तकावी ऋणों को छोड़कर, जो राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित हैं, कृषि कार्यों के लिए अन्य प्रकार के ऋण संस्थागत एजेन्सियों द्वारा दिये जाते हैं। हमारे पास यह बताने के लिए निश्चित आंकड़े नहीं है कि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि की तुलना में प्रशासन सम्बन्धी लागत का क्या अनुपात है।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क)

4788. श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) श्रेणी 1 अधिकारी संघ से इस सेवा में पदालि से बाहर (नान-केडर) के अधिकारियों की पदोन्नति किये जाने के बारे में जो विभिन्न ग्रेडों में उनके सेवाकाल तथा पारस्परिक वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना अस्थायी परियोजना पदों पर नियुक्त किये गये थे और जिसके परिणामस्वरूप नियमित पदालि के अधिकारियों को काफी कठिनाई हुई है, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदनों में उठाये गये विषयों पर विचार किया गया था और केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) श्रेणी 1 सीधे भर्ती संस्था को इस आशय का उत्तर दिया गया है कि भर्ती-नियमों के अनुसार प्रशासनिक (वरण) वर्ग की रिक्तियों पर जिनमें उच्चतर प्रशासनिक पद भी शामिल है, विभाग में उससे बाद के नीचे के वर्गों में काम करने वाले योग्य अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर वरण द्वारा साधारणतया नियुक्त किया जाता है।

सड़क विभाग (रोड्स विंग) में नियुक्ति

4789. श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का सड़क विभाग अस्थायी परियोजना पदों पर सहायक इंजीनियर परामर्शदाताओं / डिवीजनल इंजीनियर परामर्शदाताओं / आयोजन अधिकरि यों / उप-कुल अधिकारियों, के रूप में नियुक्ति के लिये बड़ी संख्या मंत्रालय के बाहर के अधिकारियों को भर्ती करता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे अस्थायी परियोजना पदों पर भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) श्रेणी 1 की पदालि में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या से बहुत अधिक थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : परिवहन और विमानन मंत्रालय के सड़क पक्ष की स्थापना 14 कर्मचारियों से 1943 में की गई थी, अन्तर्राष्ट्रीय

विकास संस्था द्वारा दिये गये ऋण से किये गये निर्माण-कार्यों और रक्षा की आवश्यकताओं के लिए किये गये सामारिक महत्व के कार्यों के कारण सड़क पक्ष के काम में 1961 से बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। 1961 में स्थायी अमला की संख्या 65 थी। अब कर्मचारियों की मंजूर संख्या 376 है जिन में कई अस्थायी पद भी शामिल है। चूंकि इन पदों पर विभाग के स्थायी अधिकारियों की छोटी सी संख्या जैसे भर्ती करना संभव न था इस लिए मंत्रालय के बाहर से एक बड़ी संख्या में भर्ती की गयी।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क)

4790 श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों की जो केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) श्रेणी 1 की पदालि में नहीं हैं उच्च ग्रेड में पदोन्नति करने के बारे में, जिससे उस पदालि के अधिकारियों के अधिकार रद्द हो जायेंगे और जो उनसे सीनियर भी है विचार करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उच्च पदों पर पदोन्नति के मामले में पदालि के अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है विशेषकर जब कि केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) श्रेणी 1 भर्ती नियम केवल पदालि के पदों पर ही लागू होते हैं और अस्थायी परियोजना पदों पर लागू नहीं होते ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : विभागीय अधिकारियों को पदोन्नति के लिए चुनाव करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है, समिति ने सब पात्र अधिकारियों को, चाहे वे स्थायी हो या अस्थायी, पदोन्नति के लिए उचित ठहराया। सड़क पक्ष में नियुक्त तमाम तकनीकी अधिकारी संवर्ग के है और केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) श्रेणी 1 भर्ती नियम उन पर लागू होते हैं। स्थायी संवर्ग के अधिकारियों के पदोन्नति के दावों के अधिभाव करने का प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल

4791. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन प्राधिकार द्वारा मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिये 10 वर्ष पहले बनाई गई योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री एन० संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने अक्टूबर 1963 में दिल्ली में एक मोटर चालकों का प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिये एक स्कीम पेश की थी। स्कीम में वार्षिक 1.92 लाख रुपये का अनावर्ती और 2.18 लाख रुपये का आवर्ती व्यय होगा और इसमें भारी मोटर गाड़ियों, हल्की मोटर गाड़ियों, आटोरिक्शा और स्कूटरों के 1800 चालकों के वार्षिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। चूंकि चालकों की जरूरतों की पूर्ति फिलहाल मौजूदा संस्थानों से की जा सकती है इसलिये इस स्कीम को कार्यान्वित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में देरी

4792. श्री जोकीम आल्वा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की निर्धारित उड़ानों में कितनी बार तीस मिनट से अधिक देरी हुई; और

(ख) विलम्ब को कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : 1964-65 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अनुसूचित सेवाओं में तीस मिनट से अधिक देरियो की कुल संख्या 7349 थीं, जबकि उसी समय में की गई रवानगीयां की कुल संख्या 63,978 थीं। देरियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

आनुषंगिक . . .	3,277
खराब मौसम . .	1,296
इंजीनियरी	1,632
यातायात	346
परिचालन	520
अन्य	278

अधिकांश देरियां आनुषंगिक थीं जो कि बीच के रुकने के स्थानों पर होने वाली देरियों के कारण हुई थीं। ऐसी देरियां होने से रोकी जा सकती हैं या इन्हें काफी कम किया जा सकता है यदि स्टैण्ड-बाई विमानों की व्यवस्था हो जाय। कार्पोरेशन अतिरिक्त विमानों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन यह विमानों की खरीद के लिए विदेशों से ऋण के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

जहां तक इंजीनियरी सम्बन्धी देरियों का प्रश्न है, कारपोरेशन ऐसी देरियों को कम करने के सभी प्रयत्न कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाई जा रही है। इंजीनियरिंग विभाग की योजना और उत्पादन में सुधार करने के लिए अनुसूचियों की अधिक अच्छी योजना के लिए तथा किस्म और नियंत्रण (क्वालिटी एण्ड कन्ट्रोल) आदि के उच्च स्तर को कायम करने के उद्देश्य से पुनर्गठन के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। फिर भी एयरलाइनों के परिचालनों में इंजीनियरी सम्बन्धी कुछ देरियां अपरिहार्य हैं।

पायलटों, यातायात सम्बन्धी और अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है।

दूसरा कारण, जो उल्लेखनीय है, अक्सर होने वाले मजदूर आन्दोलन हैं जिनका विमान सेवाओं पर असर पड़ता है। कारपोरेशन अपने कर्मचारियों में अनुशासन लागू करने का प्रयत्न कर रहा है और अनुशासन तोड़ने के मामलों में उचित कार्यवाही कर रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एजेन्टों को दिया गया कमीशन

4793. श्री जोकीम आल्वा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये 1964-65 में व्यापार प्राप्त करने के लिये एजन्टों को कमीशन के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ख) उन एजेन्टों के नाम क्या हैं जिन्हें 10,000 रुपये से अधिक राशि का कमीशन दिया गया और

(ग) कितने एजेन्टों को, उनके द्वारा दिलाये गये व्यापार के लिये 10,000 रुपये से कम कमीशन दिया गया ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1964-65 के दौरान 33,44,258.00 रुपये की राशि दी गयी ।

(ख) 10,000 रुपये से अधिक राशि का कमीशन दिये जानेवाले एजेन्टों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6217/66 ।]**

(ग) उन एजेन्टों की संख्या, जिन्हें 10,000 रुपये से कम कमीशन दिया गया, 53 है ।

भारत-नेपाल विमान सेवायें

4794. श्री श्रीनारायण दास : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा नेपाल के बीच असैनिक उड्डयन के सम्बन्ध में नेपाल सरकार के साथ किये गये करार की यथार्थ शर्तें तथा निबन्धन क्या हैं;

(ख) क्या रायल नेपाल एयर सर्विसिज़ द्वारा पटना तथा काठमांडू के बीच एक विमान सेवा, जो मुज़फरपुर तथा दरभंगा में रुके आरम्भ करने के बारे में विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारत सरकार और नेपाल के महामहीम की सरकार के बीच हुए विमान सेवाओं से संबद्ध करार की, जिस पर 26 नवम्बर 1964 को हस्ताक्षर हुए थे, एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Clerical Staff of Election Commission

4796. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Clerical staff in the Election Commission have not been given two advance increments even after their having completed the Typewriting Test of U.P.S.C. successfully;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government to do justice to the said employees ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : In pursuance of a Cabinet decision tne Ministry of Home Affairs issued orders in 1954 that the lower division clerks in the Civil Ministries and Departments and attached offices included in the Central Secretariat Clerical Scheme would get the following advance increments :—

(i) two increments after confirmation in the Clerical Service or on initial appointment to that service having qualified in the competitive examination

or after three years continuous service in that grade subject to suitability for confirmation, and

(ii) two increments on passing the typewriting test at a speed of 40 words per minute.

The orders did not apply to the Office of the Election Commission as it is not included in the Central Secretariat Clerical Scheme.

The question of extending the concession of advance increments to Lower Division Clerks in offices not participating in the Central Secretariat Clerical Scheme was considered by the Ministry of Finance and it was decided by the Cabinet that action in this regard should be kept pending till the recommendation of the Second Pay Commission became available. On the basis of the recommendation of the Pay Commission, the concession was withdrawn in 1960 even from the Lower Division Clerks working in the Secretariat and included attached offices.

Use of Hindi in the Ministry of Law

4797. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1712 on the 8th March, 1966 and state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to remove the difficulty in regard to the limited scope of noting and drafting in Hindi in the Legislative, Legal Affairs and Company Affairs Department of the Ministry because most of the work is of technical nature;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The principal function of the Legislative Department is the drafting of Bills, Ordinances, Regulations etc., and the scrutiny of statutory rules, orders and notifications. Drafting work of the Central Government being voluminous in quantity and highly technical and complicated in nature, it has not yet been found possible to train senior draftsmen for drafting Bills etc., in Hindi especially in view of the fact tnat the officers of the Legislative Department like those of other Ministries and Departments are drawn from different parts of the country and the mother-tongue of many of them is not Hindi. Moreover, a more knowledge of Hindi legal terminology is not enough. The technique and method of legislative drafting in any language is highly difficult job and mastery over them is acquired by a slow process of practical training and experience. If this process is sought to be accelerated in any manner by artificial means, then that is bound to adversely affect the quality of legislative drafting and therefore the quality of our legislative enactments. In this connection, attention is drawn to article 348 of the Constitution under which, until Parliament by law otherwise provides, authoritative texts of all Bills, Acts, orders, rules, regulations and bye-laws "shall be in the English language". Realising the difficulties pointed out above, Parliament has not up till now provided otherwise. In pursuance, however, of section (5)(2) of the Official Languages Act, 1963, translations in Hindi of all original Bills in English introduced in Parliament are prepared and annexed to the Bills. This process

of translation no doubt helps to some extent the training of Hindi knowing officers as Hindi Draftsmen. A few officers are also engaged in the Official Language (Legislative) Commission in the preparation of Hindi translation of Central Acts. This also helps some officers to have practical training and experience in Hindi drafting.

The principal function of the Legal Affairs Department is to give legal advice to the various Ministries and departments of the Central Government and this advice relates mainly to the interpretation of Acts, Ordinances, Regulations, rules, orders, bye-laws etc. As these statutes and statutory instruments are in the English language, the advice given by the Department of Legal Affairs is also in that language. Moreover, as in the case of Legislative Department, officers of Legal Affairs Department are drawn from various parts of the country and the mother-tongue of many of them is not Hindi.

The Department of Company Affairs deals primarily with the administration of the Companies Act. Their dealings are mostly with the companies both Indian and foreign, references from whom are mostly in English.

Then, notes are recorded in other Ministries and departments in the English language. The courts, especially the superior courts, give their decisions in that language. So, unless and until Hindi is adopted on a wide scale for noting at all levels in other Ministries and departments of the Government of India, the courts throughout the country including the Supreme Court and the High Courts start writing judgments in Hindi, substantial progress is made in the translation of statutes and statutory instruments in Hindi, the officers and members of the staff not only of tnis Ministry but also of other Ministries acquire a thorough knowledge of the legal terminology in, and have sufficient command over, Hindi and the drafting officers of the Legislative Department acquire mastery over the method and technique of legislative drafting in Hindi, it is hardly possible to do noting and drafting in Hindi in any of the departments of the Ministry of Law.

जोरहाट में राष्ट्रीय राजपथ के लिये उप-मार्ग

4798. श्री रा० बरुआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरहाट में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37 के जिस उप-मार्ग को बनाने का कुछ वर्ष पहले प्रस्ताव था क्या इस वर्ष उसके बनाये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उस क्षेत्र में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनायें तथा खतरों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) : कई विकल्पों पर विचार करने के बाद इस बाहरी सड़क के उचित संरेखन को अप्रैल 1966 में मंजूर किया गया। इस परियोजना के लिए राज्य लोक-निर्माण विभाग द्वारा मंजूरी के लिए अनुमान तैयार किया जायगा तब निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ।

(ग) जब तक यह बाहरी सड़क नहीं बन जाती है तब तक इस शहर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात का नियंत्रण पुलिस द्वारा किया जाएगा ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सम्बन्धी नौवहन समिति

4799. **श्री पन्ना लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सम्बन्धी नौवहन समिति की उपसमिति ने बन्दरगाह तथा नौवहन सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी हां। उप-समिति की सिफारिशों की अभी जहाजी समिति द्वारा जांच की जानी है। जहाजी समिति अपनी 5 मई 1966 की प्रस्तावित अगली बैठक में उप-समिति की रिपोर्ट पर पूरी तरह से विचार करने के बाद भारत सरकार के विचारार्थ अंतिमतः सिफारिशें करेगी।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था

4800. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को न तो मकान किराया भत्ता मिलता है और न ही उनके लिए सरकारी मकानों की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को उनकी मकान सम्बन्धी समस्या को हल करने के सम्बन्ध में सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : 1955 के शुरू में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के कर्मचारियों की मजूरी के ढांचे को निर्धारित करने में मकान के किराये को ध्यान में रखा गया था। फिर भी, कारपोरेशन की, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अपने कर्मचारियों के लिए खासकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए आवास बस्तियां बनाने की योजनाएं हैं।

मोहनबाड़ी हवाई अड्डा

4801. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में मोहनबाड़ी हवाई अड्डे के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : मोहनबाड़ी हवाई अड्डे का रनवे 7 मार्च, 1966 को इस्तेमाल किये जाने के लिए खोल दिया गया। आई० ए० सी० ने इस हवाई अड्डे से होकर वाइकाउण्ट विमानों का परिचालन शुरू कर दिया है।

वन संसाधनों का विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण

4802. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-खण्ड में वन संसाधनों के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) कितने क्षेत्र तथा किन-किन खण्डों में सर्वेक्षण किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सर्वेक्षण के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) दक्षिणी खण्ड (जिसमें केरल तथा मैसूर राज्य शामिल हैं) में सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है।

(ख) परियोजना के अनुसार दक्षिणी खण्ड में केरल तथा मैसूर राज्यों के लगभग 1800 वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण होना है। इसके अतिरिक्त परियोजना के अनुसार केन्द्रीय खण्ड (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश) के 7200 वर्ग मील तथा उत्तरी खण्ड (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदश तथा पंजाब) के 2500 वर्ग मील क्षेत्र का भी सर्वेक्षण होना है।

(ग) यह परियोजना $3\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि की है और 1968 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी। केन्द्रीय खण्ड में सर्वेक्षण का कार्य शुरु हो चुका है। उत्तरी खण्ड में कार्य शीघ्र ही शुरु हो जायेगा, परन्तु अभी दक्षिणी खण्ड के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

Development of Sugarcane and Rehabilitation of Sugar Mills in Bihar

4803. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whetner the Committee appointed by the Central Government in connection with the development of sugarcane and the rehabilitation of Sugar Mills in Bhar has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) The Committee appointed by the Central Government to examine the question of rehabilitation and modernisation of sugar factories in India, covering Bihar State also, has submitted its report.

(b) The recommendations of the Committee were laid on the table of Sabha while answering Starred Question No. 321 on 31-8-1965.

(c) The various recommendations of the Committee are under examination of the Government.

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा

4804. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 5 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3262 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड्डयन विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रथम श्रेणी (ग्रेड I) के दो पदों का क्या दर्जा है, उनका पदनाम क्या है और जिन पदाधिकारियों के साथ उनको रखा गया है, उनके पदनाम क्या हैं;

(ख) उड्डयन विभाग में प्रथम श्रेणी (ग्रेड I) और द्वितीय श्रेणी (ग्रेड II) के स्वीकृत पदों की क्या संख्या है और हर श्रणी में इस समय कितने व्यक्ति नियुक्त ह; और

(ग) प्रथम श्रेणी (ग्रेड I) के दो पद कब रिक्त हुए, उन पर द्वितीय श्रेणी (ग्रेड II) के आशुलिपिकों को कब से नियुक्त किया गया है ये आशुलिपिक किस पदाली के हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री एन० संजीव रेड्डी): (क) (I) सेन्ट्रल सिविल सर्विस क्लास II राजपत्रित ।

(II) राज्य मंत्री के प्रथम व्यक्तिक सहायक, विमानन विभाग के सचिव के निजी सचिव ।

(ख)	स्वीकृत पद संख्या	मौजूदा पद संख्या
ग्रेड I	2	1
ग्रेड II	53	53

(ग) कभी खाली नहीं ।

उद्योग विभाग के ग्रेड II स्टेनोग्राफर 9–6–64 से 31–8–65 तक प्रथम व्यक्तिक सहायक के पद पर ।

खाद्य विभाग के ग्रेड II स्टेनोग्राफर और बाद को विमानन विभाग के ग्रेड II स्टेनोग्राफर 1–9–64 से अब तक सचिव के निजी सचिव के पद पर ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा

4805. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के बारे में 5 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3262 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय श्रेणी (ग्रेड II) के आशुलिपिक प्रथम श्रेणी (ग्रेड I) के उच्च पदों पर संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह व्यवस्था प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों का चयन होने तक अन्तरिम तौर पर की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रथम श्रेणी में कोई पदोन्नति की गई है और यदि हां, तो किस पद पर, किस पदाली से और किस तिथि को; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उड्डयन विभाग में सभी पात्र आशुलिपिकों को पदोन्नति के अयोग्य समझा गया ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य मंत्री के प्रथम व्यक्तिक सहायक के पद पर परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन विभाग से 1–3–1966 से नियुक्ति करके ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Professional Misconduct of Shri O. N. Mahindroo, Advocate

4806. Shri Bagri :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri O. N. Mahindroo, an Advocoate of Delhi represented the Regional Director of Food, Northern Region for the State in the Court of the Sole Arbitrator, Shri V. Ramaswami Iyer, in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that Shri Mahindroo, while examining a Government file at Tis Hazari Courts, Delhi, had removed some papers therefrom, as a punishment for which, his licence was confiscated by the Delhi Bar Council for one year and the Indian Bar Council also upheld the punishment on Shri Mahindroo's appeal made to them against the above order.

(c) whether it is also a fact that the Ministry have not appointed any other Advocate so far resulting in expenditure by Government in getting the dates of hearing changed and expenditure on officers called from outside for their coming and going without any utility of their services ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. According to the decision of the Disciplinary Committee of the Bar Council of India the finding is as stated in this question.

(c) The Bar Council of India issued stay orders on the 29th December, 1965 and, therefore, Shri Mahindroo was allowed to handle cases already entrusted to him. On the dismissal of the appeal by the Bar Council of India on the 24th March, 1966 and by Supreme Court on the 18th April, 1966 instructions were issued to all Ministries to withdraw cases entrusted to Shri Mahindroo and arrangements are being made to appoint a new counsel in cases handled by Shri Mahindroo.

(d) Does not arise.

Food Corporation of India

4807. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether is a fact that Government have recently posted an officer of the Food Corporation of India at Kotah, Rajasthan;

(b) if so, his functions; and

(c) whether his expenses would be borne by the Central Government or State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) The Government have not posted an officer of the Food Corporation of India at Kotah.

(b) & (c). Do not arise.

Japanese Methods of Cultivation

4808. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taught Japanese method of cultivation at several places on experimental basis ; and

(b) if so, the results achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, under the First Indo-Japanese Agreement signed on 23rd April, 1962, four Japanese Agricultural Demonstration farms were established at Arrah (Bihar) Ranaghat, (W.B.) Chakuli (Orissa) and Vyara (Gujarat) and under the second Agreement signed on 17th December, 1964 four more Japanese Demonstration Farms have been established at Khopoli (Maharashtra), Chengamanad (Kerala), Bapatla (Andhra Pradesh) and Mandya (Mysore). These Farms aim at teacning the Japanese method of cultivation through demonstration and training.

(b) The average yield of different varieties of paddy on the four old farms set up under the First Agreement varied from 806 kgs. to 2253 kgs which compared favourably with the yields of local farmers and other Government farms in these States. The performance of these farms has a marked impact on local farmers and they visit these farms in large numbers in each season to see demonstration plots. During 1964-65 the Japanese techniques of cultivation were demonstrated to about 3000 farmers at the various farms.

The training Programme for farmers and Extension workers has already been started at Arrah Farm (Bihar) and Chakuli Farm (Orissa). During 1964-65 training was imparted to 53 Extension Workers and about 90 farmers at Arrah Farm (Bihar) and about 200 farmers at Chakuli Farm (Orissa). The training programme of farmers and Extension Workers is also being started at Ranaghat Farm (West Bengal) and Vyara Farm (Gujarat) from the coming Kharif season.

The training at the four new farms will be started as soon as these farms have developed their performance significantly.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत पाकिस्तान टेलिफोन तथा तार-सन्चार व्यवस्था का भंग हो जाना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I call the attention of the Minister of Parliamentary Affairs and Communications to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement in regard thereto :

"Disseption of Indo-Pakistan telephone and telegraph Communications ".

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : पाकिस्तान तथा भारत के बीच संघर्ष आरम्भ होने के बाद भारत-पाकिस्तान दूरसंचार व्यवस्था बन्द कर दी गई थी। ताशकन्द सम्मेलन के पश्चात् 15 जनवरी, 1966 को भारत के डाक-तार महानिदेशक द्वारा पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ को एक तार भेजकर संचार व्यवस्था को पुनः चालू करने की दिशा में कार्रवाई आरम्भ की गई थी। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ की लाइनें बहुत कुछ दुरुस्त थीं लेकिन पश्चिम पाकिस्तान की लाइनों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से युद्धविराम रेखा तक के क्षेत्र में अमृतसर से लाहौर की तरफ का मार्ग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। हालांकि यह क्षेत्र पाकिस्तानी सीमाक्षेत्र के अन्तर आता है फिर भी भारतीय सेना अधिकारियों की सहायता से अपने दूरसंचार सामान का प्रयोग करके लाइनों को पुनः चालू करने की दिशा में कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जनवरी में ही की गई थी। फलस्वरूप 11 फरवरी, 1966 से पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान दोनों स्थानों के साथ संचार व्यवस्था चालू करना संभव हो सका।

2. पूर्वी पाकिस्तान के लिये संचार व्यवस्था फिर से पूरी तरह चालू हो गई, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के लिये केवल अमृतसर-लाहौर मार्ग की ही संचार व्यवस्था दोबारा चालू की जा सकी। जोधपूर और करांची के मध्य संचार व्यवस्था को पुन: चालू करना इसलियें संभव नहीं हो सका क्योंकि मुनावाओं के इर्दगिर्द सीमान्त रेखा के निकट कई मील तक लाइनें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। यह नुकसान इस क्षेत्र में हुआ जो कि उस समय पाकिस्तानी सेना के अधीन था। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों से उनके अधीन खण्डों की लाइनों की मरम्मत कराने की प्रार्थना उसी आधार पर की गई थी जिसपर हमने अमृतसर-लाहौर के मध्य लाइनो को पुन: चालू किया था, फिर भी 25 फरवरी तक जब तक कि सारी सेना 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति पर वापिस नहीं आ गई, उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में भारतीय डाक-तार विभाग द्वारा इन लाइनों की मरम्मत कराने की दिशा में कार्रवाई की गई। फिर भी सैनिक अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र से सभी सुरंगों का सफाया किया जाना था। आशा है इस खण्ड में लाइनों की मरम्मत का कार्य मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा जिसके बाद जोधपुर होकर कराची के लिये तार तथा टेलीफोन परियात के पुन: चालू करने की दिशा में परीक्षण किये जायेंगे।

3. पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था के पुन: चालू हो जाने के पश्चात् दो कारणों से परिपथ का कार्य संचालन बहुत अच्छा नहीं रहा। पहला कारण तो यह था कि परिपथों के लिये ऐसे पुराने उपस्कर का प्रयोग किया जा रहा था जिनके प्रयोग की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। पाकिस्तानी अधिकारियों से शीघ्र ही इस उपस्कर को बदल देने के लिये राजी होने की प्रार्थना की गई थी और यह काम दोनों देशों को मिलकर करना है। इस उद्देश्य के लिये जिस आधुनिक ढंग के उपस्कर की आवश्यकता है भारतवर्ष में उसका निर्माण किया जा सकता है और हम यह उपस्कर पाकिस्तान को बतौर उधार के या बिक्री करने की स्थिति में दे सकते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यह उपस्कर किसी भी नियमित विदेशी दूर-संचार निर्माता से खरीदा जाए। दुर्भाग्यवश इस उपस्कर को बदलने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में पाकिस्तानी अधिकारियों ने बिल्कुल भी उत्साह प्रकट नहीं किया हालांकि इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिये एक अन्तर्विभागीय बैठक का प्रस्ताव रखा गया था।

4. परिपथों के ठीक काम न करने का दूसरा कारण यह था कि लाइनों की हालत खस्ता थी। पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तानी क्षेत्र मे से गुजरने वाले खण्ड में इन लाइनों को बुरी तरह नकसान पहुंचा था और ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक मरम्मत करने के बाद लाइनों को काफी मजबूत नहीं बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ के परिपथ अधिकतर खली तार लाइनों पर हैं जबकि भारतवर्ष की ओर के परिपथ भूगर्भीय ट्रंक केबलों पर है जो कि काफी टिकाऊ होते हैं। लाइनों के परीक्षण के प्रश्न को निपटाने के उद्देश्य से पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है कि जब कभी आवश्यक हो सीमान्त कोण से संयुक्त परीक्षण किये जा सकते हैं ताकि मरम्मत जल्दी की जा सकें।

5. पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ निरन्तर समन्वय रखने के बावजूद भी परिपथ का कार्य संचालन बहुत खराब रहता है। मार्च 1966 में परिपथ का कार्य सबसे ज्यादा खराब रहा जबकि ढाका तथा लाहौर दोनों स्थानों के लिये तार परिपथ केवल 10 से 15 प्रतिशत तक ही सफल रहा।

6. इन बातों की ओर पाकिस्तान के दूरसंचार अधिकारियों का ध्यान एक बार फिर आकर्षित किया गया है और उनसे पहले ही प्रस्तावित कान्फ्रेंस के लिये स्वीकृति देने की प्रार्थना की जा रही है।

Shri Madhu Limaye : It has been clearly provided in Tashkent Agreement that measures would be taken to restore communications. The hon. Minister has made a long statement in the House. I would like to know the concrete steps Government propose to take for the restoration of communications.

Shri Satya Narayan Sinha : The hon. Member has drawn our attention towards Tashkent Agreement. In this connection, I would like to say that the House is well aware of the steps Government are taking in the spirit of the agreement. It has been said that according to the Agreement nothing has been done. I have already said that the Government have entered so many agreements since 1947 but it has yet to see the results. The difficulty is that whatever we ask them, we do not get any reply. They do not agree to our suggestions even.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) **:** May I know for how many miles the lines have been badly damaged, round about Munabo ?

Shri Satya Narayan Sinha : It has been said that the lines have been damaged upto five miles.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas)**:** May I know whether Russian Government has been informed that Pakistan has not honoured the Agreement ?

Shri Satya Narayan Sinha : This information has already been supplied to the House by the Prime Minister, it is not advisable to go into details.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) **:** The hon. Minister has said that Pakistan Government has been approached many times but no reply has been received from them. May I know for how long the Government propose to wait ?

Shri Satya Narayan Sinha : Although it is beneficial to both the sides it is regretted that they are not repairing the cables.

Shri Rameshwaranand (Karnal) **:** May I know for how long the Government propose to wait for a reply from Pakistan ?

Shri Satya Narayan Sinha : We have sent them many reminders. We are still waiting for a reply. We are excercising patience and would follow this policy until it becomes intolerable for us.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या मैं जान सकता हूं कि कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त को भी तारें लन्दन के रास्ते भेजी जा रही हैं, यदि हां, तो निकट रास्ते से तार व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे सभा को यह बताते हुए खेद है कि तार-व्यवस्था भंग हो चुकी है और इस समय सभी तारें डाक द्वारा भेजी जा रही हैं।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) **:** May I know whether the correspondence is taking place in between the officers of the two countries or of the ministers' level ?

Shri Satya Narayan Sinha : The correspondence is not taking place at Ministers' level as yet.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मुझे अभी-अभी यह बताया गया है कि आपने ध्यान दिलाने वाली मेरी एक सूचना को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है। यह सूचना भारत की अणु शक्ति के बारे मे छपे समाचार के सम्बन्ध में थी। मैं यह समझ नहीं सकी कि उसे क्यों अस्वीकार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम स्थगित कर सकते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार नहीं उठाया जाना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रश्न बार बार सभा में उठाया जाता है। इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में विचार करुंगा।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (QUERIES)

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। एक उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में हुई भूख के कारण मौतों के बारे में है। इसपर हम चर्चा कर चुके हैं और हमने यह निणय किया था कि हम इस सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा करेंगे ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : हम 11 मई को इस पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने यह सूचना "स्टेट्समैन" में छपे समाचार के अनुसार दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बानर्जी को यह ज्ञात होना चाहिये कि इस विषय पर चर्चा की जायेगी। यह निर्णय हो चुका है।

श्री दाजी (इन्दौर) : यदि यह विषय अविलम्बनीय लोक-महत्व का है तो इस पर आठ दिनों के बाद क्यों चर्चा की जा रही है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मेरा विचार है कि खाद्य मंत्री स्वयं वहां जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या वह 11 मई तक लौट आयेंगे?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जब तक कि वहां गये हुए अध्ययन दल अथवा मेरी वापसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती, मुझे उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट ही यहां पढ़नी पड़ेगी और इससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। इसलिये म चाहता हूं कि कुछ समय तक प्रतीक्षा की जाये।

Mr. Speaker : Shri Bagri.

Shri Madhu Limaye ((Monghyr) : I have tried to catch your eye several times but I have not been called. I may also be called.

Shri Bagri (Hissar) : In view of the present famine conditions in the country it is proper and also according to the Rules that an adjournment motion is admitted in the House. Discussion does not convey the same meaning as an adjournment motion is supposed to convey.

Mr. Speaker : We discussed this matter here the other day and decided to have a discussion on it. When, once we take a decision that a discussion would take place here, we cannot have an adjournment motion under the Rules. Insofar as an early discussion on it, is concerned , it has already been explained by the minister that it would be better to await the return of the study team as only then it would be possible for him to give the detailed information.

Shri Madhu Limaye : I have to raise a point of order under Rule 56. My submission is that this adjournment motion is regarding failure. I would like to quote a sentence from "Statesman" in this connection.

Mr. Speaker : It has got no connection with the point of order and as such I cannot permit the hon. Member to read the same. I have listened to the point of order of the hon. Member but he should not refer to other matters.

Shri Bagri : This sentence has got connection with the point of order.

Mr. Speaker : This is not connected with the point of order. I have not called the hon. Member. He may resume his seat.

Shri Bagri : It is no use to have a discussion on an adjournment motion after seven or eight days ; it is against parliamentary procedure.

Mr. Speaker : It was decided on the very day this adjournment motion was taken up in the House that we would have a discussion on it. Now we have received a fresh adjournment motion. As we nave decided to fix a discussion on it, the question of fresh adjournment motion being taken up does not arise.

Shri Bagri : No date has so far been fixed for this.

Mr. Speaker : There is no question of any date in this connection. Here it is certain that we would nave a discussion on it while in the Rule the word "probability" has been used. Therefore this question does not arise.

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री हेम बरुआ और श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का आसाम में रेल दुर्घटना के बारे में है। मैं श्री हेम बरुआ से कहूंगा कि वह संक्षेप में यह बतायें कि वह इस पर स्थगन प्रस्ताव क्यों स्वीकार करवाना चाहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैंने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना भी भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत सी ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भी आई है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह एक गम्भीर प्रश्न है और मुझे प्रति दिन आसाम से तार मिल रहे हैं। मुझे वहां के लोग बताते हैं कि उस राज्य में सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। चीन तथा पाकिस्तान के एजेंट वहां गड़बड़ी फैला रहे हैं। हमारी सरकार भी बुरी तरह असफल रही है। विद्रोही नागाओं से कुछ कागजात पकड़े गये परन्तु उनकी "फोटोस्टेट" प्रतिमा रखकर वे कागजात उन्हें वापस कर दिये गये। मुझे यह बताया गया है कि लोगों को वहां यह डर है कि नागा विद्रोही ब्रम्हपुत्र घाटी में रेल की पटरी उखाड़ कर आसाम में राष्ट्रीय राजपथ तोड़ देंगे। इसके साथ धमकी भरे पत्र भी लिखे गये हैं। "आसाम ट्रिब्यून" के सम्पादक को भी ऐसा पत्र लिखा गया है। एक महीने के दौरान वहां तीन दुर्घटनायें हुई हैं। सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी वहां की जनता के लिये तथा आसाम में यात्रा करने वाले लोगों के लिये सुरक्षा के कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं। जन तथा धन की भी हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अब बैठ जायें। अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो कुछ वह कहना चाहते थे, कह चुके हैं। मैं अब माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : जहां तक इस विशेष दुर्घटना का सम्बन्ध है यह रेलों पर सामान्यतया हो जाने वाली घटनाओं में से एक है। यह जरूरी नहीं है कि इसका पिछली दो

घटनाओं से सम्बन्ध हो। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह दुर्घटना डिब्बों आदि के ठीक तरह से न लगाये जाने के कारण हुई है। क्योंकि जान की कोई हानि नहीं हुई है इस लिये इसकी उन दो दुर्घटनाओं से तुलना नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर कुछ ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की अनुमति दूंगा। क्या माननीय मंत्री आज शाम को उनका उत्तर देने के लिये तैयार हैं?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं अभी उत्तर दे सकता हूं।

श्री नाथ पाई (राजापूर): श्री पाटिल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार श्री हेम बरुआ को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक इस गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में जांच पूरी न हो जाये। परन्तु इसका एक अन्य पहलू भी है जिसके बारे में माननीय सदस्यों को बहुत चिन्ता है और उनमें काफी रोष है। मुझे यह प्रसन्नता है कि श्री नन्दा इस समय यहां पर मौजूद हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में उन आपत्तिजनक दस्तावेजों की फोटो प्रतियां तैयार करके मूल दस्तावेजों को लौटा दिया गया था। सरकार पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। इस आधार पर कि इसे उन घटनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता, इसकी अनुमति न देकर हम कोई अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि श्री नन्दा को सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा जाये। मुझे आशा है कि आप मेरी बात का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव द्वारा इस मामले को उठाये जाने की अनुमति नहीं दे सकता। यह मामला कितना ही गम्भीर हो परन्तु इसे इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता। यह अन्य प्रकार से उठाया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इसे तभी लिया जाये जबकि गृह मंत्री सरकार की स्थिति बताने की स्थिति में हों।

श्री हेम बरुआ : इसे कल ले लिया जाये क्योंकि मुझे डर है कि शाम को यही उत्तर दिया जायेगा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : जब माननीय मंत्री आज उत्तर देने के लिये तैयार हैं तो इसे कल के लिये स्थगित किया जाना ठीक नहीं है। ध्यान दिलाने वाली सूचना का उद्देश्य ही यह होता है कि उत्तर तुरन्त दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, इसे आज 5 बजे लिया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश 1966 जो दिनांक 21 अप्रैल 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 612 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चना क्षेत्र (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश 1966 जो दिनांक 21 अप्रैल 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 613 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6197/66।]

प्रबन्धक एजेंसी जांच समिति का प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं प्रबन्धक एजेंसी जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6198/66/]**

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं याचिका समिति की 19वीं से 22 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

चौथा प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

25वां, 26वां तथा 27वां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) केरल प्रिमो पाइप फैक्टरी लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, के बारे में 25वां प्रतिवेदन;

(दो) ट्रेको केबल कम्पनी लिमिटेड, एरणाकुलम के बारे में 26वां प्रतिवेदन; और

(तीन) केरल राज्य सरकार की कम्पनियों के आयोजन प्रबन्ध तथा प्रशासन के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

चौथा प्रतिवेदन

श्री सिद्धनंजप्पा (हसन) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोखले की शताब्दी की बारे में

RE : CENTENARY OF SHRI GOKHALE

अध्यक्ष महोदय : मुझे गृह मंत्री से सूचना मिली है कि श्री गोखले की शताब्दी के कारण सरकारी कार्यालयों में 9 मई की छुट्टी रहेगी। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार सभा की बठक 9 मई को भी होगी। यदि माननीय सदस्य भी उस दिन की छुट्टी मनाना चाहते हैं तो हमें 7 मई को बठक करनी होगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Let us sit on the 18th.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में तो सभा ने ही फैसला करना है। हम कोई दिन नहीं खो सकत। श्री चागला ने मुझे लिखा है कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसलिये सभा की बैठक 7 मई को भी होनी चाहिये।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : श्री गोपाल कृष्ण गोखले की स्मृति के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री गोखले यह नहीं चाहेंगे कि हम काम न करें। हमें काम से छुट्टी नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों की यही इच्छा है कि 9 मई को सभा की बैठक हो ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री तिरुमल राव : मैं इस बात से सहमत हूं कि ये छुट्टियां नहीं मनाई जानी चाहिये और ऐसे अवसरों पर भी काम बन्द नहीं किया जाना चाहिये। श्री गोखले ने इस देश को स्वतंत्रता का रास्ता दिखाया था और वह इस देश में संसदीय लोकतंत्र के अग्रनियों में से एक थे।

श्री नाथ पाई : श्री गोखले बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनको गांधीजी ने भी अपना गुरु माना था। भारत के इन महान सुपुत्रों के प्रति सम्मान प्रकट करने के बारे में सरकार को स्वस्थ तथा अच्छी परम्परायें अपना कर दूसरों को रास्ता दिखाना चाहिये। हम श्री गोखले के प्रति आदर प्रकट करने में किसी से पीछे नहीं है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती रही है। परन्तु मुझे यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सरकार ने उनकी स्मृति में 9 तारीख की छुट्टी करने का फैसला किया है। क्या सरकार काम बन्द करके ही भारत के महान सुपुत्रों के प्रति सम्मान प्रकट कर सकती है ? अब समय आ गया है कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का कोई अधिक उपयोगी तथा उपयुक्त तरीका निकाला जाये। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में दूसरों के लिये एक उदाहरण स्थापित करेगी।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यहां पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे देश की आवश्यकता से पूर्णतया मेल खाते हैं, अर्थात हम अधिक काम करें और अपने महान पुरुषों को उचित रूप से अपनी श्रद्धांजली अर्पित करें। मेरी राय में इस आधार पर कोई योजना तैयार की जानी चाहिये जिससे देश के महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान भी प्रकट किया जा सके और उत्पादन तथा कार्य भी न रुके। इस विशेष अवसर के बारे में तो मैं यही कुछ कह सकता हूं कि सरकार के इरादे के बारे में एक सन्देश भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि राय भिन्न भिन्न हैं इसलिये मैं पुराने कार्यक्रम के अनुसार ही चलूंगा। जहां तक मेरी राय का सम्बन्ध है, मैं तो कहूंगा कि शनिवार तथा रविवार को छोड़ कर अन्य किसी दिन बैठक होनी चाहिये। परन्तु यह सब सरकार पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मैं सरकारी आश्वासनों के बारे में कुछ कहना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : अब यह चर्चा समाप्त हो गई है। मैं शुक्रवार को उन्हें पुनः अवसर दूंगा।

वित्त विधेयक—जारी

FINANCE BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम 29 अप्रैल, 1966 को श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :—

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री लहटन चौधरी अपना भाषण जारी रखें।

Shri Lahtan Chaudhry (Saharsa) : From the statistics given in the Agricultural Labour Enquiry reports we come to know that the income of the agricultural labourers registered a decrease of Rs. 10 per family in the year 1956-57 as compared to the year 1950-51 and the per capita income which was Rs. 104 in 1950-51 came down to Rs. 99.4 in 1956-57, *i.e.*, at the end of the first Plan period. The non-working days of the casual male labour also registered an increase from 90 days to 128 days in a year during tne above period. The debt per family rose from Rs. 105 to Rs. 138 and the number of debtor families rose from 44·5 per cent to 63·9 per cent during the period from 1950-51 to 1956-57. Out of this loan of Rs. 138, he got only Rs. 2 from a co-operative society and the rest Rs. 136 from money lenders under such conditions, what can Government expect from these downtrodden and exploited sections of the people. This was the position in 1956-57. The position to day has not improved much. Some Charkhas and handlooms have been made available to them but this has not even touched the fringe of the problem. Snri Fenner Brockway, who recently toured India after a period of 38 years, has stated "that poverty in the villages remains much as it was" and the villagers "still remain on a subsistence level of existence".

The agricultural labourers have been reduced to such a miserable plight that they have lost all initiative to work for the country. They are being neglected because they are not organised. They are in a very considerable number and it should be borne in mind very clearly that they cannot contribute their mite for the prosperity of the country unless their conditions are improved. Before they are forced to revolt in despair, we should take steps to improve their lot. It would be an act of wisdom.

One way of improving their lot is to consider over the problems of industrial labour and agricultural labour quite independently of each other. In the next five years we should see that their basic necessities of life are met.

The centre has not supplied enough foodgrains to the Bihar State. If foodgrains are not supplied to the State according to its requirements, conditions of scarcity and famine will also be created there as has happened in other States, for the development of areas under the Kosi project, an integrated plan

should be drawn up. Such developmental projects should not be left entirely at the mercy of the State Governments, but the Centre should also have a hand in their implementation.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : देश के विकास का सारा भार विदेशियों के कन्धों पर थोंप दिया गया है। कुल मिला कर चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये तीसरी योजना की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक आर्थिक सहायता मांगी जा रही है। यदि सरकार द्वारा मांगी गई सहायता दे दी जाती है तो कुल आर्थिक सहायता में अमरीका तथा विश्व बैंक का योगदान दो-तिहाई से बढ़ कर तीन-चौथाई हो जायेगा। एक या दो देशों को छोड़ कर युद्ध के बाद की अवधि में किसी भी देश को इतनी अधिक सहायता नहीं मिली है। यह बहुत ही बुरी बात है कि हम विदेशी सहायता पर इतना अधिक निर्भर कर रहे हैं।

हम विदेशी पूंजी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विरुद्ध नहीं हैं। हम तो इसके पक्ष में हैं। परन्तु एक सरकार का दूसरी सरकार के ऋणों पर इतना अधिक निर्भर रहना ठीक नहीं है। ऐसे ऋणों को हम एक ऐसी औषधि समझते हैं जिसे बहुत थोड़ी मात्रा में तथा किसी विशेष प्रयोजना के लिये ही लिया जाना चाहिये। इसके विपरीत, हम साम्य पूंजी को एक पोषक तत्व समझते हैं जिसे बड़ी मात्रा में लिया जा सकता है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि ऋण साम्य पूंजी से सस्ते पड़ते हैं। कम ब्याज पर ऋण मिलने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि हमें ऋण सस्ते पड़े हैं। यह बात तो उनसे होने वाली आय पर निर्भर करती है। और वास्तविकता यह है कि सरकार इन ऋणों को लाभप्रद तरीके से प्रयोग में नहीं ला सकती है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों का हमारा अनुभव यही रहा है। द्वितीय तथा तृतीय योजना के दौरान बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों को गलत प्रयोजनों में लगाया गया है। विशेषतया सरकारी क्षेत्र में ऐसा हुआ है। उदाहरण के लिये रांची की हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में 176 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और वार्षिक उत्पादन केवल 3.62 करोड़ रुपये है। दूसरे शब्दों में आय और पूंजी में 1 और 47 का अनुपात है जबकि हैवी इंजीनियरिंग उद्योग में आय और पूंजी का अनुपात समान होना चाहिये। ऐसा ही एक नवीनतम उदाहरण बोकारो इस्पात कारखाना है।

दूसरे ऐसे ऋणों में बहुत जोखिम होती है। सरकार इन ऋणों को कैसे भी बुरी तरह उपयोग करे, देश को पूंजी तथा ब्याज वापिस लौटाना ही पड़ता है। परन्तु निजी विदेशी पूंजी के बारे में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जो भी विदेशी पूंजी लगाता है वह ऐसा अपनी जोखिम पर करता है। यदि लाभ होता है तो वह उस की राशि लाभ को अपने देश में ले जा सकता है, और यदि उसे हानि होती है तो धन हमारे देश में ही रहता है और वह अपने देश खाली हाथ चला जाता है। सरकार तथा इस देश को कोई हानि नहीं उठानी पड़ती है।

तीसरे, इन ऋणों के साथ राजनीतिक शर्तें लगी होती हैं। युद्ध छिड़ने पर विदेशी सहायता के बन्द हो जाने का भी डर रहता है। वास्तव में पाकिस्तान के साथ हुए गत संघर्ष के दौरान ऐसा ही हुआ। इसलिये जब तक सरकार की नीतियों में आमूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक इन विदेशी ऋणों से गलत आयोजन तथा गलत आर्थिक नीतियों को ही सहारा मिलेगा।

प्रधान मंत्री के हाल के वक्तव्यों से नया और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रकट होता है। अमरीकी सहायता से जर्मनी तथा जापान के पुनरुद्धार का हाल ही में अपने एक भाषण में उन्होंने जो उल्लेख किया है वह विशेष रूप से उत्साहजनक है। यह दो देश हमारे लिये उदाहरण होने चाहियें।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि नीतियां ऐसी चीज नहीं कि पत्थर पर लकीर हों। यदि वह जनता की सेवा नहीं कर सकती तो उन्हें बदला जा सकता है।

[श्री मी० रु० मसानी]

मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि प्रधान मंत्री ने यह बातें हमारे दल के "मैनिफैस्टों" से लिये हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री को उनके ही दल का समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण मेनन ने उनका मज़ाक उड़ाया और कहा कि यूं तो ब्राजील भी बड़ा देश है और उसका क्षेत्रफल भारत से तीन गुना है। परन्तु ब्राज़ील ने भी भारत को 500 टन चावल सहायता के रूप में दिया है।

श्री कृष्ण मेनन और श्री मालवीय तो सुकारनो और एनक्रुमा जैसी नीतियां यहां चाहते हैं जिन्हें उनके ही देशवासियों ने बाहर फैंक दिया है।

वित्त मंत्री भी उन आलोचकों का उत्तर कुछ डरते से दे रहे थे। मुझे तो सरकार में सिवाय प्रधान मंत्री के कोई नया नेतृत्व नहीं दिखाई देता।

मैं प्रधान मंत्री का ध्यान यू० एन० आई० की इस रिपोर्ट की ओर खींचता हूं कि भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान शीघ्र ही स्थापित होने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह गलत समाचार है। यदि सरकार ने इस समाचार का खंडन न किया तो यह सत्य ही माना जायेगा।

सरकार ने अशोक मेहता को अमरीका भेजा है। प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा का नियोजन ठीक नहीं किया गया। वसे उन्होंने स्वयं तो अच्छा प्रभाव डाला परन्तु उनका वहां जाने से पूर्व यहां यह वक्तव्य देना कि वह सहायता के लिये नहीं जा रही ठीक नहीं था। यही कारण है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने भी उनसे इस विषय पर अधिक बात चीत नहीं की। प्रधान मंत्री के साथ ठीक व्यक्ति वहां जाने चाहियें थे। वित्त मंत्री को ही जाना चाहिये था।

श्री अशोक मेहता की यह बात भी गलत थी कि वह रुपये के अवमूल्यन पर किसी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल भारत सरकार ही कर सकती है। आज के वाणिज्य के युग में जब कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय हिजारत है तो हमारे रुपये के बारे में बात करने का प्रत्येक देश को अधिकार है। इस लिये यह सरकार झूठ पर चल रही है। इस प्रकार की नीतियों से आप संसार में मित्रता अथवा सहायता प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री हजरनवीस (भंडारा) : वित्त मंत्री ने अपना कार्य-भार 4 महिने पहले संभाला था। इस समय में उन्होंने दो बार सुझाव दिये हैं जो कि नये हैं और जिनका हम स्वागत करते हैं।

वित्त मंत्री अपने पद पर अधिक नहीं ठहरते। इस लिये प्रत्येक वित्त मंत्री के मन में मद बैठनी चाहिये कि "अब या फिर कभी नहीं" के सिद्धान्त पर चलें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने थोड़े ही समय में अच्छे परिवर्तन किये हैं।

पहली अच्छी बात तो सांझे हिन्दू परिवार पर कर लगाने की हद को बढ़ा दिया है। न्याय के अनुसार तो यह हद 8000 रुपए कर दी जावे।

दूसरी अच्छी बात उन्होंने यह की है कि मध्यम श्रेणी में नीचे वर्ग के लोगों को राहत दी है। यह भी अच्छा हुआ कि अब सब बीमा पालिसियों को कर से मुक्त कर दिया है।

तीसरी बात तो छोटी सी है। इसका संबंध रुपया लगाने वाली कम्पनियों को कुछ राहत देने से है। न्यायालयों ने फैसला दिया था कि इन कम्पनियों पर कर लगाया जा सकता है।

परन्तु इन में सब से सराहनीय बात जो वित्त मंत्री ने की है, वह है "वार्षिक योजना" में सरलीकरण करना और वह भी बहुत थोड़ समय में।

मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह एक पुस्तिका छपवायें जिसमें "वार्षिकी योजना" के लाभ लिखे हों और यह पुस्तिका क्षेत्रीय भाषाओं में हों।

मुझे वित्त मंत्री से शिकायत भी है और वह है अधिभार के बारे में। अधिभार के बारे में तो कोई बात इसमें रखनी ही नहीं चाहिये।

सदन को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार आय कर को बांटा जाता है। यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को दिया जाता है। इस समय तक 4 वित्त आयोग नियुक्त हो चुके हैं। पहले के अनुसार तो 55 प्रतिशत बांटा गया था। फिर यह 60 प्रतिशत हुआ और उसके पश्चात $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत हुआ तथा इस समय तो यह 75 प्रतिशत पर पहुंच गया है। परन्तु राज्यों को कुछ शिकायतें हैं।

इस समय निगम कर 350 करोड़ रुपया है। यह सारे का सारा केन्द्र का है। राज्यों को तो 250 करोड़ रुपये में से मिलता है। मैं तो वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्यों के साथ न्याय किया गया है। ऐसा होना चाहिये कि राज्यों को कोई शिकायत न रहे।

1886 तक तो कृषि पर भी आय कर लगाया जाता था। परन्तु अब तो कृषि आय कर राज्यों को मिलता है। हमें यह विचार करना चाहिये कि क्या इन सब का मिलाकर एक ही आय कर नहीं बन सकता जिसमें कृषि तथा गर-कृषि आय कर दोनों शामिल हों। मैं यह कह दूं कि आजकल कृषि इस लिये भी की जाती है कि वह गैर-कृषि कार्यों पर लगे कर से बच सकें।

मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन सब बातों पर सहानुभूति से विचार करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The Government policies are very defective. The Government has taken loans from foreign countries and our coming generations will have to repay them. We have to take loans from others only to repay loans and interest to loans taken previously.

We should have made small projects so that we could have got immediate benefits out of them.

There are heavy taxes these days and the prices too are rising heavily. One of the reasons for rise in prices is that there is scarcity of goods produced. For this you may blame the people. Then the traders also raise prices and for that the traders should be blamed. The third reason for rise in prices is the deficit financing. For this it is the Government which is to be blamed. But all these are due to fallacious policies of the Government.

There are 40 lakh people unemployed in the country due to defective policies of the Government.

Now Government is thinking of introducing machines in Life Insurance Corporation. The machines would do the work which at the moment is being done by people. The result would be that so many people would be thrown out of employment. Shri Asoka Mehta tried to mislead the House on this Score. But I can quote what the head of LIC said about it.

Sometimes they say that there would be no retrenchment due to this. But I may give the example of Bombay where 90 people have been retrenched due to introduction of new machines there. The machines in LIC would do the work of preparing policies, preparing subscription Bill, daily accounting, the commission calculation and bonus accounting etc.

There is no gurantee that people who would be rendered surplus as a result of introduction of machines would be absorbed eleswhere. The result would be that

[Shri Hukam Chand Kachhavaiya]

we will have to break those machines which will throw people out of employment. There should be a Parliamentary Committee to enquire the advantages and disadvantages due to the use of these machines.

The Government has so far taken no revolutionay step which may enthuse confidence into them about the policies of the Government.

The income tax authorities perpetrate much hardship on the people. The officers who raid people to check tax evasion etc. themselves unduly coerce people. The same is true of the excise authorities. They coerce the middle class and small traders.

We find in our country people who earn Rs. 20·00 per month and also those who earn Rs. 8000 per month. Are you going to usher in socialism in this manner ? The plight of farmers is also bad. You should try to know the needs of the farmers.

Now fertilisers are being used in agriculture in India. But what happened in U.S.A.? Wherever fertiliser was used, the land was found scorched. Such land can be used only for three or four years. In fact no foodgrains grow in such lands.

We will be satisfied only if the Honourable Minister guarantees that action will be taken on the suggestion I have put forward.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर): यह सत्य है कि पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष के दौरान तथा बाद में जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को अधिक हानि उठानी पड़ी है। जम्मू के इलाके में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या बड़ी जटिल रही थी। केन्द्रीय सरकार की सक्रिय सहायता से जम्मू तथा काश्मीर सरकार इन शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य में काफ़ी सफल हुई है। परन्तु माली सहायता के अतिरिक्त सीमा पर पाकिस्तान द्वारा हमले के सम्बन्ध में उचित सुरक्षा व्यवस्था की समस्या अभी तक मौजूद है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर दीर्घकालीन दृष्टि से विचार करे। कुछ स्थायी उपाय किये जाने चाहिये ताकि भविष्य में पाकिस्तान पिछले सितम्बर जैसा हमला पुनः करने का साहस न कर सके और सरकार तथा जनता सभी हमले का सामना करने के लिय पूर्णतया तैयार रहें।

यह बिल्कुल सत्य है कि जो भी सरकार जम्मू तथा काश्मीर में आई, उसने लोगों की आर्थिक दशा सुधारने की पूरी कोशिश की। परन्तु दुर्भाग्यवश आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी है। पिछले दो या तीन वर्षों में पर्यटकों के न आने से काश्मीर की घाटी में रहने वालों को भारी हानि उठानी पड़ी है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में शेख अब्दुल्ला के लिये स्थान है। जम्मू तथा काश्मीर के लोग शेख अब्दुल्ला को अपना नेता तब तक समझते रहे जब तक वह महात्मा गांधी के बताये गये लोकतंत्रीय तथा धर्म-निरपेक्ष के सिद्धान्तों पर तथा कश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में चलते रहे। जब शेख अब्दुल्ला ने इन सिद्धान्तों को त्याग दिया तो लोगों ने उनको अपना नेता मानना छोड़ दिया।

कुछ दिनों पूर्व अनुच्छेद 370 के हटाये जाने के बारे में जो चर्चा हुई थी उसके दौरान श्री सादिक के रुख के बारे में कहा गया था। श्री सादिक काश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में थे और हैं। श्री सादिक़ के विचारों में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हम चाहते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति करे। हम चाहते ह कि केवल इस देश से ही नहीं बल्कि सारे संसार से पर्यटक आयें। पयटन के विकास के लिये राज्य सरकार उचित कार्यवाही कर रही है।

स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात् जम्मू को पठानकोट से रेल द्वारा मिलाने का कार्य आरम्भ हुआ था। 12 वर्षों के बाद रेल लाइन केवल कठुआ तक पहुंची है यानी केवल 8 मील लम्बी लाइन 12 वर्षों में बनाई जा सकी है। पठानकोट से अधमपुर तक 70 मील का फ़ासला है। यदि इसी दर से प्रगति होती तो मैं समझता हूं कि मैं अपने जीवन-काल में पठानकोट से अधमपुर रेल द्वारा यात्रा नहीं कर पाऊंगा। अत: इस कार्य को शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिये। चौथी योजना में पूरा नहीं तो कम से कम आधे फासले पर रेल लाइन बन जानी चाहिये।

जम्मू तथा काश्मीर में विधान सभा तथा लोक सभा के लिये निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। अभी कोई परिसीमन समिति भी नहीं बनाई गई है। यह कार्य शीघ्र किया जाना चाहिये। इस कार्य में काफ़ी समय लगता है। इस प्रकार जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अन्य राज्यों के साथ साथ निर्वाचन कराने में सुविधा होगी।

समय समय पर जम्मू और काश्मीर घाटी के विभाजन की बात चली है। मैं समझता हूं कि किसी हद तक जम्मू तथा काश्मीर के लोगों की उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिये, एक बुनियादी बात है कि जम्मू क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है। डोगरी भाषा केवल जम्मू क्षेत्र की ही भाषा नहीं है बल्कि पंजाब के कुछ भागों, कांगड़ा, कुल्लू और हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। केन्द्रीय सरकार से कहा जा रहा है कि डोगरी को भी अन्य भाषाओं की भांति क्षेत्रीय भाषा का स्थान दिया जाए। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं। जो यह कहते हैं कि डोगरी भाषा का विकास तब ही हो सकता है जब कि जम्मू को काश्मीर घाटी से पृथक कर दिया जायेगा। मेरा विचार है कि जम्मू और काश्मीर एक हैं और धर्म निरपेक्षता तथा लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के कार्य करने का जीता जागता उदाहरण हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र के नेताओं को जम्मू तथा काश्मीर की राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। यह समय ऐसा नहीं है जब कि इन समस्याओं की ओर उदासीन रहा जाये। यह कार्यवाही करने का समय है।

Shri Ram Swarup (Robertsganj) : First of all I want to say that a budget of 2,000-2,500 crores of rupees has been presented to and all expenditure is done by Government servants. It is, therefore very necessary that our government servants should work well with great discipline and uprightness. Money meant to be spent on the plans is not properly utilised : most of it is wasted. Government should, therefore, have a strict control over its machinery responsible for expending funds so that those funds are spent honestly on the projects for which they are allocated.

I want to draw the attention of the honourable Finance Minister to the fact that officers do not make honest assessment of taxes. Hence less money is collected. Government should keep a close watch over such officers.

My State, Uttar Pradesh, is a big state and there is ample cultivable land there. We have several rivers in our state. Our food situation can improve a lot if dams are constructed and floods are controlled.

Priority should be given to Gangasagar, Gandak and other projects.

I have come to know that Uttar Pradesh Government had demanded 20 crores rupees for small irrigation projects like tube-wells and Pumping sets but only 9 crores rupees have been granted by the centre. Hence our aim for self sufficiency will not materialise. If we get full money to our schemes, we will not only become self-sufficient but can also spare food for other states also. We need at least 500 Russian tractors and 200-250 tractors of the other type. I want that factories for manufacturing tractors, pumping sets and other small

[Shri Ram Swarup]

irrigational machinery should be set up in U. P. in order to meet the demand for these things. We need G. P. sheets for persian wheels. The quota of G.P. sheets fixed for our state is not sufficient. We require at least 3,000 tons of G. P. sheets so that our irrigational work may not suffer. Adequate quota of galvanised sheets should be allotted to U. P.

Allocation of fertiliser for Uttar Pradesh has also been less as compared to other states, like Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Mysore, Punjab and Madhya Pradesh. More fertiliser has been allocated to these states. Therefore more fertilisers should be allocated to U. P. for the years 1966-67.

Uttar Pradesh has demanded rupees fifteen crores for constructing three major bridges on the Ganga and the Ranganga : one on the Ranganga and two on the Ganga. These bridges will be constructed at Farrukhabad and Mirzapur. Formerly it was reported that construction of these bridges would be taken up in the Fourth Plan but nothing has so far been done. Government should take steps so construct these bridges so as to link Southern and Northern parts of U.P.

Thousands of acres of land remains useless in Western U.P. due to water-logging. We need more pumping sets to make such lands cultivable. Government should pay attention to this matter to help solve this problem.

Most of the land in the Western part of U.P. has been turning into desert. Government should provide funds to the state Government for implementing the scheme for protecting Western U. P. from being converted into a desert.

In the Bundel Khand area, land is fertile but of uneven. Tractorisation plan should, therfore, be prepared for levelling land in that area.

A number of plans for production of electricity are under implementation. Obra Thermal power and Obra hydro electric projects are incomplete for want of funds. Hence, adequate funds sl ould continue to be given for completing these projects as also the Yamuna project, which is in the second stage.

Several electricity projects are complete now but due to lack of transmission lines electricity cannot be given to tube-wells and pumping sets. Installation of transmission lines should, therefore be completed so that projects for production of electricity may be completed. Funds should be given for connecting the grids. The electricity Department of U.P. has demanded rupees 15 crores for that purpose. Government should give funds otherwise U.P. will not be able to meet both the agricultural and industrial demands.

About Rs. 1 crore have been allotted for the Rural Man Power Scheme in our state. We spent rupees 2 crores in the year 1964-65. This scheme is working in 21 districts only. At least ten more districts of U. P. should be covered under this scheme and adequate funds be provided for that purpose. The Eastern parts of U.P. are backward and scarcity conditions obtain there. Hence people there should be provided with work and financial help should also be given.

There is great shortage of diesel and kerosene oil in Uttar Pradesh. At least 20,000 litres of each per mensem should be allocated to Uttar Pradesh. These oils are essential for working of pumping sets and other small irrigational machinery.

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur) : I cannot say where exactly Shri Ashok Mehta is at present. It is now becoming a sort of scandal that Indian Government has been begging about and the American Government has not been giving aid outrightly. The reputation of our country is being affected adversely. I am not against foreign or American aid. Shri Menta should be called back immediately. Before asking for forign aid we should formulate our plan properly.

This is a year of Tashkent Declaration and famine. The famine conditions of this year reflect the hollowness of 15 years of planning and 18 years of Congress government. Only 15 to 20 inches shortfall in rainfall this year has exposed the uselessness of our plans.

Similary, the Tashkent Declaration shows the hollowness of our foreign policy. Russia has helped the cause of the U.S.A. by asking India and Pakistan to sign the Declaration. U.S.A. wanted an early end of the conflict. Now, with the signing of the Declaration, India has been cornered to a position in which she finds allied to the U.S.A. The condition of India would have been different if Russia had not pressed for talks at Tashkent and if she had only asked India to march ahead and take Lahore, Sialkot etc. The Tashkent Declaration has complicated the Kashmir issue as also other Indo-Pak disputes. U.S.A. has been very much in the advantage since the signing of the Declaration although Russia and America are opposed to each other.

The situation now is such that the influence of Russia in the international field is declining. On the other hand American influence is increasing now.

There are two ways of getting foreign aid. Either we could get foreign aid by dancing to the tune of those countries which give such aid or by formulating a plan based on self denial and a strong desire to become self-sufficient. We should keep in view the condition of Taiwan which is receiving American aid and the Government of that country agrees to carry thing put forward by America. We should, therefore, prefer to be self-sufficient.

Government should give full attention to savings. It is very important. In order to increase our savings, Government should impose certain restrictions on expenditure. Restriction, should be imposed on such families which consist of five members and spend more than thousand rupees. If that is done, then according to my calculation, that step would yield capital formation of 200 crores annually. The honourable Minister should give consideration to this suggestion of mine. Labour Unions should also not demand increase of pay for those workers who earn more than a 100 rupees a month.

It is said that our country has been progressing. The argument put forward to prove that we are progressing is that people now own more transistor sets, more cars and more houses. The whole of Asia cannot be said to be progressing simply because the standard of living in Japan has been increasing. Although during the last 15 years there had been an increase in the number of cars, transistors and buildings, there has also been an increase in unemployment, the number of rickshaw pullers, thieves and prostitutes. Therefore, how can we say that we have been progressing ?

I would now say a few words about agriculture which is a much-talked about topic. Seminars are held occasionally. At present 15 crores acres land is under cultivation. The production on one acre of land is so low that it can be easily doubled.

[Shri Kishen Pattanayak]

Only 2½ crores acres land is getting irrigational facilities. 10 to 12 crores acres of land does not have proper irrigational facilities. When rice is grown, the yield per acre is only 6 or 8 maunds.

3½ to 4 crores agriculturist families own 10 crores acres land. Government should take steps to improve the economic loss of these families. For this purpose, land revenue should be completely abolished. Free irrigation facilities should be made available to them. Prices of such commodities as are bought by the farmers from urban areas should be controlled. These measures can very much improve the lot of the 3½ crores poor farmers.

In spite of so many plans, regional disparity has very much increased. Steps should be taken to remove these imbalances.

It is a matter of great regret that there is no Government agency in Orissa to find out the number of starvation deaths there.

I was talking of regional imbalances. I may take sugar first. In Madras, 48 kilograms of sugar per head is allowed. In West Bengal, Bihar and Orissa, the quantity is 72, 32 and 3 kilograms per head. The number of college-going youth per thousand in different states also varies. 14 in Madras, 36 in West Bengal, 68 in Delhi, 18 in Bihar and only 6 in Orissa. Similarly there is wide disparity in urban workers in different states. Hence steps should be taken to remove these regional imbalances through improvement in our plans.

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रुगढ़) : मैं वित्त मंत्री द्वारा व्यक्तिगत परिवार की आय पर कर की छूट की सीमा 3,500 से बढ़ा कर 4,000 तक करने तथा संयुक्त परिवार की आय पर कर में छूट की सीमा को 7,000 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं उन्हें अन्य करों में भी छूट देने के लिये बधाई देता हूं।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

तीसरी योजना के प्रारम्भ में चीन ने आक्रमण किया था और उसके अंत में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था।

मैं सरकार की कठिनाइयों को भली भांति समझता हूं। सरकार को विदेशी मुद्रा तथा अन्य संसाधनों के बारे में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार सिवाय इसके कि विदेशी सहायता ले और कोई उपाय नहीं रह गया है। हमें देश का विकास भी करना है और देश की सुरक्षा के लिये भी व्यवस्था करनी है। अतः विदेशी सहायता न लेना देश के हित में नहीं होगा।

मैं राजस्व में कमी का समर्थन नहीं करता हूं। कुल मिला कर हमारे देश की आय विशेष कर करों से आय बढ़ रही है। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है करों से भिन्न आय में कुछ कमी हुई है। 1962-63 में उद्योगों से 35.04 करोड़ रुपये की आय हुई थी और 1964-65 में यह आय 12.72 करोड़ रुपये ही रह गई। सरकार को बताना चाहिये कि इसमें कमी क्यों और कैसे हुई है।

वनों से होने वाली आय में भी कमी हुई है। हमारे देश में वन बढ़ रहे हैं फिर भी तीन वर्षों में 2.20 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

वाणिज्य तथा अन्य उपक्रमों से होने वाले लाभांश में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। मैं नहीं कह सकता कि इन उपक्रमों की क्या कठिनाइयां हैं जिनके कारण लाभांश कम रहा है।

हमें सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिये अथवा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। हम करों से भिन्न आय पर गुजारा नहीं कर सकते। राज्य व्यापार निगम में 100 करोड़ रुपया और लगाया जाना चाहिये। ताकि यह एक लाभकारी उपक्रम बन सके और जनता को अधिक सहायता दी जा सके।

आय कर के सम्बन्ध में करों की छूट पर समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये।

अब मैं आसाम की विकास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सभा को नागा समस्या तथा मिज़ो विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या का पहले ही पता है। संसद तथा सरकार दोनों को आसाम की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये। देश के सब पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके उन्हें अन्य विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाया जाना चाहिये।

मुझे खेद है कि योजना आयोग ने 1966–67 के लिये आसाम सरकार द्वारा भेजी गई योजना में 8 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है। इसका व्यय 34 करोड़ से घटा कर 26.45 करोड़ कर दिया गया है। 1966–67 के लिये समूचे देश की योजना में 164 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। समूचे देश की योजना के खर्च में 164 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इस वर्ष के खर्च में 7 प्रतिशत की कमी की गई है और आसाम में यह प्रतिशत 13.33 है। इसका तात्पर्य यह है कि आसाम के मामले में अधिक कटौती की गई है। आसाम को योजना आयोग से कम सहायता मिलती है, जब कि उसे वास्तव में अधिक सहायता की आवश्यकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये आसाम सरकार ने 375 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की है कि तु उसे पहले वर्ष के लिये केवल 26 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि योजना आयोग ने आसाम सरकार द्वारा 1966–67 के लिये प्रस्तुत की गई योजना का आकार कम कर दिया है। आसाम सरकार ने 1966–67 के लिये केवल 34 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की थी किन्तु इसमें भी लगभग 8 करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है। सरकार को विशेष रूप से आसाम के सम्बन्ध में फिर से विचार करना चाहिए कि जब तक आसाम की इस वर्ष की मूल मांग को पुरा नहीं किया जाता और अगले पांच वर्षों के लिये कम से कम 300 करोड़ रुपय की योजना स्वीकार नहीं की जाती है तब तक आसाम का औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों का विस्तार नहीं हो सकता है।

यह सराहनीय बात है कि आसाम सरकार ने बड़े औद्योगिक उपक्रम निगम स्थापित किया है। इस निगम के माध्यम से राज्य सरकार बोकजन में एक सीमेन्ट का कारखाना तथा कचार जिले में एक लुग्दी कारखाना लगाना चाहती हैं। इन कारखानों की उत्पादन क्षमता क्रमशः 1800 टन प्रतिदिन तथा 300 टन प्रतिदिन होगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि योजना आयोग को कम से कम इन दो परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को सहायता देनी चाहिए।

आसाम सरकार ने गोल पाड़ा, कामरूप तथा यूनाइटेड खासी और जयन्तिया पहाड़ियों में लोहा-कांच-रेत आदि निकालने के लिये खनिज विकास निगम स्थापित किया है। आसाम-सरकार को मिकिर पहाड़ी तथा उत्तर कचार जिलो में पाइराइट के निक्षेपों तथा चूने के पत्थर का उपयोग करने के लिये भी केन्द्र द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। योजना आयोग को इस सम्बन्ध में उदारता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अब मैं आसाम राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या के बारे में कुछ कहूंगा। पाटस्कर आयोग ने सुझाव दिया है कि मिजो पहाड़ी को आसाम से पृथक करके एक नया राज्य बनाया जाये। यदि इस सुझाव को मान लिया जाये तो अन्य पहाड़ी क्षेत्र भी इसी प्रकार अलग राज्य की मांग करने लग जायेंगे। अतः मैं समझता हूं कि एक पहाड़ी जिले का दूसरे से अलग किया जाना देश के हित में नहीं होगा।

श्री तिम्मया (कोलार) : हमारी तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और हम अब चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने तीन पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। किन्तु इस में भी सन्देह नहीं है कि इन योजनाओं से जनसाधारण को कोई लाभ नहीं हुआ नहीं हुआ है। योजनाओं में देश की आय में जो वृद्धि हुई है वह चन्द लोगों के हाथों तक सीमित रही है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक असमानता बढ़ गई है। इस का मुख्य कारण यह है हमारी योजनाओं की क्रियान्विति सही ढंग से नहीं हुई है। सरकार सदा समाजवाद के सिद्धान्त की बात करती रही है किन्तु उसे कार्यरूप नहीं दिया गया।

धनी व्यक्तियोंने उद्योग के सभी क्षेत्रों में अपना एकाधिकार जमा रखा है। लाइसेंस तथा ठेके केवल धनी लोगों को ही मिलते हैं। कोई भी नया व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। आयात लाइसेंसों सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों को उदार बनाया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाइसेंस मिल सके और वे धन कमा सकें। गावों में जो विकास कार्य होते हैं उनके ठेके स्थानीय लोगों को ही दिये जाने चाहिए। इससे गांव का विकास होने के साथ ठेके से होने वाली आय का लाभ भी गांव वालों को ही मिलेगा। यह आर्थिक विषमता को कम करने की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा। सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए ताकि इस योजना से आय में जो वृद्धि होगी, वह समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

यह ठीक है कि देश में खाद्यान्न की कमी है। किन्तु मैं समझता हूं कि कुछ सीमा तक खाद्य समस्या एक कृत्रिम समस्या है। खाद्यान्न की कमी भी व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न को जमा करने कारण अधिक हो गई है। किसान लोगों को उनके उपज के लाभप्रद मूल्य नहीं मिलते है। बढ़ते हुए मूल्य का सारा मुनाफा व्यापारी लोग कमा रहे हैं। अतः मंत्री महोदय द्वारा किसानों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उन्हें उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य मिलेंगे। इस प्रकार हम देश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। और हमें अनाज के लिये दूसरे देशों पर कम निर्भर करना पड़ेगा।

आजकल किसान अनाज पैदा करने के बजाय वाणिज्यिक फसलें पैदा करना अधिक लाभदायक समझते है और उनमें वाणिज्यिक फसलें पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिससे देश में अपेक्षित मात्रा में अनाज पैदा नहीं हो रहा है। अतः खंड विकास अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे किसान अपने खेतों में वाणिज्यिक फसलें न पैदा कर केवल अनाज ही पैदा करें। एक महत्व पूर्ण बात यह है कि कृषि कार्यों के लिये नियत किये धन का उपयोग कृषि के लिये ही किया जाना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस धन का दुरुपयोग न हो।

देश के जिन क्षेत्रों में कई वर्षों से लगातार अकाल या सूखा पड़ रहा है, वहां सरकार ने स्वयं जनता के लिये कुए खोद कर पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। छोटी सिचाई योजनाओं की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन किसानों के पास कम भूमि है और जिनके लिये अपनी भूमि के लिये नलकूप लगाना संभव नहीं है उनके लिये सरकार को सामूहिक नलकूपों की व्यवस्था करनी चाहिए और उनसे उपयोग किये जाने वाले पानी के अनुसार शुल्क लेना चाहिए। इससे छोटे किसानों को सिचाई के लिये पानी मिलने के साथ साथ पीने के लिये भी आसानी से पानी मिल सकेगा।

खाद्यान्न समस्या हल करने के लिये अनाज का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ परिवार नियोजन करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अब तक किये गये प्रयत्नों से पता चलता है कि परिवार नियोजन योजना को कारगर ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। समूचे देश में, विशेष रूप से गांवों में, लोगों को इसका महत्व समझाया जाना चाहिये और इसे लोक प्रिय बनाया जाना चाहिए। इसके लिये गांवों में ग्राम सेविकाओं की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

मैसूर के कोलार क्षेत्र को सिचाई की व्यवस्था करने के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिए। कोलार सोने की खानों के प्रबन्धकों तथा मजदूरों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप जो निर्णय किये गये हैं उनको

क्रियान्वित किया जाना चाहिए। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उन्हें क्रियान्वित करने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है। कोलार की सोने की खानों में काम करने वाले मजदूरों को सहायतार्थ कुछ बोनस दिया जाना चाहिए। बोनस का जो मामला निर्णय के लिये सौंपा गया है, उसे वापिस लिया जाना चाहिए।

श्री स्वैल (आसाम—स्वायत्तशासी जिले) : सरकार ने आसाम की मिजो पहाड़ियों की समस्या को समझने का प्रयत्न नहीं किया है और वह सदा ही इस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही है। मिज़ो पहाड़ियों में हाल में हुए विस्फोट, इसके बाद स्वयं आसाम में घटी घटनाओं, लुमडिंग और डिफू स्टेशनों पर हुए बम विस्फोट तथा दो-तीन पहले गाड़ी का पटरी से उतर जाना आदि घटनाओं को अलग अलग घटनाएं नहीं समझना नहीं चाहिए, इनका एक दूसरे से सम्बन्ध है। इन से एक बड़े हमले का आभास मिलता है। इस समस्या को केवल नागाओं तथा मिज़ो लोगों की समस्या समझना एक भूल होगी। यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को हल करना चाहती है तो सरकार को अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करना होगा। यह समझना गलत है कि मिज़ो पहाड़ियों में भी वही स्थिति है जो कि नागा पहड़ियों में है।

नागा लोग वर्ष 1947 से ही भारत से अलग होने की मांग कर रहे हैं, जब कि मिज़ो लोग कुछ समय पहले तक सरकार के साथ एक निष्ठावान नागरिक की तरह पूरा सहयोग करते रहे हैं।

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद मिजो लोगों ने न केवल भारत सरकार अपितु आसाम राज्य के साथ भी पूरा सहयोग किया था। किन्तु राज्य सरकार ने उनकी ओर बहुत कम ध्यान दिया तथा उनकी उपेक्षा की जिसके परिणाम स्वरुप आज यह एक समस्या पैदा हो गई है। अब मिजो लोग यह अनुभव करने लगे है कि वे आसाम राज्य की दया पर निर्भर है। उनके लिये बहुत कुछ किया जा सकता था जो नहीं किया गया।

राज्य तथा केन्द्रीय, दोनों, सरकारों द्वारा उनकी उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने दूसरे पहाड़ी लोगों के साथ मिल कर भारत संघ में एक पृथक राज्य की मांग करनी आरंभ कर दी। 1962 में संवैधानिक ढंग से उन लोगों ने अपने विचार प्रकट किये और 70 प्रतिशत मिजो लोगों ने आसाम से अलग होकर एक अलग मिजो राज्य बनाने की मांग की थी।

वर्ष 1963 में जब राज्य विधान सभा के लिये उप चुनाव हुए थे तो उसमें मिजो नेशनल फ्रन्ट ने भी भाग लिया था। उनके चुनाव घोणषापत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि यदि उसने चुनाव जीत लिया तो वे विश्व को बता सकेंगे कि मिजो लोग स्वतंत्रता के पक्ष में है। सरकार ने उस समय इस दल को पृथकत्व के आधार पर चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सरकार का ध्यान उस घोषणापत्र की ओर दिलाया गया किन्तु सरकार ने उसकी कोई परवाह नहीं की। सरकार ने उस ओर ध्यान देने के बजाय मिजो नेशनल फ्रन्ट के लोगों की कई प्रकार से सहायता की। उसीके परिणामस्वरुप मिजो पहाड़ियों के बारे में वर्तमान समस्या उत्पन्न हुई।

अब भी समय है जब कि सरकार को इस सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को पहाड़ी क्षेत्र के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। उस सम्मेलन में उनकी समस्याओं पर विचार किया जा सकता है और उन्हे दूर करने के उपाय निकाले जा सकते हैं।

श्री कृष्ण मैनन (बम्बई-उत्तर) : यह बात विचाराणय है कि न केवल निर्वाचन की दृष्टि से और न केवल विरोध की भावना से हम इस बात को नहीं भुला सकते कि हमारी सरकार की आर्थिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज बीस वर्ष से कांग्रेस दल एक आर्थिक नीति के लिये वचन बद्ध है। 1946 में वायसराय की कार्यकारी परिषद् के उपप्रधान बनने के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक साम्राज्यवाद से बचने के लिये राष्ट्रीय आत्म निर्भरता प्राप्त करना

[श्री कृष्ण मैनन]

है। आर्थिक दबाव के साथ साथ किसी देश को राजनैतिक दबाव में भी रहना पड़ता है। चाहे कोई कुछ भी कहे किन्तु हम बिना समाजवादी सिद्धान्त के आर्थिक आत्म निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

यह सराहनीय बात है प्रधान मंत्री ने बार बार कहा है कि हमारी मूल नितियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। वित्त मंत्री महोदय ने भी यही कहा है कि कोई भी आत्म सम्मान वाला देश लगातार विदेशी सहायता से अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चला सकता है। सरकारी नीतियों को मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की केन्द्रीयकृत योजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाता है। केन्द्रीयकृत योजना का अर्थ है देश के समस्त मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को समेकित करना। परन्तु योजना मंत्री ने हाल ही में अमरीका में एक वक्तव्य में कहा है कि हमारी राष्ट्रीय योजनाएं नियंत्रित होनी चाहिए। कई बार नियंत्रित अर्थव्यवस्था देश के लिये अभिशाप साबित होती है।

अब मैं सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। मैं समझता हूं कि सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों, क्षेत्रों का उद्देश्य देश के हितों की सेवा करना है न कि वर्गों तथा व्यक्तियों के हितों की सेवा करना। अतः चाहे सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र, कुप्रबन्ध से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

गैर सरकारी क्षेत्र को भी केन्द्रीयकृत योजना के सिद्धान्त तथा देश के हितों के अनुसार चलना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाये रखना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति आज केवल हमारे ही देश में नहीं है, दुनियां के हर देश में किसी न किसी प्रकार की नियंत्रित अर्थ व्यवस्था है। जब इन नियंत्रणों के बारे में ऐसा विवरण संसद तथा सरकार के अतिरिक्त साधनों से आता है, तो वह चिन्ता की बात हो जाती है।

जहां तक धनी तथा निर्धन के बीच असमानताओं को कम करने का सम्बध है, आर्थिक तथ्य तो ये हैं कि ऐसी असमानतायें केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं अपितु मुल्कों के बीच भी है। धनी देश अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन देश और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। भारत ने, अथवा सरकार चलाने वाले दल ने, जिसे देश का विश्वास प्राप्त है, एकाधिकारों तथा आर्थिक नीतियों के बारे में बार-बार घोषणा की है। इन वर्षों के दौरान कांग्रेस दल ने कांग्रेस के पिछले इतिहास को देखने से मालूम होगा कि हमने असमानता दूर करने का सिद्धान्त अपनाया है और आय तथा सम्पत्ति की असमानताएं कम करने और गैर-सरकारी एकाधिकारियों तथा कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने पर बल दिया है। यह सिद्धान्त संविधान के निदेशक तत्वों, औद्योगिक नीति संकल्प तथा कांग्रेस दल के अन्य संकल्पों में उल्लिखित है। इससे मालूम होता है कि हमने पिछले 19 वर्षों के दौरान अपनी मूल नीति में परिवर्तन नहीं किया है और हमने इसे समय समय पर दोहराया है।

समाज कल्याणकारी राज्य समाजवादी राज्य नहीं होता। यह जरुरी नहीं है कि समाज कल्याणकारी राज्य का रुप समाजवादी राज्य होगा। आज बड़े बड़े व्यापारी लोग अमरीका जाकर यह कह रहे हैं कि हम समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं। इसलिये वर्तमान स्थिति जैसा कि वित्त मंत्री ने सामने रखी है, यह है कि पूंजी लगाने के लिये कोई भी तैयार नहीं है। उद्योग में पूंजी बढ़ाने के लिये पूंजी उपलब्ध नहीं है और इसलिये बैंकों को ही हमारे उद्योगों को धन देना पड़ता है। उद्योग में लगाने के लिये पूंजी की आवश्यकता को बैंकों तथा विदेशी ऋणों द्वारा पूरी करने का प्रयत्न किया गया है। सरकार ने विदेशी ऋणों की 'गारंटी' दी है इसलिये देशी विनियोजकों की तुलना में विदेशी ऋण को अधिक महत्व प्राप्त है।

जहां तक पी०एल० 480 की धनराशि के प्रयोग का सम्बन्ध है, हमें यह बताया गया था कि यह अवरुद्ध धनराशि है और इसलिये इसका प्रयोग किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। यह कोई उत्तर नहीं है कि वस्तुओं की बिक्री से यह धन प्राप्त हो रहा है अतः यह धन विक्रेताओं को दिया जाना

जरुरी है। यह धन अमरीकी खाते में नहीं जाता। बिक्री से प्राप्त धन का विनियोजन तथा खर्च सामान्य रूप से होता है। इसलिये जब रुका हुआ धन बाहर आता है तो मुद्रा की राशि बढ़ती है। पी० एल० 480 को धनराशि निधि में अवरुद्ध किये जाने पर इस राशि का देय ब्याज उस धन से देना पड़ेगा जो करों से प्राप्त हुई है अर्थात इस तथाकथित निधि का भुगतान कर दाताओं द्वारा किया जाता है।

वित्त मंत्री ने कुछ मामलों में बहुत बड़े परिवर्तन किये हैं। निगमित क्षेत्र को लाभांश पर 10 प्रतिशत तक कर में छूट दी गई है अर्थात 10 प्रतिशत अथवा उससे कम लाभांश प्राप्त करने वाले शेयरों पर कोई भी आय-कर नहीं देना पड़ेगा। यह निगमित क्षेत्र को एक रियायत दी गई है। यह सच है कि इससे भी कुछ व्यक्तियों को लाभ होगा। किन्तु यदि यह रियायत बनी रही, तो यह कोई अच्छी बात नहीं। वित्त मंत्री ने बोनस शेयर जारी करवाये हैं। यदि कोई कम्पनी बोनस शेयर जारी करती है, जिससे उसकी पूंजी बढ़ती है और लाभ अधिक शेयरों में वितरित करना पड़ेगा। इसलिये निगमित क्षेत्र की कई संस्थाओं को, जिन्हें पहले आयकर देना पड़ता, अब आयकर नहीं देना पड़ेगा। ऐसा मालूम हुआ है कि 'बजट स्पीच' के दो-तीन दिन बाद ही 98 करोड़ रुपये मूल्य के बोनस शेयर जारी किये चुके हैं। इससे कर-दाताओं पर अतिरिक्त कर बोझ पड़ेगा। मैं समझता हूँ इससे समाजवाद को बल नहीं मिलता है। इसके अलावा इससे भविष्य में इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना कठिन हो जायेगा और थोड़े दिनों के बाद यह एकाधिकार का प्रश्न बन जायेगा जिसका प्रभाव सीमित आकार के उद्योगों पर पड़ेगा और एकाधिकारी उस स्थिति में हर प्रकार सरकार की अपेक्षा अधिक सक्रिय हो जायेंगे।

व्यय-कर के समाप्त हो जाने से कारपोरेशन अपने व्यय लेखों के बारे में बहुत कुछ अपनी स्वेच्छा से कार्य कर सकेंगे। पहले जब व्यय-कर था तो उनको अपने व्यय का पूरा-पूरा हिसाब रखना पड़ता था। इसलिये इस तरह व्यय-कर के समाप्त हो जाने से काफी धन पर कर नहीं लगेगा।

स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसीडेन्ट ने 3 फरवरी को वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया जिसमें सभी प्रस्ताव लगभग वे ही थे जिन्हें वित्त मंत्री ने आय-व्ययक प्रस्तुत किया। मुझे खुशी है कि मंत्री लोग सलाह लेते हैं, किन्तु उन्हें सभी वर्ग के लोगों से सलाह लेनी चाहिये।

जहां तक छोटी बचतों का सम्बन्ध है, इस बारे में यह आवश्यक है कि बैंकिंग प्रणाली के बारे में कुछ किया जाये जिससे छोटी बचतों को जमा किया जा सके।

विश्व बैंक के प्रस्ताव 'बैल प्रतिवेदन' पर आधारित हैं। यदि सरकार को इस प्रतिवेदन के बारे में कोई जानकारी हो तो यह जानकारी उसे जनता के सामने रखनी चाहिये क्योंकि विश्व बैंक की नीति का यही आधार है विश्व बैंक की नीति ऐसी है जिससे वे हमारे आर्थिक तथा प्रशासनिक ढांचे को बदलना चाहते हैं।

मैं उन लोगों के विचारों से सहमत नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि देश को बेचा जा रहा है। इस देश को बेचना किसी के बस की बात नहीं है। यह बिलकुल सच है कि हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता है, किन्तु इस बारे में भी भ्रम निकाल देना जरुरी है। यह देश, यह संसद तथा इस देश की सरकार विदेशी सहायता के विरुद्ध कभी नहीं रही है। हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता है किन्तु यह सहायता उन शर्तों के अधीन प्राप्त की जानी आवश्यक है जिसमें अपनी अर्थ व्यवस्था पर हम नियंत्रण रखें न कि सहायता देने वाला देश, जब हम विदेशी सहयोग की बात करते हैं तो हमारे लिये यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि विदेशी सहयोग से हमें विशेषज्ञता प्राप्त होना तथा हमारे संसाधनों में वृद्धि होना जरूरी है अन्यथा देश को बहुत ही कम अथवा बिलकुल ही लाभ नहीं होगा। अतः यह कुछ लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले 'बेच देना' शब्दों का प्रश्न नहीं बल्कि आर्थिक सम्बन्धों का प्रश्न है। दवा की कड़वी घूंट भी निगलनी पड़ती है। किन्तु यदि 'टोनिक' ऐसा है जिसकी मात्रा से किस्म में फर्क आ जाता है और वह इतना अधिक 'टोनिक' बन जाता जिसे पचाना मुश्किल है, तो उसे न पीना अथवा उसका विरोध करना आवश्यक है। हम आज एक स्थिति पर पहुंच गये हैं जहां निर्णय में भारी परिवर्तन होते जा रहा है जिसके फलस्वरूप लोगों का मनोबल डगमगाने लगा है। इसलिये सहायता लेते समय केवल

[श्री कृष्ण मेनन]

शर्तों के बारे में बातें करने से कोई लाभ नहीं। शर्तें तो हमेशा रहेंगी किन्तु प्रश्न यह है कि शर्तें किस प्रकार की है और कौन-कौन सी शर्तें सहन की जा सकती हैं। हमें इस बात का यकीन होना जरुरी है कि ये शर्तें हमारे लिये दुखदायी नहीं होंगी।

देश के वातावरण तथा स्थिति को ध्यान में रखना भी जरुरी है। ऐसा कहा जाता है कि रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया है और किया भी नहीं जायेगा। मैं समझता हूँ सभी सरकारें अवमूल्यन करने से पहले ऐसा ही कहा करती हैं। हमें किसी भी बड़े परिवर्तन करने से पूव अपने आर्थिक सम्बन्धों, राजनैतिक स्थिति तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी क्षमता के सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।

Shri Bishan Chander Seth (Etah) : Mr. Chairman, Sir, today the country is facing a dangerous situation, both external and internal. In the name of law and order, every now and then, firing is resorted to by the Government with the result that adverse public opinion has grown against it. This is no doubt, a disturbing state of affairs. The Governments record during all these years is one of indecision and appeasement and if it did not revise its present policies which are responsible for its failure particularly in external field, there is no hope for the future.

Coming to the Tashkent Agreement, the Government of India took a hasty step in putting its seal on this agreement despite the fact that this hasty step was opposed even by a member of the then union Cabinet. Even in the ruling party, there are members today who think that the agreement is not in the interests of the country. Moreover, a ridiculous situation has arisen out of the way it is being dishonoured today.

In regard to Kashmir and Nagaland, the Government in all these 18 years followed a policy of indecision, making the issue more complicated and because of its failure to take firm decisions in regard thereto, nobody knows today what the exact position is and where we stand. If the present state of affairs continues, serious developments may take place.

As regards Pakistan, the Government's attitude towards her continues to be one of appeasement; and one fails to understand why can our Government not take a courageous stand against the anti-India policies of Pakistan.

The manufacture of atom bomb in the country is necessary in the interest of the national security and yet no decision is taken in the matter. Although the atom bomb or Hydrogen bomb is not going to decide the fate of wars in the world, the possession of the bomb will enable us to talk to an enemy from a position of strength.

In spite of the fact that the Gold control order has failed in its objectives, the Government has not withdrawn it for reasons not known to the people. Smuggling of gold is going on on an unprecedented scale. Moreover, it is causing a great loss to the Income Tax and the Sales Tax Departments also. It is sheer abstinency on the part of the Government that it is sticking to the order.

Corruption has not disappeared in spite of Shri Nanda's assurances and promises to eradicate it by or before 1965. The Home Minister should confess his failure in tackling the problem.

I would also like to remind of the attitude of General Nasser. On the one side the activities of General Nasser are quite contrary to the Indian ideology such as the proposed formation of a Pan Islamic state, on the other side, we are not prepared to give diplomatic recognition to Israel. The treatment meted out to the

President of Israel wnile passing tnrough India *en route* to his foreign visits was very unfortunate on the part of tne Government of India. To-day the country is facing a food crisis. The food shortage in the country can be easily wiped out if the Government adopts a right policy. My suggestion in this regard is that the departments of Community Development, Canal and Electricity should work in a close cooperation with one another under the supervision of the Union Minister of Food & Agriculture. About twenty per cent of the land in India is lying unutilised and if it is brought under cultivation, the food production is bound to increase. The Central Government should see that the agricultural implements and inputs distributed tnrough the states actually reach the cultivators.

Controls introduced in tne country have proved utter failure, and these controls are main causes of artificial scarcity of commodities including foodgrains in the country. Tnerefore the policy of decontrol should be adopted.

Today the fall in the production capacity of the industrial sector is a matter of concern and it is necessary for the Government to pay due attention to this problem and see tnat tne percentage of production increases to tne production capacity. I would like to suggest tnat we snould start tnree year Plans instead of Five Year Plans wnicn nave not been successful. I would also suggest tnat we snould take one item at a time and on its completion we snould take up the other things.

श्री कोया (कोझीकोड) : समाजवाद की बडीबड़ी बाते करने के बावजूद कांग्रेस सरकार देश मे अमीर और गरीब में जो अन्तर है उसको समाप्त करने अथवा कम करने में असफल रही है। काँग्रेस के अध्यक्ष श्री कामराज ने 11 मई को एक स्थान पर भाषण करते हुए स्वयं इस बात को माना है कि यद्यपि ग्यारह वर्ष हो गये जबकि कांग्रेस ने देश में समाजवाद स्थापित करने का निश्चय किया था तथापि अमीर और गरीब में जो अन्तर है उसको कम करने में सरकार असफल रही है। अब समय आ गया है जबकि सरकार को अपने रवैये तथा नीतियों पर पुनर्विलोकन करना चाहिये। सभी विकास योजनायें नगरों में ही बनाई गई है और इन योजनाओं पर लगाये गये धनसे ग्रामवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। राज्यों के बीच भी आर्थिक असमानता स्पष्टरूप से देखी जा सकती है। ग्यारह वर्ष के समाजवाद के बावजूद भी लोग अर्ध-भुखमरी की स्थिति में हैं। औद्योगिक परियोजनाओं में बहुत धीमी प्रगति हो रही है।

केरल राज्य की उपेक्षा की जा रही हैं। वहां पर लोगोंके सामने बहुत सी कठिनाइयां है। बेरोजगारी की समस्या सबसे विषम समस्या है। राज्य के सामने पिछले तीन महीनों से कोई न कोई समस्या बनी हुई है परन्तु केन्द्रिय सरकार ने इन समस्याओ को हल करने तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने कुछ नही किया है।

मुझे ऐसे कई मामलों का पता है जहां केरल राज्य मे भारत रक्षा नियमों का दुरुपयोग किया गया है। भविष्य में सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि निर्दोष लोगों को इससे कठिनाई न उठानी पड़े।

बहुतसे वामपक्षी साम्यवादियों को गद्दार तथा चीन समर्थक कहकर गिरफ्तार किया गया था परन्तु अब उनको छोड़ दिया गया हैं। मैं पूछना चहाता हूँ कि क्या वे अब गद्दार नही रहे अथवा श्री नन्दाजी ने ही गलत कहा था। दोनों में से कौन गलत है। गिरफ्तार किये जाने वाले सभी व्यक्तियों को न्यायालय में अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह भारत रक्षा नियमों को अधिक सोच समझ, सावधानी तथा निष्पक्षता से प्रयोग में लाये।

मलेशिया तथा श्रीलंका में तामिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है परन्तु भारत में उर्दू को, जोकि भारत की ही एक भाषा है, मान्यता नहीं दी गई है। इसलिये मै कहना चाहता हूँ कि सरकार को भाषा के मामले मे अधिक उदारता से काम लेना चाहिये और उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की राजभाषा बनाया जाना चाहिये।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : देश के सामने इस समय मुख्य समस्या उत्पादन बढ़ाने की है। यह बड़े दुख की बात है कि देश की औद्योगिक क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं किया गया है और बहुतसी क्षमता बेकार पड़ी है। यदि उस बेकार पड़ी क्षमता का उचित ढंग से प्रयोग किया जाये तो न केवल उत्पादन में ही तुरन्त वृद्धि होगी बल्कि दूसरे बहुतसे तरीको से हमें अर्थव्यवस्था में सहायता मिलेगी। इस लिये सबप्रथम हमें बेकार पड़ी क्षमता का प्रयोग करना चाहिये।

सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिये तथा इनकी क्रियान्विति की जांच की जानी चाहिये तथा उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिये। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। जो अधिकारी काम नहीं करते अथवा लापरवाही के कारण कुछ गलती करते हैं तो उनको उचित दण्ड दिया जाना चाहिये। यदि हम यह सब कुछ नहीं करते तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकेंगे।

कई बार नई परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने में निर्धारित समय से अधिक समय लग जाता है। जिस परियोजना को तीन वर्ष में पूरा होना होता है वह पांच अथवा छः वर्ष में पूरी हो पाती है।

कई बार विदेशी मुद्रा की कमी भी बेकार क्षमता का कारण बनती है। कई बार 30 करोड़ रुपये की लागत वाले कारखाने भी उत्पादन करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनको कुछ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा नहीं मिलती। इस प्रकार उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी रहती है। परन्तु सरकार उसी समय नया कारखाना अथवा मिल लगाने की बात सोचती है। मेरा सुझाव है कि कुछ समय के लिये बोकारो इस्पात कारखाने के प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये क्योंकि इस समय देश में इस्पात तथा लोहे का उत्पादन काफी है और समस्त उत्पादन का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार बचने वाली विदेशी मुद्रा को हम दूसरी परियोजनाओं में लगाकर तुरन्त लाभ उठा सकते हैं। इस समय यदि देश के सामने अनाज की समस्या है यदि हम नई परियोजनाओं को आरम्भ न करके वही रुपया उर्वरक के कारखाने लगाने में खर्च करे तो इससे अनाज की समस्या को हल करने में काफी सहायता मिल सकती है।

मैं चाहता हूं कि सरकार धन की कमी सम्बन्धी तथा ऋण पर आधारित रहने की नीति पर पुनर्विचार करे। अधिक ब्याज देने सम्बन्धी नीति से न केवल उत्पादन में बाधा पड़ती है बल्कि इससे अर्थव्यवस्था के विकास में भी रुकावट आती है। स्थिति को सुधारने हेतु कई उपाय किये जा सकते हैं। मेरा सुझाव है कि निगम कर में कुछ रियायत दी जानी चाहिये जिससे लोगों को उद्योगों में धन लगाने के लिये प्रोत्साहन मिल सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वार्षिकी जमा खातों की प्रक्रिया को कुछ सरल किया है और इसमें कुछ छूट भी दी है। परन्तु वार्षिकी जमा व्यवस्था को अधिक सरल बनाने की गुंजाइश है। इस समय प्रक्रिया यह है कि जिस समय वार्षिकी जमा करवाई जाती है तो एक रसीद मिलती है। रुपया वापस लेने के लिये उस रसीद को सम्भाल कर रखना पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि इस के स्थान पर अलोच्च राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र रखे जाने चाहियें। मेरा अन्य सुझाव यह है कि सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम में धन लगाने को 'वार्षिकी जमा' का एक तरीका माना जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन दोनों सुझावों पर विचार करें।

यह भी मानना पड़ेगा कि हमारा आर्थिक आधार बहुत छोटा है। इसको तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि छोटे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये। औद्योगिक नीतियां ऐसी बनाई जानी चाहिये जिससे आम जनता को लाभ हो। छोटे पैमाने के कारखाने की परिभाषा में भी परिवर्तन

किया जाना चाहिये। एक समय था जबकि 5,000 रुपये से छोटे पैमाने का कारखाना लगाया जाता था परन्तु इस राशि को बढ़ाकर 10,000 और फिर 25,000 रुपये कर दिया गया था। परन्तु अब अवमूल्यन के लिये स्थिति बदल गई है इसलिये इतने रुपये में कोई भी कारखाना कठिन है।

यदि कराधान विधियों में सुधार कर दिया जाये तो मेरा विचार है कि कम दर होने पर भी करों से बहुत अधिक आय हो सकती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम मेल का पटरी से उतर जाना

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं वह इस बारे में वक्तव्य दें :

"30 अप्रैल, 1966 को गोहाटी-लुमडिंग सेक्शन पर पानीखैती स्टेशन के निकट 3 अप आसाम मेल का पटरी से उतर जाना"।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 30-4-66 को जब 3 अप असम मेल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गौहाटी-लुमडिंग सेक्शन पर पानीखाइटी स्टेशन की मुख्य लाइन से होकर जा रही थी, तो इसके इंजन से ग्यारहवीं और बारहवीं बोगियां पटरी से उतर गयीं, और तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं बोगियां पटरी से उतर कर उलट गयीं। यह दुर्घटना दिन में 12 बजकर 42 मिनट पर हुई। आगे की दस बोगियां और सबसे पिछले तीन बोगियां पटरी पर खड़ी रहीं।

दुर्घटना के कारण, एक आदमी को गहरी चोटें आयीं, दो आदमियों को मामूली और तेईस को हल्की चोटें आयीं। चार घायल आदमियों को एम्बुलेंस वान में मालीगांव रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया और बाईस आदमियों को, जिन्हें हल्की चोटें आयीं थीं, घटना स्थल पर मरहम-पट्टी करने के बाद आगे जाने दिया गया।

रेलवे के सीनियर अफसर जिनमें चीफ मेडिकल अफसर भी थे, गोहाटी से, सड़क के रास्ते पानीखाइटी के लिये फौरन रवाना हो गये। गोहाटी से पानीखाइटी 14 किलोमीटर दूर है। रेल के रास्ते एक चिकित्सा यान भी भेज दिया गया।

गाड़ी के अगले हिस्से को, जिसमें दस बोगियां थी और जो पटरी पर खड़ी थीं, उसी दिन 18.45 बजे आगे के सफर पर रवाना कर दिया गया।

गाड़ियों का आना-जाना 21.45 बजे फिर शुरू हो गया।

कलकत्ता-स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त दुर्घटना के कारणों की जांच करेंगे। उनकी जांच 3-5-66 से शुरू हो रही है।

श्री हेम बरुआ : 7 मार्च को जोरहाट में छिपे हुए नागाओं से कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे जिनसे उनकी तोड़फोड़ की कार्यवाहीयों सम्बन्धी नीति का मुख्यरूप से पता चलता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण कि इस चीजें के होते हुए भी सरकार आवश्यक पूर्वोपाय क्यों नहीं किये जिससे एक के बाद एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न घटें।

डा० राम सुभग सिंह : समूची सभा को मालूम है कि कुछ कार्यवाही की गई है जो कि काफी उचित सिद्ध हुई हैं । इसी कार्यवाही के फलस्वरूप इस घटना से एक दिन पूर्व अर्थात 29 अप्रैल को दीमापुर से एक बम का पता लगाया गया था। सैनिक कर्मचारी इसकी छानबीन कर रहे हैं। जहां तक इस दुर्घटना विशेष का सम्बन्ध है कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल से प्राप्त हुई प्रथम सूचना से किसी बाहरी कार्यवाही का सन्देह नहीं होता है। इसलिये इस घटना के कारणों के बारे में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी : क्या प्रतिरक्षा के कुछ कर्मचारी भी इस रेलगाड़ी दारा यात्रा कर रहे थे और 26 घायल व्यक्तियों में से प्रतिरक्षा कर्मचारियों की संख्या क्या है।

डा० राम सुभग सिंह : जी हां। प्रतिरक्षा का एक कर्मचारी फ्लाइट लैफटिनैन्ट प्रताप चन्द्र वैद्य घायल हुए हैं। उनको काफी चोटें आई हैं। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि उनकी मृत्यु हो गई है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या जिस स्थान पर यह घटना घटी है वह नागा पहाड़ी क्षेत्र की तरह एक पहाड़ी क्षेत्र है?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य घटना स्थल की स्थिति से पूरी तरह अवगत है क्योंकि वह भी उसी क्षेत्र से आये हैं। गोहाटी के चारों ओर भी पहाड़ है।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that China and Pakistan are making war preparations on the Indian borders and that they have sent such agents who indulge in such type of sabotage activities ? If so, the steps taken by Government to remain cautious about them.

Dr. Ram Subhag Singh : Safety of Lumding-Finkating and Lumding-Badarpur areas, bridges and rail tracts, have already been entrusted to the Army. Police is also patrolling and checking is also going on.

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : आसाम में जो घटना घट रही है वे हम सब के लिये चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। इसी प्रकार का तथा ऐसी ही परिस्थितियों में एक मास पूर्व भी एक घटना हुई थी। क्या रेलवे मंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उस क्षेत्र में रेल यात्रा सुरक्षित हो ?

डा० राम सुभग सिंह : हमारा प्रयत्न यही है। हम यात्रियों के लिये रेल यात्रा सुरक्षित बनाने के लिये सभी सम्भव कदम उठा रहे हैं। माननीय सदस्य सिलचर के रहने वाले ह और वह जानते है कि वहां पर स्थिति क्या है। यह आवश्यक है कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का साहस से सामना करें।

श्री स्वैल (आसाम–स्वायत्तशासी जिले) : 16 अप्रैल को भी उत्तर बंगाल में एक ऐसी घटना घटी थी तथा इसके पश्चात् कुचबिहार में भी विस्फोटक पदार्थों का एक बम पकड़ा गया है। इस सबको देखते हुए क्या सरकार के विचार में तोड़फोड़ की कोई बड़ी योजना कार्य कर रही है और क्या सरकार के विचार में इन सब घटनाओं के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि सभा को अवगत है मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि हमारे विचार में इन घटनाओं की पीछे विदेशी तत्वों का हाथ है और ये घटनाएं सोची समझी योजना की ही परिणाम है। यह बात इससे भी सिद्ध है कि फ्रांस के बने हुए कुछ उपकरण पकडे गये हैं।

श्री राव बरुआ (जोरहाट) : आज प्रातः यह प्रभाव बन गया था कि गाडी किसी तकनीकी नुक्स के कारण पटरी से उतरी है। परन्तु रेलवे के अतिरिक्त आयुक्त ने अपने वक्तव्य में कहा है कि घटना के कारण का पता नहीं लगा है और नहीं प्रारम्भिक जांच की गई है। इन दोनों स्थितियों में क्या समानता है ?

डा० राम सुभग सिंह : इसलिये ही मैंने उत्तर में कुछ नहीं कहा था। मैंने केवल यही कहा था कि रेलवे (सुरक्षा) के अतिरिक्त आयुक्त वहां पर गये है और उन्होंने जांच आरम्भ कर दी है।

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether government is aware that Mizo and Naga rebels, Pakistan and Chinese army and British diplomacy are being concentrated on our eastern borders?

Dr. Ram Subhag Singh : Everybody is aware of the elements being concentrated there.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज सुबह रेलवे मंत्री ने कहा था कि रेल दुर्घटना किसी कारण विशेष से नहीं हुई है। क्या यह सच है कि डा० राम सुभग सिंह विस्फोट के पश्चात् वहां पर गये थे और उन्होंने एक टिप्पन भेजा था जिसमें बताया गया था कि इस घटना के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ है ? क्या तोडफोड़ की सम्भावना के पहलू को बिल्कुल छोड़ दिया गया है अथवा इस पहलू के बारे में भी अभी जांच की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैंने यह कहा था कि पहली दो घटनाओं तथा इस घटना विशेष में अन्तर है। पहली दो घटनाएं रेल गाड़ी में रखे गये बमों के फटने के कारण हुई थी। इस विशेष मामले में मैं कहना चाहता हूं कि गाड़ी में कई डिब्बे थे परन्तु उनमें से कुछ ही पटरी से उतरे हैं। उसमें कोई बम अथवा इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं थी।

पहली दो दुर्घटनाओं तथा इस दुर्घटना में कुछ अन्तर है। पहली दो दुर्घटनायें बम फटने के कारण हुई थी। इस दुर्घटना में रेल के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये हैं इस बात की जांच की जानी है कि क्या यह तोड़-फोड़ के कारण हुआ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या माननीय मंत्री मनमाड में हुई दुर्घटना के बारे में कुछ बतायेंगे।

श्री स० का० पाटिल : इस के बारे में वक्तव्य परसों दिया जायेगा।

श्रीमती रेणुका बडकटकी (बारपेटा) : उस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह दुर्घटनायें तोड़-फोड़ के कारण रात्रि के समय हो रही हैं, क्या सरकार ने उस क्षेत्र में गाडियों का समय बदलने का विचार किया है ?

श्री स० का० पाटिल : उन दुर्घटनाओं के पीछे जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्य रेलवे व्यवस्था को भंग करना है। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे उनका उद्देश्य पूरा हो। बम रखने के लिये रात्रि अथवा दिन से कोई अन्तर नहीं पड़ता परन्तु रात्रि को चलने वाली गाडियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने होंगे। निश्चय ही सम्बधित अधिकारी इस पर विचार करेंगे।

श्री लिंग रेड्डी : तोड़-फोड़ तथा षडयंत्र के अतिरिक्त भी रेलवे दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। क्या सरकार उन्हें रोकने के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हो रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे पटरियों पर गस्त अधिक की जा रही है अथवा रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा अच्छी तरह की जा रही है।

डा० राम सुभग सिंह : गस्त बढ़ा दी गई है परन्तु उसके बावजूद गाड़ियां पटरी से उतरने की दुर्घटनायें हुई हैं। अब गस्त अधिक प्रभावी है।

वित्त विधेयक—जारी

FINANCE BILL—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्त विधेयक पर आगे विचार करेगी। श्री हुमायूं कबिर अपना भाषण जारी करें।

श्री हुमायून कबिर : हमें देश के अन्दर विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये। इससे विदेशी मुद्रा की कमी कुछ हद तक पूरी हो जायेगी। कई मामलों में विद्यमान क्षमता का प्रयोग न होने पर भी नये कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। यदि वर्तमान कारखानों को थोड़ी से राशि दी जाये तो वे तुरन्त पूर्ण उत्पादन आरम्भ कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा की समस्या के सम्बन्ध में निर्यात के लिए कुछ अधिकर्ता नियुक्त करने के आदर्श को अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिज व्यापार निगम ने इसे पहले ही सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है। मेरा यह भी सुझाव है कि निर्यातकर्ता को उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ हद तक निर्बाध विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिये।

बिना शर्त के सहायता का उल्लेख बार बार किया गया है। वास्तविकता यह है कि शर्तों के बिना कोई सहायता नहीं देता। परन्तु हमें यह देखना चाहिये कि क्या वे शर्तें हमारे हित में है अथवा नहीं।

यदि उद्योगों को अपने निर्यात का कुछ भाग विदेशी मुद्रा के रूप में दिया जाये तो निर्यातक उसका दुरूपयोग नहीं करेंगे। वे उस विदेशी मुद्रा को अपने उत्पादन में वृद्धि करने में लगायेंगे।

दुर्भाग्य से, सरकार तथा लोगों के बीच एक प्रकार की खाई है जो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इससे देश के विभिन्न भागों में बड़े आन्दोलन हुए हैं। इस का कारण यह है कि सरकारी अधिकारी लोगों के साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे वे उनके नौकर हों।

भारत रक्षा नियमों का अब कोई लाभ नहीं। यह सामान्य शिकायत है कि बहुत से मामलों में इनका दुरूपयोग किया गया है। यह शिकायत किसी एक समुदाय के सदस्यों की नहीं है। आशा है कि गृह-कार्य मंत्री शीघ्र ही आपात स्थिति समाप्त करना स्वीकार कर लेंगे और तब तक भारत रक्षा नियमों का प्रयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि देश की सुरक्षा को निश्चित रूप से खतरा न हो।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : हमें यह देखना है कि जन साधारण को अच्छा जीवन, अधिक खाद्यान्न, पूरी नौकरी, आर्थिक न्याय, समानता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता देने के प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित समाजवादी उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार सफल हो पाई है। 19 वर्ष के लगातार शासन और 20,581 करोड़ रुपया खर्च करने पर तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद कांग्रेस सरकार लोगों का जीवन अच्छा बनाने में असफल रही है। राष्ट्रीय आय कृषि और औद्योगिक उत्पादन तथा नौकरियों आदि में वृद्धि करने के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हुए

हैं। न केवल उत्पादन अपितु वितरण के मामले में भी गोलमाल किया गया है। चावल खाने वाले क्षेत्रों में गेहूं भेजा जाता है। जब लोग गेहूं मांगते है तो मोटा अनाज भेजा जाता है और यदि लोग मोटा अनाज मांगते हैं तो गोली चलाई जाती है।

औद्योगिक उत्पादन में 11 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था परन्तु वास्तव में केवल 7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सरकार स्वचालित मशीनें लगा रही है। हम उनके विरुद्ध नहीं है परन्तु देश में बेकारी में लगातार वृद्धि को देखते हुए उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने एक बार कहा था कि ऐसी योजना बुरी है जिससे लोग बेकार हो और कम आय पर अधिक लोगों को नौकर रखना उससे अच्छा है जिससे कुछ लोग बेकार हों। क्या उनकी पुत्री स्वचालित मशीनें लगाकर लोगों को बेकार करेगी।

हम लोगों को अच्छा जीवन स्तर और नौकरी के अच्छे अवसर नहीं दे सके हैं परन्तु अतिरिक्त करों के लक्ष्य प्राप्त करने में योजना आयोग तथा सरकार बहुत सफल हुए हैं। करों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है परन्तु उस राशि का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। कम उत्पादन तथा अनुत्पादन और अपव्यय के कारण मुद्रास्फीति तथा आय में असमता में वृद्धि हुई है। जन-साधारण की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ी है। सरकार ने समाजवाद का उपहास किया है। सत्तारूढ़ दल मत प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। सरकार चार वर्ष तक समाजवाद की बातें करती रही है और पांचवें वर्ष चुनाव के लिये धन प्राप्त करने के लिए बड़े व्यापारियों की सहायता की विधियां बनाई जा रही हैं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : हमारे संविधान में यह निश्चित किया गया है कि भारत में संघीय सरकार होगी। जिन लोगों ने संविधान का प्रारूप तैयार किया उनका मुख्य विचार यह था कि संघ के प्रान्तों के स्वरूप को ध्यान में रखा जाये। मेरा विचार है कि प्रान्त बनाने का कार्य सभा की समिति को सौंपने के बारे में सरकार ने कोई परवाह नहीं की है। इण्डियन नेशनल कांग्रेस में भी हमने कई ऐसे संकल्प पारित किये थे जिसमें भाषाई आधार पर अलग अलग प्रान्त बनाने की बात स्वीकार की गई थी। उसके बाद दार आयोग नियुक्त किया गया था जिसको यह कार्य सौंपा गया था कि वह बताये कि राज्यों का गठन किस प्रकार हो। उस आयोग ने प्रतिवेदन दिया कि उस समय की परिस्थितियों में केवल भाषाई सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सोचा कि दार आयोग के प्रतिवेदन पर उसके अपने विशेषज्ञों द्वारा उचित रूप से जांच की जाये। इसलिये पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभ भाई पटेल तथा डा० सीतारामैया पर सम्मिलित एक समिति नियुक्त की गई। उस समिति के निष्कर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में संक्षिप्त रूप से दिये गये है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा परसों तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 5 मई, 1966/15 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 5, 1966/ Vaisakha 15, 1888 (Saka).